



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 137]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2013/फाल्गुन 23, 1934

No. 137]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2013/PHALGUNA 23, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2013

सा.का.नि. 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिलिप्यधिकार नियम, 1958 को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है अधिक्रांत करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार नियम, 2013 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- निर्वाचन.—(1) इन नियमों में, जब तक कि, अन्यथा अपेक्षित न हो,—
(क) “अधिनियम” से प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) अभिप्रेत है;
(ख) “बोर्ड” से धारा 11 की उप-धारा (1) में यथा परिभाषित प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड अभिप्रेत है;
(ग) “प्रतिलिप्यधिकार कारबार” से धारा 14 में निर्दिष्ट किसी कृति या उसके किसी सारवान भाग के संबंध में विनिर्दिष्ट कृति में कोई अधिकार या अधिकारों के किसी समूह के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी करने या प्रदान करने का कारबार अभिप्रेत है तथा जिसके अंतर्गत धारा 34 की उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट कृत्य भी हैं;
(घ) “प्ररूप” से पहली अनुसूची में दिया गया कोई प्ररूप अभिप्रेत है;
(ङ) “अनुसूची” से इन नियमों की कोई अनुसूची अभिप्रेत है; और
(च) “धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ।
(2) उन शब्दों या पदों के, जो उसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 2

प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड

3. बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और शर्तें

(1) बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी अवधि के लिए नियुक्त होंगे जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में उचित समझी जाए :

परंतु अध्यक्ष और अन्य सदस्य ऐसी अवधि के पश्चात् अपना पद धारण कर सकेंगे जब वह,—

- अध्यक्ष की दशा में जब वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं ; और
- किसी अन्य सदस्य की दशा में, बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं ।

(2) (i) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह,-

- (क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, या रहा है; या
(ख) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक है ;

(ii) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हक नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य है या रहा है और कम से कम तीन वर्ष के लिए उक्त सेवा के ग्रेड-1 में पद धारण किया हो ; या
(ख) कम से कम दस वर्ष के लिए न्यायिक पद धारण किया हो ; या
(ग) किसी अधिकरण या सिविल सेवा का सदस्य है या रहा है और प्रतिलिप्यधिकार के क्षेत्र में तीन वर्ष के अनुभव के साथ भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून न रहा हो ; या
(घ) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम में सिद्ध विशेषज्ञ अनुभव का कोई अधिवक्ता कम से कम दस वर्ष रहा हो ;

(iii) अध्यक्ष और अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होंगे ;

(iv) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् ही नियुक्त होगा ;

(3) बोर्ड के अध्यक्ष या सदस्य अपनी नियुक्ति की समाप्ति पर पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

(4) बोर्ड के अध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार को लिखित में सूचना देने के पश्चात् अपने पद से त्यागपत्र दे सकेंगे :

परंतु अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने पद को शीघ्रतर त्यागने की अनुज्ञा प्राप्ति तक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि के पूरा होने तक या अपने पद पर अपने उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् किसी व्यक्ति की नियुक्ति तक या अपने पद की अवधि की समाप्ति तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो पद धारण करना जारी रखेगा ।

(5) अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई जांच के पश्चात् जिसमें अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरुद्ध किए गए आरोपों की सूचना दी गई हो तथा उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया गया है, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए आदेश के सिवाय अपने पद से नहीं हटाया जाएगा ।

अध्याय 3

प्रतिलिप्यधिकार का त्यजन

4. धारा 21 के अधीन कृति के प्रतिलिप्यधिकार के सभी या किन्हीं अधिकारों की इच्छा करने वाला किसी कृति का लेखक रजिस्ट्रार को प्ररूप-1 में सूचना देगा या नियम 5 के उपनियम (2) के अधीन जनता सूचना देगा ।

5. (1) प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रार राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर ऐसी सूचना रखेगा जिसे पब्लिक डोमिन में तीन वर्ष से अन्यून अवधि के लिए रखी जाएगी ।

(2) लेखक, सार्वजनिक सूचना द्वारा, नियम 5 के अधीन अधिकारों के त्यजन की सूचना देने में नीचे दिए गए निम्नलिखित ब्योरे सम्मिलित करेगा:-

- (क) कार्यों का वर्ग (धारा 13 की उपधारा (1) में दिए गए) ;
 (ख) कृति का शीर्षक ;
 (ग) लेखक का पूरा नाम पता और राष्ट्रीयता ;
 (घ) कृति की भाषा ;
 (ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता, यदि प्रकाशित है, प्रकाशन के वर्ष के और प्रथम प्रकाशन के देश के साथ ;
 (च) यदि धारा 45 के अधीन कृति प्रतिलिप्यधिकार में रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकरण संख्या ;
 (छ) अधिकार त्यजन किए जाने वाला/वाले ; और
 (ज) अधिकारों के त्यजन की तारीख ।

(3) लेखक सार्वजनिक सूचना की प्रति, अपनी पहचान के सबूत के साथ रजिस्ट्रार को भेज सकेगा और रजिस्ट्रार ऐसी सूचना के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर उसे पोस्ट करेगा :

स्पष्टीकरण: इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, “सार्वजनिक सूचना” पद से निम्न अभिप्रेत है -

- (i) कृति या कृति के मुख्य पृष्ठ पर सूचना का उल्लेख ; या
 (ii) किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रथम अंक में अंग्रेजी भाषा में और कृति की समान भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के प्रथम अंक में भी में प्रकाशन जो देश के अधिकांश भाग में प्रचालित हैं ;
 (iii) उपनियम (2) के अधीन यथा अपेक्षित सभी ब्यौरे देकर लेखक के निवेदन पर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा ।

अध्याय 4

जनता से रोकी गई कृतियों में अनुज्ञप्ति अनिवार्य

6. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन- (1) धारा 31 के अधीन कृति के पुनः प्रकाशन के लिए या सार्वजनिक रूप से कृति को निष्पादित करने या प्रसारण द्वारा जनता को कृति को संसूचित करने को किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन प्ररूप 2 में किया जाएगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केवल एक कृति के संबंध में करना होगा ।

(3) कृति के पुनः प्रकाशन के लिए या जनता में कृति को प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक आवेदन पर्याप्त साक्ष्य को प्रदर्शित करने के साथ होगा कि प्रतिलिप्यधिकार स्वामी ने कार्य के पुनः प्रकाशन या उसके पुनः प्रकाशन को अनुज्ञात करने से या जनता में उस कृति के प्रस्तुतीकरण को अनुज्ञात करने से नामंजूर कर दिया है और ऐसी नामंजूरी के लिए कारण भी देगा ।

(4) प्रसारण द्वारा जनता में कृति की संसूचना के लिए प्रत्येक आवेदन कारणों या आधारों के पर्याप्त साक्ष्य के साथ होगा कि प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी ने,-

(क) प्रसारण द्वारा जनता को कृति की संसूचना ; या

(ख) ध्वन्यंकन की दशा में आवेदक के लिए अयुक्तियुक्त निबंधनों के विचार करने के आधार पर अनुज्ञात करने से मना कर दिया है ।

7. आवेदन की सूचना- (1) नियम 6 के अधीन आवेदन की प्रति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा आधारित दस्तावेजों के साथ तामील करनी होगी ।

(2) बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और आवेदक को और जहां तक व्यवहार्य हो कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भी सुनवाई करने का अवसर देगा तथा आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य लेगा जो वह उचित समझे ।

(3) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक के लिए लागू या यदि जहां एक से अधिक हों, बोर्ड की राय में आवेदकों को ऐसे जो साधारण जनता के हितों की उत्तम प्रकार से रक्षा करते हों अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा ।

(4) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 31 में उपबंधित शर्तों के अधीन होगी जिसके अंतर्गत प्रतिकर या स्वामिस्व का संदाय भी है और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

(क) अवधि, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ;

(ख) कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाले प्रतिकर का परिमाण या स्वामिस्व की दर; और

(ग) ऐसे अन्य निबंधन और शर्तों जो बोर्ड द्वारा उचित समझी जाएं ।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति का संदाय यथासंभव शीघ्र राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी और अनुज्ञप्ति की प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी ।

8. प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण की रीति- बोर्ड धारा 31 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय या प्रतिकर या स्वामिस्व के परिमाण को अवधारित करेगा । बोर्ड, प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण करने के दौरान निम्नलिखित को विचार में ले सकेगा :-

(i) कृति के पुनःप्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण की दशा में,-

(क) किसी कृति की प्रस्तावित फुटकर कीमत या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण की दर ;

(ख) कृति के प्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण के संबंध में स्वामिस्व की प्रचलित मानक ; और

(ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

(ii) प्रसारण द्वारा जनता को किसी कृति की संसूचना की दशा में,-

(क) समयावधि जिसमें प्रसारण होगा और विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न दरें जिसके अंतर्गत पुनःप्रसारण भी है ;

(ख) कृतियों के विभिन्न वर्गों के लिए विभिन्न दरें ;

(ग) ऐसी कृतियों के लिए इस संबंध में संदेय स्वामिस्व की प्रचलित दरें ; और

(घ) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

9. अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार- बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात् जहां तक व्यवहार्य हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी कृति के पुनःप्रकाशन या जनता में कृति के प्रस्तुतीकरण या प्रसारण द्वारा जनता को कृति की संसूचना अनुज्ञप्ति की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में पर्याप्त कारणों से असफल रहा है, ऐसी अवधि को विस्तारित कर सकेगा ।

10. अनुज्ञप्ति का निरस्तरीकरण-बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति के पुनः प्रकाशन या जनता में प्रति के प्रस्तुतीकरण या प्रसारण द्वारा जनता में कृति की संसूचना देने में असफल रहा है ;

(ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

अध्याय 5

कृति या उसके अनुवाद का प्रकाशन या उसको जनता को संसूचित करने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति

11. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन- (1) कृति या उसके अनुवाद को, किसी भी भाषा में, कोई अप्रकाशित प्रति या प्रकाशित कोई कृति या जनता में संसूचित और भारत में जनता के लिए रखी गई किसी कृति के जनता में प्रकाशन या उसको संसूचित करने को लेखक मृतक है या अज्ञात है या उसका पता नहीं हो सकता या ऐसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी का पता नहीं है, प्ररूप 3 में कोई व्यक्ति धारा 31क के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन कर सकेगा और उसके साथ अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट फीस भी होगी:

परंतु वांछनीय लेखक की मृत्यु की दशा में कृति के प्रकाशन के लिए ऐसा आवेदन केवल तभी किया जा सकेगा यदि धारा 31क की उपधारा (6) में यथा उपबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृति के प्रकाशन में कोई असफलता है।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कार्य के संबंध में और किसी कृति के अनुवाद के संबंध में केवल एक भाषा के लिए होगा।

(3) धारा 31क की उपधारा (7) के अधीन किसी आवेदन से भिन्न कोई आवेदन धारा 31क की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी प्रकाशन में अंतर्विष्ट किसी समाचार पत्र के साथ होगा और देश के अधिकांश भागों में परिचालित अंग्रेजी भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में प्रकाशित होगा तथा जहां किसी भाषा में किसी अनुवाद के प्रकाशन के लिए आवेदन उक्त भाषा में किसी दैनिक समाचार पत्र के एक अंक में होगा।

(4) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है जनता में प्रकाशन या संसूचित करने या कार्य के किसी भाषा में अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति आवेदक को प्रदान करने के लिए लागू हो सकेगी या यदि जहां एक से अधिक आवेदक हैं तो बोर्ड की राय में ऐसे आवेदक जो साधारण जनता के हितों को अच्छे तरीके से पूर्ण कर सकेगा, वह प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रार को तदनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति धारा 31क की उपधारा (7) में उपबंधित शर्तों के अधीन होगी और निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

- (क) अवधि जिसके भीतर ऐसी कृति का प्रकाशन, अनुवाद या जनता को संसूचना होगी ;
- (ख) मूल्य जिस पर ऐसी कृति की प्रतियां जनता को विक्रय की जाएंगी या कृति को संसूचित करने के लिए प्रभारित होगी ;
- (ग) जमा की जाने वाली स्वामिस्व की रकम और वह खाता जिसमें वह जमा होगी ;
- (घ) कृति के अनुवाद की दशा में भाषा जिसमें वह अनुवाद किया जाएगा तथा प्रकाशित होगा ; और
- (ङ) कृति के जनता में संसूचना की दशा में माध्यम जिसमें उसे जनता को संसूचित किया जाएगा।

(6) प्रत्येक ऐसी प्रदान की गई, अनुज्ञप्ति यथा संभव शीघ्र राजपत्र में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड के वेबसाइट पर अधिसूचित होगी तथा अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी।

12. स्वामिस्व के अवधारण की रीति- बोर्ड आवेदक द्वारा जमा किए जाने वाले स्वामिस्व की रकम को अवधारित करेगा। बोर्ड स्वामिस्व का जब अवधारण करेगा तो निम्नलिखित को विचार में लेगा,-

- (क) ऐसी कृति के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक; और
- (ख) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य विषय जो इस संबंध में विचार किए जा सकेंगे।

13. अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार- बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी अनुवाद को प्रस्तुत करने या उसका प्रकाशन करने या पुनः प्रस्तुत करने या जनता में कृति को संसूचित करने में अनुज्ञप्ति की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर करने में पर्याप्त कारणों से असफल रहा है ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

14. अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण-बोर्ड अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने या कृति को जनता में संसूचित करने में असफल रहा है ;
 (ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और
 (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किन्हीं निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।

15. अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना - धारा 32ख की उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना प्ररूप 4 में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को तामील होगी ।

16. मूल स्वामी की मृत्यु की दशा में किसी कृति के प्रकाशन के लिए सूचना- केन्द्रीय सरकार यदि धारा 31 क की उपधारा (6) के अधीन किसी अनुरोध के करने का विनिश्चय करती है तो कृति के लेखक के उत्तराधिकारियों के निष्पादक या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा कृति के प्रकाशन के लिए छह माह की न्यूनतम अवधि और एक वर्ष की अधिकतम अवधि विनिर्दिष्ट करेगी ।

अध्याय 6

निःशक्त व्यक्ति के लाभ के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति

17. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन- (1) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उपयोगी किसी रूप विधान में किसी कृति के प्रकाशन को धारा 31ख के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन प्ररूप 5 में किया जाएगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ होगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन केवल एक कृति के संबंध में करना होगा ।

18. आवेदन की सूचना- (1) नियम 17 के अधीन आवेदन की प्रति ऐसे प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील करनी होगी और यदि ऐसे प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी ज्ञात नहीं है या वह खोजा नहीं जा सकता तो आवेदन की प्रति प्रकाशक पर जिसका नाम ऐसी कृति पर दर्शित है रजिस्टर्ड डाक द्वारा तामील होगी ।

(2) बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और आवेदक और जहां तक संभव हो कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को, सुनवाई करने का अवसर देगा तथा आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य लेगा जो वह उचित समझे ।

(3) बोर्ड, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक को प्रदान करने के लिए रूप विधान में आवेदन की जा सकेंगी या यदि जहां एक से अधिक आवेदक हों बोर्ड की राय में आवेदकों को ऐसे जो साधारण जनता के हितों को उत्तम प्रकार से रक्षा करते हों, अनुज्ञप्ति प्रदान करने का निदेश देगा ।

(4) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा,-

(क) अवधि, जिसके भीतर ऐसी कृति का प्रकाशन किया जाना होगा ;

- (ख) माध्यम और रूप विधान जिसमें कृति को प्रस्तुत या प्रकाशन करना होगा ;
 (ग) प्रतियों की संख्या जो तैयार की जानी हैं ;
 (घ) ऐसी कृतियों की प्रतियों के संबंध में स्वामिस्व की दर जिसपर प्रतियां निःशक्त व्यक्तियों को विक्रय की जानी हैं, कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त की जानी है ; और
 (ङ) व्यक्ति जिसको ऐसा स्वामिस्व संदत्त होगा ।

(5) प्रत्येक ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान करना यथासंभव शीघ्र राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय तथा बोर्ड की वेबसाइट पर अधिसूचित होगी और अनुज्ञप्ति की प्रति संबद्ध अन्य पक्षकारों को भी भेजी जाएगी ।

19. स्वामिस्व के अवधारण की रीति- बोर्ड, धारा 31ख की उपधारा (4) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामिस्व को संदेय या प्रतिकर के स्वामिस्व के परिमाण को अवधारित करेगा । बोर्ड, प्रतिकर या स्वामिस्व के अवधारण करने में निम्नलिखित को विचार में ले सकेगा, -

- (क) ऐसी कृति की किसी प्रति जिसे निःशक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है, का प्रस्तावित मूल्य ;
 (ख) ऐसी कृति के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानकों को विचार में लिया जाएगा ;
 (ग) निःशक्त व्यक्तियों के लिए उनकी पहुंच योग्य रूप विधान बनाने में अंतर्वर्तित लागत ;
 (घ) ऐसे अन्य विषय जो संबंधित हों बोर्ड द्वारा विचार में लिए जाएंगे ।

20. अनुज्ञप्ति की अवधि का विस्तार- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात् जहां तक संभव हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कृति के प्रस्तुतिकरण या प्रकाशन करने से अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पर्याप्त कारणों से असफल रहा है ऐसी अवधि के लिए विस्तारित कर सकेगा ।

21. अनुज्ञप्ति का निरस्तीकरण-बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति निरस्त कर सकेगा, अर्थात्:-

- (क) कि अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट ऐसी अवधि के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर विस्तारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्तिधारी कृति के प्रस्तुतिकरण या प्रकाशित करने में असफल रहा है ;
 (ख) कि किसी आवश्यक तथ्य के कपट या दुर्व्यपदेशन द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ; और
 (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति की किसी निबंधन और शर्तों का उल्लंघन किया गया है ।
 (घ) प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी का समाधान हो जाता है कि उसी या कम कीमत पर समान रूप विधान में प्रकाशन द्वारा निःशक्त व्यक्तियों की अपेक्षाओं का समाधान हो जाएगा जिसके लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी की गई थी ।

22. अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना- धारा 31ख की उपधारा (3) के अधीन प्रदान किए गए अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए सूचना प्ररूप 4 में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति को तामील होगी ।

अध्याय 7

आवरण रूपांतरण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति

23. आवरण रूपांतरण करने के लिए सूचना - आवरण रूपांतरण करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति धारा 31ग की उपधारा (1) के अधीन किसी साहित्यिक, नाटकीय या संगीत कृति के संबंध में ध्वनि ध्वन्यंकन करने के लिए ऐसे आशय की कोई सूचना ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को और प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को ऐसा

आवरण रूपांतरण करने के अग्रिम में कम से कम पंद्रह दिन पूर्व देगा और मूल साहित्यिक या नाटक या संगीत कार्य को प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना के साथ, आवरण रूपांतरण की सभी प्रतियों के लिए जो बनाई जाएगी, नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा अवधारित दरों पर न्यूनतम पचास हजार प्रतियों और यदि प्रतियों की संख्या अधिक हो, के संबंध में स्वामिस्व की रकम के साथ भेजेगा और सभी आवरण और नियमों की प्रतियों जिसके आवरण रूपांतरण विक्रय किए जाने हैं, उपलब्ध कराएगा :

परंतु किसी विशिष्ट भाषा या बोली जिसके लिए बोर्ड द्वारा साधारण आदेश से धारा 31 की उपधारा (4) के परंतुक के अनुसार कोई निम्न न्यूनतम नियत किया है, आवेदक बोर्ड द्वारा नियत निम्न न्यूनतम के और यदि संख्या अधिक है आवरण रूपांतरण की सभी प्रतियों के लिए स्वामिस्व का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि आवरण रूपांतरण करने के लिए आशयित कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन कोई सूचना नियम 27 के अधीन बोर्ड द्वारा अवधारित स्वामिस्व के संदाय के पश्चात् देगा और राजपत्र और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट में प्रकाशित करेगा ।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजन के लिए “आवरण रूपांतरण” से धारा 31ग और इस नियम के अनुसरण में कोई ध्वनि ध्वन्यंकन अभिप्रेत है ।

(2) ऐसी सूचना में निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित होगी, अर्थात् :-

(क) कृति की विशिष्टतया जिसके संबंध में आवरण रूपांतरण तैयार किया गया है ;

(ख) परिवर्तन, यदि कोई हों, आवरण रूपांतरण के कार्य को ग्रहण करने के लिए बनाए गए प्रस्तावित हैं और ऐसे परिवर्तन करने के लिए कृति के लेखक के सहमति का साक्ष्य यदि अपेक्षित हो ;

(ग) कृति के प्रतिलिप्यधिकार स्वामी का नाम पता और राष्ट्रीयता ;

(घ) कृति की पूर्व में की गई ध्वनि ध्वन्यंकन की विशिष्टियां

(ङ) आवरण रूपांतरण की प्रतियों की कुल संख्या और कैलेंडर वर्ष जिसमें ऐसा किया जाना प्रस्तावित है

(च) माध्यम जिसमें ध्वनि ध्वन्यंकन पूर्व में किया गया था और आवरण रूपांतरण किया जाना प्रस्तावित है ;

(छ) मूल्य जिसपर आवरण रूपांतरण विक्रय किया जाना प्रस्तावित है ; और

(ज) नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा यथा अवधारित संदत्त स्वामिस्व के अग्रिम संदाय के ब्यौरे

24. शर्तें जिनका आवरण रूपांतरण करने में अनुपालन किया जाएगा - (1) उत्पादनकर्ता जब आवरण रूपांतरण करेगा तो मूल साहित्य, नाटक या संगीत कृति की समग्रता बनाए रखेगा सिवाय उस सीमा तक जब कि आवरण रूपांतरण करने के प्रयोजन के लिए तकनीकी आवश्यकता हो ।

(2) आवरण रूपांतरण पैकेजिंग के किसी रूप में जारी नहीं होगा या किसी अन्य आवरण या लेबल जिसके अंतर्गत कोई लेबल या कार्टन या कोई जटित कार्ड या वेबसाइट भी है, जिसकी डिजाइन या रंग योजना या प्रदर्शन या सजाना मूल ध्वनि ध्वन्यंकन के समान हो जिससे जनता के लिए यह भ्रामक या भ्रम होने की संभावना हो कि यह मूल ध्वनि ध्वन्यंकन के समतुल्य रूप में है ।

(3) आवरण रूपांतरण मूल ध्वनांकन के लेबल का उपयोग नहीं करेगा और इस कवर पर बड़े अक्षरों में यह कथित होगा कि यह धारा 31ग के अधीन बनाया गया आवरण रूपांतरण है ।

(4) आवरण रूपांतरण में प्रमुख रूप से प्रस्तुतकर्ता का नाम प्रदर्शित होगा और समान कार्य या कोई अन्य चलचित्र फिल्म में जिसमें ऐसे ध्वनि ध्वन्यंकन को सम्मिलित किया गया था कि किसी पूर्व में ध्वनि ध्वन्यंकन के किसी प्रस्तुतकर्ता का किसी भी रूप में नाम या चित्रित नहीं होगा ।

25. **आवरण रूपांतरण की अतिरिक्त प्रतियां बनाने के लिए सूचना-** कोई व्यक्ति जिसे सूचना देने के पश्चात् धारा 31ग के अधीन प्रदत्त किसी अनुज्ञप्ति के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार किया है या धारा 31ग के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए उसे सूचना दी गई है जिसके लिए अवधि के दौरान अतिरिक्त प्रतियां तैयार करने का आशय है या नियम 23 के अधीन नई अग्रिम सूचना आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए जारी रहने की इच्छा की गई है और सभी शर्तों का अनुपालन जिसके अंतर्गत नियम 27 के अधीन इस संबंध में बोर्ड द्वारा अवधारित अग्रिम स्वामित्व का संदाय भी है।

26. **अभिलेखों का अभिरक्षण-** (1) आवरण रूपांतरण तैयार करने वाला व्यक्ति अपने कारबार के प्रमुख स्थान पर, आन-लाइन डाउनलोड द्वारा विक्रय की दशा के सिवाय, एक रजिस्टर जिसमें तैयार की गई, विक्रय की गई प्रतियों की कुल संख्या स्टाक में शेष प्रतियों की संख्या के ब्यौरे रखेगा।

(2) ऐसा आवरण रूपांतरण करने वाला व्यक्ति लेखा की पृथक पुस्तकें रखेगा जिसमें ऐसे आवरण रूपांतरण की प्रतियों के विक्रय से व्युत्पन्न कुल आय के साथ खर्चों के विभिन्न शीर्षों के अधीन आवरण रूपांतरण करने में हुए कुल व्ययों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे।

(3) आवरण रूपांतरण करने वाला व्यक्ति कारबार के प्रमुख स्थान में अभिलेख, रजिस्टर और लेखा की पुस्तकें रखेगा जो अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या इस निमित्त उसके प्रतिनिधि को ऐसे आवरण रूपांतरण करने वाले व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा से कारबार घंटों के दौरान खुले रखेगा और यदि आवश्यकता हो तो वे अपने स्वयं के खर्च पर संबंधित सार की प्रतियां प्राप्त कर सकेंगे।

27. **स्वामित्व के अवधारण की रीति-** (1) बोर्ड अपने गठन के पश्चात् स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से किसी आवेदन की प्राप्ति पर धारा 31ग के अधीन आवरण रूपांतरण तैयार करने के लिए स्वामित्व को नियत करने के अपने आशय की लोक सूचना देगा और उसके अवधारण के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन सूचना राजपत्र में और समान रूप से दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका परिचालन देश के अधिकांश भागों में होता है दो दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर समान रूप से पुनर्प्रकाशित करेगा।

(3) प्रतिलिप्यधिकार का कोई स्वामी या आवरण रूपांतरण तैयार करने के कारबार में अंतर्वर्तित कोई व्यक्ति या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर स्वामित्व की दर के रूप में पर्याप्त साक्ष्य के साथ सुझाव जिसके अंतर्गत विभिन्न कृतियों, भाषाओं, मीडिया और रूप विधान के लिए विभिन्न दरें भी हैं, दे सकेगा।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन संबंधित सुझावों पर जो उसे किए जाएंगे सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सुझावों पर विचार करेगा जिन्हें वह उचित समझे।

(5) बोर्ड सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से दो मास के भीतर धारा 31ग की उपधारा (2) के अधीन स्वामी को संदेय स्वामित्व का अवधारण करेगा। बोर्ड जब स्वामित्व का अवधारण करेगा तो निम्नलिखित का बातों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

(क) पूर्वतर ध्वनि ध्वन्यंकन की फुटकर कीमत ;

(ख) साहित्यिक, नाटकीय या ऐसे ध्वनि ध्वन्यंकन करने के लिए संगीत कृति के संबंध में स्वामित्व के वर्तमान मानक ;

(ग) कृति, भाषा, रूप विधान और माध्यम की प्रकृति और वर्ग जिसमें इन्हें विक्रय किया जाना है ;

(घ) बोर्ड द्वारा ऐसे अन्य विषय जिन्हें वह सुसंगत समझे, विचार कर सकेगा।

(6) बोर्ड इस नियम के उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए, एक वर्ष में कम से कम एक बार स्वामित्व की दरें आवधिक रूप से पुनरीक्षित कर सकेगा।

28. स्वामिस्व के असंदाय के संबंध में शिकायत- (1) किसी साहित्यिक, नाटक या संगीत कृति जिसके अंतर्गत मूल ध्वनि ध्वन्यंकन भी है, में किसी प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी आवरण रूपांतरण करने के तात्पर्यित के संबंध में, बोर्ड द्वारा यथा अवधारित पूर्ण स्वामिस्व के असंदाय की दशा में शिकायत कर सकेगा।
- (2) यदि बोर्ड का प्रथम दृष्टया शिकायत की वास्तविकता का समाधान हो जाता है, वह आवरण रूपांतरण बनाने वाले व्यक्ति को और प्रतियां बनाने से विरत करने का निदेश देने का अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा।
- (3) बोर्ड ऐसी जांच करने के पश्चात् जिन्हें वह आवश्यक समझे किसी साहित्यिक, नाटक या संगीत कृति जिसके अंतर्गत मूल ध्वनि ध्वन्यंकन भी है में किसी प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे और आदेश करेगा जिसे वह उचित समझे, जिसके अंतर्गत स्वामिस्व के संदाय के लिए कोई आदेश भी है।

अध्याय 8

साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति

29. साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन की जनता को संसूचना के लिए स्वामी को सूचना- (1) कोई प्रसारण संगठन धारा 31घ की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रकाशित साहित्यिक और संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के प्रसारण के द्वारा या प्रस्तुतीकरण के द्वारा जनता को संसूचित करने की वांछ रखता है, अपने इस आशय की सूचना और साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसका कोई संयोजन के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी और प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रार को जनता को ऐसी संसूचना के अग्रिम पांच दिनों की अवधि के पहले सूचना देगा और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को इस संबंध में बोर्ड द्वारा नियत दर पर सम्यक् स्वामिस्व की रकम का संदाय करेगा :

परंतु किसी नई प्रकाशित साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसका कोई संयोजन के प्रसारण द्वारा या प्रस्तुतीकरण द्वारा जनता को संसूचित करने की दशा में जिसे ऐसी संसूचना के अग्रिम पांच दिनों की अवधि के पहले प्रकाशित करेगा और जो अनुसूचित कार्यक्रमों का भाग नहीं है जनता को ऐसी संसूचना के पहले सूचना देगा :

परंतु यह और कि किसी प्रकाशित साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन या उसके किसी संयोजन के प्रसारण द्वारा या प्रस्तुतीकरण द्वारा जनता को संसूचित करने की दशा में, अकल्पित परिस्थितियों में जनता को ऐसी संसूचना चौबीस घंटे के भीतर देगा :

परंतु यह और भी कि कोई प्रसारण संगठन इस अध्याय के अधीन नियम 31 के अधीन बोर्ड द्वारा अवधारित स्वामिस्व का संदाय कर देता है, के पश्चात् इस अध्याय के अधीन सूचना देगा और उसे राजपत्र में और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होगी।

(2) प्रत्येक ऐसी सूचना संबंधित कृति के केवल एक स्वामी को देनी होगी।

(3) जनता को संसूचित करने के लिए पृथक सूचनाएं रेडियो प्रसारण या टेलीविजन प्रसारण या साहित्यिक या संगीत कृति या ध्वनि ध्वन्यंकन जिसे पहले से ही प्रकाशित किया जा चुका है, के प्रस्तुतीकरण के द्वारा जनता को संसूचित करना होगा।

(4) उपनियम (1) के अधीन सूचना में निम्नलिखित ब्यौरे होंगे, अर्थात्:-

(क) चैनल का नाम ;

(ख) क्षेत्रीय विस्तार जहां रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित किया जा रहा है ;

- (ग) कृति की पहचान के आवश्यक ब्यौरे जिसे रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या उपनियम (3) के अधीन प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने का प्रस्ताव है ।
- (घ) ऐसी कृति के प्रकाशन का वर्ष यदि कोई हो ।
- (ङ) ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;
- (च) ऐसी कृति के लेखक का नाम और मुख्य प्रस्तुतकर्ता ;
- (छ) परिवर्तन, यदि कोई हों, जिसे रेडियो प्रसारण, टेलीविजन प्रसारण या कार्य के प्रस्तुतीकरण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, उनके कारण और अधिकारों के स्वामियों की सहमति का साक्ष्य ऐसे परिवर्तन करने के लिए यदि अपेक्षित हों ।
- (ज) जनता को प्रस्तावित सूचना का ढंग जैसे रेडियो, टेलिविजन या प्रस्तुतीकरण ;
- (झ) कार्यक्रम का नाम जिसमें कृति को सम्मिलित किया गया है, यदि कोई हो ;
- (ञ) समयावधि, कार्यक्रम की कालावधि और अवधि जिसमें कृति को सम्मिलित किया जाना है, के ब्यौरे ।
- (ट) बोर्ड द्वारा नियत दर पर स्वामिस्व के संदाय के ब्यौरे ; और
- (ठ) स्थान का पता जहां अभिलेख और लेखा पुस्तकें, अधिकार के स्वामियों द्वारा निरीक्षण के लिए अनुरक्षित होंगी ।

30. अभिलेखों की अभिरक्षा- (1) प्रसारण कृतियों की कुल संख्या के संबंध में स्वामियों के ब्यौरों के अभिलेख ऐसे कृतियों के ब्यौरे और प्रसारण की समयावधि, कालावधि और अवधि प्रसारण संस्थान द्वारा उसके कारबार के प्रमुख स्थान पर, अनुरक्षित होगी अधिकार के स्वामी या उसके द्वारा प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा पूर्व सूचना पर कारबार के घंटे के दौरान उपलब्ध होगी तथा अपनी लागत पर ऐसे अभिलेखों से संबंधित सार की प्रतियां ले सकेगा । प्रसारण संगठन रेडियो प्रसारण और टेलिविजन प्रसारण के लिए पृथक अभिलेख रखेगा ।

(2) प्रसारण-संस्थान, प्रसारण के माध्यम द्वारा जनता को संसूचित करने के लिए लेखों की पृथक पुस्तकें रखेगा जिसमें स्वामिस्व की दर अवधारित करते समय बोर्ड द्वारा ऐसे ब्यौरे होंगे और अधिकार के स्वामी को ऐसी रिपोर्ट और लेखों को देगा ।

31. स्वामिस्व के अवधारण की रीति- (1) बोर्ड अपने गठन के पश्चात् स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति से किसी अनुरोध की प्राप्ति पर, धारा 31घ के अधीन साहित्यिक या संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन को जनता में संसूचित करने के लिए स्वामिस्व नियत करने के अपने आशय की सार्वजनिक सूचना देगा और ऐसी उसके अवधारण के लिए सुझाव आमंत्रित कर सकेगा । ऐसी सूचना रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए पृथक देनी होगी ।

(2) बोर्ड द्वारा उपधारा (1) के अधीन सूचना राजपत्र में और समान रूप से दो दैनिक समाचार पत्रों में जिनका परिचालन देश के अधिकांश भागों में होता है, दो दैनिक समाचार पत्रों में तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर रखेगा ।

(3) प्रतिलिप्यधिकार का कोई स्वामी या कोई प्रसारण संगठन या कोई अन्य हितबद्ध व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर स्वामिस्व की दर के रूप में पर्याप्त साक्ष्य के साथ सुझाव जिसके अंतर्गत विभिन्न कृतियों, और रूप विधानों के लिए विभिन्न दरें भी हैं, दे सकेगा ।

(4) बोर्ड, उपनियम (3) के अधीन संबंधित सुझावों पर जो उसे किए जाएंगे, सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे सुझावों पर विचार करेगा जिन्हें वह उचित समझे ।

(5) बोर्ड सुझावों की प्राप्ति की अंतिम तारीख से दो मास के भीतर क्रमशः रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए साहित्यिक या संगीत कृति और ध्वनि ध्वन्यंकन के स्वामी को संदेय स्वामिस्व की पृथक-पृथक दरें अवधारित करेगा ।

(6) बोर्ड क्रमशः रेडियो और टेलीविजन प्रसारण के लिए धारा 31घ की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय स्वामित्व का अवधारण करेगा ।

(7) बोर्ड जब स्वामित्व का अवधारण करेगा तो निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा, अर्थात्:-

(क) समयावधि जिसमें प्रसारण होता है और विभिन्न समयावधियों के लिए विभिन्न दरें जिसके अंतर्गत पुनः प्रसारण भी है, कृतियों के वर्गों के लिए विभिन्न दरें ;

(ख) कृतियों के उपयोग की विभिन्न प्रकृति के लिए विभिन्न दरें ;

(घ) ऐसी कृतियों की बाबत रोयल्टियों के विद्यमान मानक ;

(ङ) सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसारण कर्ता के बीच प्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन (एफएम) रेडियो प्रसारण सेवा के प्रचालन के लिए अनुज्ञा प्रदान करार (जीओपीए) में सम्मिलित निबंधन और शर्तें ; और

(च) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाए ।

(8) बोर्ड, उप नियम (5) के अधीन रोयल्टियों का संदाय अवधारित करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा, अर्थात् :-

(क) अनुसूचित कार्यक्रमों में सम्मिलित कृतियां ;

(ख) नई प्रकाशित और अनुसूचित कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं की गई कृतियां ;

(ग) अप्रत्याशित परिस्थितियों में जनता को संसूचित की गई कृतियां ; और

(घ) नोटिस में उल्लिखित के अतिरिक्त कालावधि, विभिन्न समय सीमाओं या क्षेत्रीय विस्तार से अधिक में कृतियों का उपयोग ।

(9) बोर्ड, इन नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए कालिकतः, वर्ष में कम से कम एक बार रोयल्टियों की दरों को पुनरीक्षित कर सकेगा ।

अध्याय 9

अनुवादों के लिए अनुज्ञप्ति

32. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.- (1) किसी साहित्यिक या नाट्य कृति का किसी भी भाषा में अनुवाद तैयार और प्रकाशित करने के लिए धारा 32 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप 6 में किया जाएगा और उसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कृति के संबंध में और उस कृति के केवल एक भाषा में अनुवाद के लिए होगा ।

33. आवेदन की सूचना.- (1) जब ऐसा कोई आवेदन किया गया है तो बोर्ड, यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में और यदि बोर्ड उचित समझे तो एक या दो समाचार पत्रों में आवेदन की सूचना देगा और जहां कहीं साध्य हों, सूचना की एक प्रति प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को भेजेगा ।

(2) ऐसी प्रत्येक सूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :-

(क) आवेदन की तारीख ;

(ख) आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;

(ग) उस कृति की विशिष्टियां जिसका अनुवाद किया जाना है ;

(घ) कृति के प्रथम प्रकाशन की तारीख और देश ;

(ङ) आवेदन में यथा कथित प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम, पता और राष्ट्रीयता ;

- (घ) वह भाषा जिसमें कृति का अनुवाद किया जाना है ; और
(ङ) प्रतिलिप्यधिकार अधिकार रजिस्टर में कृति की रजिस्ट्रीकरण संख्यांक, यदि कोई हो ।

34. आवेदन पर विचार किया जाना.- (1) बोर्ड, आवेदन की राजपत्र में सूचना की तारीख से एक सौ बीस से अन्यून दिनों के अवसान के पश्चात् आवेदन पर विचार करेगा ।

(2) बोर्ड, आवेदक को, और जहां कहीं साध्य हो, कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर देगा और आवेदन के संबंध में ऐसे साक्ष्य ले सकेगा जो वह उचित समझे ।

(3) यदि प्रथम आवेदन प्राप्त होने की सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक सौ बीस दिन के पश्चात् बोर्ड के समक्ष कृति के उसी भाषा में अनुवाद के लिए एक से अधिक आवेदन लंबित है तो ऐसे सभी आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा ।

(4) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को या, यदि एक से अधिक आवेदक है तो ऐसे किसी एक आवेदक को, जो बोर्ड की राय में जन साधारण के हितों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम हों, आवेदित भाषा में कृति का अनुवाद करने की अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए तो वह तदनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा ।

(5) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति रोयलटियों के संदाय से संबंधित धारा 32 की उपधारा (4) में उपबंधित शर्त के अधीन होगी और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे :-

- (क) वह अवधि जिसके भीतर अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;
(ख) वह भाषा जिसमें अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;
(ग) वह दर जिस पर जनता को बेची गई कृति के अनुवाद की प्रतियों के संबंध में कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रोयलटियां संदत्त की जाएंगी ; और
(घ) वह/वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी रोयलटियां संदेय होंगी ।

(6) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति की मंजूरी को यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में और ऐसे समाचार पत्रों में, यदि कोई हों, जिसमें नियम 33 के अधीन सूचना प्रकाशित की गई थी, अधिसूचित किया जाएगा और अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजी जाएगी तथा प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की शासकीय वेबसाइट पर डाली जाएगी ।

35. रोयलटियां अवधारित करने की रीति.- बोर्ड, धारा 32 की उपधारा (4) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय रोयलटियां अवधारित करेगा । बोर्ड, रोयलटी अवधारित करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा,- अर्थात् :-

- (क) कृति के अनुवाद की एक प्रति की प्रस्तावित खुदरा कीमत ;
(ख) कृति के अनुवाद की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ; और
(ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाए ।

36. अनुज्ञप्ति की अवधि का बढ़ाया जाना.- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात्, जहां कहीं साध्य हो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी पर्याप्त कारणों से अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुवाद तैयार और प्रकाशित करने में असमर्थ रहा था, ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा ।

37. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण.- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर बढ़ाए गए समय के भीतर अनुवाद को तैयार और प्रकाशित करने में असफल हो गया है ;
- (ख) कि अनुज्ञप्ति किसी भी आवश्यक तथ्य के बारे में कपट या दुरुपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ; और
- (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया है ।

अध्याय 10

कृति का प्रकाशन, अनुवाद और प्रतिकृति तैयार करने के लिए अनुज्ञप्ति

38. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन.- (1) धारा 32 की उपधारा (1क) और धारा 32क के अधीन किसी कृति को प्रकाशित करने या उसका किसी भी भाषा में अनुवाद करने या किसी प्रकाशित कृति की प्रतिकृति तैयार करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन प्ररूप VII में किया जाएगा और उसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कृति के संबंध में और किसी कृति के केवल एक भाषा के अनुवाद के संबंध में होगा ।

39. आवेदन की सूचना.- (1) ऐसे आवेदन की एक प्रति रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को तामील की जाएगी ।

(2) बोर्ड, आवेदक बनने के लिए और जहां कहीं साध्य हो, कृति के प्रतिलिप्यधिकार में किसी हित का दावा करने वाले किसी व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर देगा और आवेदन के बारे में ऐसा साध्य ले सकेगा, जो वह उचित समझे ।

(3) यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि कृति के किसी भाषा में अनुवाद के लिए या कृति को पुनः तैयार करने के लिए आवेदन पर आवेदक को, या जहां एक से अधिक आवेदक हों, वहां आवेदकों में से ऐसे आवेदक को, जो बोर्ड की राय में जन साधारण के हित के लिए सर्वोत्तम होगा, अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, तो वह दो माह की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान कर देगा ।

(4) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति रोयल्टियों के संदाय के संबंध में अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के खंड (i) और धारा 32क की उपधारा (4) के खंड (i) में उपबंधित शर्तों के अधीन होगी और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा :-

- (क) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी कृति प्रकाशित की जाएगी ;
- (ख) वह दर, जिस पर जनता को बेची गई कृति के अनुवाद की प्रतियों के संबंध में कृति के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को रोयल्टियां संदत्त की जाएंगी ; और
- (ग) कृति के अनुवाद की दशा में वह भाषा जिसमें अनुवाद तैयार और प्रकाशित किया जाएगा ;
- (घ) वह/वे व्यक्ति जिन्हें ऐसी रोयल्टियां संदेय होंगी ।

(5) ऐसी प्रत्येक अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने को यथाशीघ्र राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा और प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय और बोर्ड की वेबसाइट पर डाला जाएगा और अनुज्ञप्ति की एक प्रति संबंधित अन्य पक्षकारों को भेजी जाएगी ।

40. **रोयलटियां अवधारित करने की रीति.**- बोर्ड, अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (4) के खंड (i) और धारा 32क की उपधारा (4) के खंड (i) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदेय रोयलटियां अवधारित करेगा । बोर्ड, रोयलटियां अवधारित करते समय निम्नलिखित पर विचार कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) ऐसी कृति की प्रति की प्रस्तावित खुदश कीमत ;
- (ख) ऐसी कृति की बाबत रोयलटियों के विद्यमान मानक ;
- (ग) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं ।

41. **अनुज्ञप्ति की अवधि को बढ़ाना.**- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर और जहां कहीं साध्य हों, प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को सूचना देने के पश्चात्, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कृति को तैयार करने और अनुवाद प्रकाशित करने या उसके प्रकाशन या प्रतिकृति तैयार करने के लिए पर्याप्त कारणों से असमर्थ रहा था तो वह ऐसी अवधि को बढ़ा सकेगा ।

42. **अनुज्ञप्ति का रद्दकरण.**- बोर्ड, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का एक अवसर देने के पश्चात् निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा, अर्थात् :-

- (क) कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर बढ़ाए गए समय के भीतर अनुवाद को तैयार और प्रकाशित करने में असफल हो गया है ;
- (ख) कि अनुज्ञप्ति किसी भी आवश्यक तथ्य के बारे में कपट या दुरुष्मदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई थी ; और
- (ग) कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति के किन्हीं निर्बन्धनों और शर्तों का उल्लंघन किया है ।

43. **अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना.**- प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा धारा 32ख की उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञप्ति की समाप्ति की सूचना अनुज्ञप्ति धारक व्यक्ति को इन नियमों से उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के प्ररूप IV में तामील की जाएगी ।

अध्याय 11 प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियां

44. **प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की शर्तें :-**

(1) सात या अधिक लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है) से मिलकर बना स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व रखने वाला व्यक्तियों का कोई संगम जो कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय की बाबत अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने के कारबार को चलाने के प्रयोजन के लिए बना है, ऐसे कारबार को चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए और उसके किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप VII में एक आवेदन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार धारा 33 की उपधारा (3क) के अधीन पांच वर्ष की अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण मंजूर कर सकेगी ।

(2) नियम 44 के उपनियम (1) के अधीन आवेदन पर अध्यक्ष, सोसाइटी के प्रशासन के प्रयोजन के लिए लेखकों और अधिकार के अन्य स्वामियों, यदि कोई हों, की बराबर संख्या से मिलकर बनी सोसाइटी के सदस्यों में से निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या सहित शासी परिषद् (जो किसी भी नाम से ज्ञात हो) के सभी सदस्यों द्वारा और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जिसका सदस्य होना आवश्यक नहीं है) द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(3) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में सम्मिलित साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने का कारबार केवल अधिनियम की धारा 33 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी प्रतिलिप्यधिकारी सोसाइटी के माध्यम से ही किया जाएगा।

45. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सदस्यता.- प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सदस्यता सभी लेखकों और कृतियों के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में, जिनमें यह रजिस्ट्रीकृत है, के किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के अन्य स्वामियों के लिए खुली होगी।

46. प्रतिलिप्यधिकार कारबार चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें.- (1) नियम 44 में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए विचार किए जाने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक -

(i) वह लिखत जिसके द्वारा आवेदक स्थापित या निगमित किया गया है, उस पर केवल कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय और उसके आनुषंगिक अन्य क्रियाकलापों के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने के कारबार करने की उस पर प्रतिबद्धता सृष्ट नहीं कर देता है ; और

(ii) आवेदक अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के पालन के लिए रजामंद नहीं है।

(2) आवेदक उप अनुज्ञप्ति की रीति से या कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में किसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में रोजलटियों के संग्रहण और वितरण के अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति या प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अंतरण करके कारबार नहीं करेगा :

परंतु आवेदक अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन आवेदक द्वारा प्रशासित अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के तत्स्थानी अधिकारों का प्रशासन करने वाली किसी विदेशी सोसाइटी या संगठन के साथ किसी अन्य देश में आवेदक द्वारा प्रशासित अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के प्रशासन या ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन द्वारा किसी अन्य देश में प्रशासित अधिकारों का भारत में प्रशासन करने के लिए ऐसी विदेशी सोसाइटी या संगठन को न्यस्त करने का करार कर सकेगा।

स्पष्टीकरण : इस अध्याय के प्रयोजन के लिए लिखत से संगम का ज्ञापन और अनुच्छेद अभिप्रेत है।

47. विद्यमान प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन और शर्तें.- (1) धारा 33 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में कारबार करने की वांछ करने वाली प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी पुनः रजिस्ट्रीकरण के लिए इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को प्ररूम IX में आवेदन करेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकरण के अवसान के पूर्व तीन मास की अवधि के भीतर इसके रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन कर सकेगी। ऐसे नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूम IX में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को इसका कारबार निरंतर करने की अनुज्ञा प्रदान करने के लिए

केन्द्रीय सरकार को भेजने के लिए किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कामकाज पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण कर सकेगी।

(3) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में आवेदक साधारण निकाय द्वारा पारित ऐसी घोषणा वाले संकल्प की एक प्रति प्रस्तुत करेगा कि पूर्व लेखा वर्ष तक संगृहीत सभी रोजलटियां सभी पहुंच वाले सदस्यों में वितरित कर दी गई है और इस बाबत कोई शिकायत लंबित नहीं है।

(4) पुनः रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण की दशा में आवेदक इसके अध्यक्ष सहित शासी परिषद् के पुनः निर्वाचन को उपदर्शित करने वाले आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।

48. आवेदनों के साथ दस्तावेज.- नियम 44 और नियम 47 के अधीन किए गए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे -

- (क) उस लिखत की एक सत्य प्रति जिसके द्वारा आवेदक को स्थापित या निगमित किया गया है ;
- (ख) आवेदन में नामित व्यष्टियों की, आवेदक की शासी परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में सहमति ;
- (ग) ऐसी घोषणा, जिसमें आवेदक के उद्देश्य, वे निकाय जिनके माध्यम से यह कार्य करेगी और लेखा और संपरीक्षा के लिए इंतजाम अंतर्विष्ट हो ;
- (घ) इस आशय का वचनबंध कि उस लिखत में, जिसके द्वारा आवेदक स्थापित या निगमित किया गया है, अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुरूप ही उपबंध है ;
- (ङ) लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर की एक प्रति जिसमें लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों की सूची, उनके नाम और पते हों ;
- (च) नियम 47 के अधीन किए गए आवेदन की दशा में उन परिवर्तनों, यदि कोई हों, के बारे में कथन, जो लिखत में अंतिम साधारण निकाय के पश्चात् किए गए हों ; और
- (छ) नियम 47 के अधीन किए गए आवेदन की दशा में साधारण निकाय द्वारा यथा अनुमोदित इस अध्याय में यथा उल्लिखित विभिन्न स्कीमों की प्रतियां ।

49. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें.- (1) जब रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किया जाता है तो सरकार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार से इसकी प्राप्ति की तारीख से छः दिन की अवधि के भीतर या तो आवेदक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्टर कर सकेगी या यदि -

(i) आवेदक के पास उसके कारखाने को चलाने के लिए वृत्तिक सक्षमता नहीं है या इस के कामकाज को चलाने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं है ; या

(ii) कृतियों के विशेष प्रवर्ग में उसी अधिकार या अधिकारों के समुच्चय को प्रशासित करने के लिए अधिनियम के अधीन दूसरी रजिस्ट्रीकृत प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी विद्यमान है और जो ठीक प्रकार कार्य कर रही है ; या

(iii) केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आवेदक के सदस्य सद्भाविक प्रतिलिप्यधिकार लेखक या अन्य स्वामी नहीं है या उन्होंने रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और आवेदक को स्थापित करने वाले लिखत पर स्वेच्छ से हस्ताक्षर नहीं किए हैं ; या

(iv) आवेदन को किसी भी रूप में अपूर्ण पाया जाता है,

तो वह आवेदन को नामंजूर कर देगी :

परंतु ऐसा कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामजूर नहीं किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित प्ररूप X में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में यथाविनिर्दिष्ट इसके रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस नाम से अनुज्ञात प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने और चलाने के लिए हकदार होगी जिसके द्वारा इसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है और आवेदक -

(क) अपने कार्यकलापों से संबंधित सभी सूचनाएं देने वाली स्वयं की वेबसाइट रखेगा ; और

(ख) समुचित अवसंरचना रखेगा जैसे कार्यालय भवन और प्रबंध के लिए आवश्यक पदधारी जैसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अनुज्ञप्ति अधिकारी, विधि अधिकारी और लेखाकार और रजिस्ट्रीकरण का आवेदन करने के समय नियुक्त अन्य अपेक्षित कर्मचारी ।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी केवल उन कृतियों के विशेष प्रवर्ग में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में ही अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान करने का कारबार करेगी जिनके लिए यह रजिस्ट्रीकृत की गई है और उन कृतियों में या अन्य कृतियों के विशेष प्रवर्गों में किसी अन्य अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान नहीं करेगी जिसके लिए इसे रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ।

50. जांच का आदेश, रजिस्ट्रीकरण का निलंबन और प्रशासक की नियुक्ति.- (1) यदि केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के किसी सदस्य की शिकायत पर यह विश्वास करने का कारण है कि प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध इसके संबंधित सदस्यों के हितों के लिए अहितकर रीति में किया गया है या अधिनियम की धारा 33क, धारा 35 की उपधारा (3) और धारा 36 की अपेक्षाओं का अननुपालन किया गया है या इसे पूर्व सूचना दिए बिना उस लिखत में कोई परिवर्तन किया गया है जिसके द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या निगमित और रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो वह सोसाइटी को शिकायत की एक प्रति देगी और सोसाइटी के पन्द्रह कार्यदिवस के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगी ।

(2) यदि सोसाइटी द्वारा दिए गए लिखित कथन पर विचार करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है तो :-

(क) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन अभिकथनों के जांच का आदेश करेगी और जांच करने के लिए भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से अनिम्न किसी जांच अधिकारी को नियुक्त करेगी । जांच के दौरान यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि संबंधित सदस्यों के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति करेगी ; या

(ख) संबंधित सदस्यों के हित में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण निलंबित कर सकेगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए किसी प्रशासक की नियुक्ति कर सकेगी और खंड (क) के अनुसार जांच का आदेश भी कर सकेगी ।

(3) प्रशासक के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्रतिलिप्यधिकार मामलों के प्रशासन या लेखों में पर्याप्त अनुभव वाला कोई व्यक्ति होगा ।

51. **जांच करने के लिए प्रक्रिया.-** (1) नियम 50 के अधीन नियुक्ति जांच अधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जांच करेगा ।

(2) जांच अधिकारी, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट को या भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय में के किसी संपरीक्षा अधिकारी को या किसी विधिक, वित्तीय, प्रतिलिप्यधिकार परामर्शी को जांच में उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कर सकेगा ।

(3) संबंधित प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, जांच अधिकारी को तीन मास की अवधि या ऐसे और समय के भीतर जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किया जाए, जांच पूरी करने में समर्थ बनाने के लिए सभी सहायता देगी और ऐसे सभी दस्तावेज उपलब्ध करवाएगी जो जांच अधिकारी द्वारा मांगे जाए ।

52. **प्रशासक की शक्तियां और कृत्य.-** (1) अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (5) के साथ पठित नियम 50 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति पर प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की सभी शक्तियां उसमें निहित हो जाएंगी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय से भिन्न अन्य सभी प्रतिनिधि निकायों और समितियों का विघटन हो जाएगा ।

(2) प्रशासक, निलंबन की अवधि के अवसान से पूर्व विघटित निकायों के पुनर्गठन का इंतजाम करेगा जिसमें असफल रहने पर इस प्रकार अतिष्ठित निकाय निलंबन की अवधि की समाप्ति पर निलंबन की अवधि को छोड़कर उनकी शेष अवधि के लिए पुनः प्रवर्तित हो जाएंगी ।

53. **प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण.-** केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् इस प्रकार प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकेगा, यदि -

(क) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में दी गई किन्हीं विशिष्टियों को किसी भी समय असत्य या गलत और किसी भी रीति में भ्रामक पाया जाए ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि -

(i) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी जांच अधिकारी से सहयोग करने में असफल रही है ; या

(ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतें सत्य पाई गई हैं ; या

(iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध संबंधित सदस्यों के हितों के प्रति हानिकार रीति में किया गया है ; या

(iv) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके कामकाज का समुचित रूप से प्रबंध करने में लगातार असफल रही है ; या

(v) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी स्कीम के अनुसार रोयल्टियों का वितरण करने में असफल रही है ; या

(vi) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी समुचित रूप से अपने लेखों को रखने और उनकी संपरीक्षा कराने में असफल रही है ; या

(vii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ने लिखत में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए अपनी निधियों का उपयोग किया है ; या

(ग) सोसाइटी ने निम्नलिखित क्रा अनुपालन नहीं किया है -

(i) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा टैरिफ स्कीम के प्रकाशन की बाबत अधिनियम की धारा 33क ; या

- (ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की शासी परिषद् में नियम 44 में यथाविनिर्दिष्ट लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों के बराबर प्रतिनिधित्व की बाबत अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (3) ; या
- (iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विवरण और रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बाबत अधिनियम की धारा 36 ; या
- (iv) रोयलटी के संग्रहण और वितरण के लिए लेखकों और अधिकार के अन्य स्वामियों का अनुमोदन अभिप्राप्त करने की प्रक्रिया ; या

(घ) सोसाइटी कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग में ऐसे अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में अनुज्ञप्ति जारी और प्रदान कर रही है जिसके लिए वह रजिस्टर नहीं है ।

54. वे शर्तें जिनके अधीन कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्राधिकार स्वीकार कर सकेगी और कोई लेखक या अधिकारों का अन्य स्वामी ऐसे प्राधिकार को प्रत्याहृत कर सकेगा.- (1) कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसी कृतियों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में, जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, अधिकार या अधिकारों के समुच्चय को प्रशासित करने के लिए किसी लेखक या अधिकार के अन्य स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता से अनन्य प्राधिकार उस दशा में स्वीकार कर सकेगी यदि ऐसे लेखक या अन्य स्वामी या ऐसे अभिकर्ता ने प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के साथ प्रशासित किए जाने वाले अधिकारों, वह कालावधि जिसके लिए ऐसे अधिकार का प्रशासित किए जाने प्राधिकृत हैं, रोयलटी की सहमत मात्रा और वह आवर्ती जिस पर प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा इसकी टैरिफ और वितरण स्कीम के अनुसार ऐसी रोयलटी संदत्त की जानी है, को विनिर्दिष्ट करने वाला लिखित में करार किया है :

परंतु किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यकन में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति की दशा में किसी सिनेमाघर में चलचित्र फिल्म सहित कृति की संसूचना से भिन्न रोयलटी का हिस्सा, यथास्थिति, कृति के लेखक और फिल्म के स्वामी या ध्वन्यकन के बीच बराबर आधार पर होगा ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी संगृहीत रोयलटियों के लेखक या अधिकारों के अन्य स्वामी को वितरण के लिए कोई शर्त अधिरोपित नहीं करेगी ।

(3) लेखक या अधिकारों का अन्य स्वामी, करार के अधीन अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और साठ दिन की पूर्व सूचना के अधीन रहते हुए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा करार में अधिरोपित इसकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में असफल रहने की दशा में ऐसा प्राधिकार प्रत्याहृत करने के लिए स्वतंत्र होगा ।

(4) चलचित्र फिल्म में, किसी सिनेमाघर में चलचित्र फिल्म के उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ बराबर हिस्से के आधार पर चलचित्र फिल्म में सम्मिलित किसी साहित्यिक और संगीतात्मक कृति के लिए रोयलटी प्राप्त करने का अधिकार उस सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को समनुदेशित नहीं किया जाएगा जिसके लिए इसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है ।

(5) ऐसे ध्वन्यकन में सम्मिलित किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति के लिए जो किसी चलचित्र फिल्म का भाग नहीं है, प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ ऐसी कृतियों के किसी उपयोग के बराबर हिस्से के आधार पर रोयलटी प्राप्त करने का अधिकार उस सोसाइटी से भिन्न किसी अन्य प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को समनुदेशित नहीं किया जाएगा जिसके लिए इसका रजिस्ट्रीकृत किया जाना आशयित है ।

55. वे शर्तें जिनके अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी, रोयलटियों का संग्रहण और ऐसी रोयलटियों का वितरण कर सकेगी.- (1) कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी कर सकेगी और कृतियों के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, अधिकार या अधिकारों के

समुच्चय के संबंध में टैरिफ स्कीम के अनुसार रोयलटियों का संग्रहण कर सकेगी क्योंकि उस अवधि के लिए जिसके लिए उसे इस प्रकार प्राधिकृत किया गया है, सदस्यों द्वारा लिखित में प्रशासित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(2) इस प्रकार संगृहीत रोयलटी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा उपगत प्रशासनिक खर्चों के लिए कुल वार्षिक संग्रहण की पन्द्रह प्रतिशत से अनधिक कटौती और नियम 71 के अधीन कल्याण स्कीम के लिए पांच प्रतिशत से अनधिक की और कटौती के अधीन रहते हुए वितरण स्कीम के अनुसार वितरित की जाएगी :

परंतु कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके रजिस्ट्रीकरण के आरंभिक दो वर्षों के दौरान सोसाइटी द्वारा उपगत प्रशासनिक खर्चों के कारण कुल वार्षिक संग्रहण की बीस प्रतिशत तक कटौती कर सकेगी।

56. टैरिफ स्कीम.- (1) यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में उस तारीख से तीन मास के अपश्चात् जिसको प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, इसके प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने के लिए हकदार हुई है, अधिनियम की धारा 33क के अधीन "टैरिफ स्कीम" के नाम से ज्ञात टैरिफ स्कीम की विरचना करेगी जिसमें उन रोयलटियों की प्रकृति और मात्रा प्रदर्शित की जाएगी जिनका इसके द्वारा प्रशासित कृतियों के विशेष प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के संबंध में संगृहीत किया जाना प्रस्तावित है।

(2) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसकी टैरिफ स्कीम को इसकी वेबसाइट पर डालकर प्रदर्शित करेगी।

(3) टैरिफ स्कीम में निम्नलिखित के लिए पृथक्-पृथक् दरें उपदर्शित की जाएंगी -

- (क) उपयोक्ताओं के विभिन्न प्रवर्ग ;
- (ख) समुपयोजन के विभिन्न माध्यम जैसे दूरभाष, प्रसारण या इंटरनेट ;
- (ग) समुपयोजन के विभिन्न प्रकार चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा या समूह द्वारा हों या एकल या बहु उपयोग या विज्ञापन के लिए हो ;
- (घ) उपयोग की विभिन्न कालावधियां और राज्यक्षेत्र ; और
- (ङ) सोसाइटी द्वारा उपदर्शित ऐसा कोई अन्य अंतर करने वाला कारण, जो वह उचित समझे।

(4) टैरिफ नियत करते समय प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी न्यायालय या बोर्ड, यदि कोई हों, द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुसरण करेगी और उपयोक्ता समूहों से परामर्श कर सकेगी।

(5) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस दशा में किसी अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम रूप से रोयलटियां संगृहीत करेगी जहां टैरिफ स्कीम में रोयलटियों के एकमुश्त संदाय का उपबंध है। उस दशा में जब टैरिफ स्कीम में किस्तों में संदाय का उपबंध है तब प्रत्येक किस्त अग्रिम रूप से संगृहीत की जाएगी। तथापि उस दशा में जब टैरिफ स्कीम में रोयलटियों का संदाय वास्तविक उपयोग के आधार पर करने का उपबंध है तब प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्ति जारी करने के समय अग्रिम संगृहीत कर सकेगी और वास्तविक उपयोग पर आधारित अंतिम संदाय का परिनिर्धारण उस अवधि के अंत में किया जा सकेगा जिसके लिए अनुज्ञप्ति जारी या प्रदान की गई है :

परंतु उस दशा के सिवाय जहां टैरिफ स्कीम में विनिर्दिष्ट रूप से आपवादिक परिस्थितियां सम्मिलित की गई है और शासी परिषद् द्वारा एकल मामला अनुमोदित किया गया है, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से न्यूनतम प्रत्याभूति के रूप में कोई संदाय प्राप्त नहीं करेगी जिसके रोयलटी संदाय ऐसे वास्तविक उपयोग पर आधारित है जिनका सोसाइटी के साथ परिनिर्धारण अनुज्ञप्ति अवधि के अंत में किया जाना है।

(6) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, नियमों का अनुसरण करते हुए सावधिक रूप से, किंतु बारह मास की अवधि से पहले नहीं, टैरिफ स्कीम को पुनरीक्षित कर सकेगी। वह पुनरीक्षित टैरिफ स्कीम की तारीख को इसके प्रवृत्त होने से कम से कम दो मास पूर्व प्रकाशित करेगी और उसे इसकी वेबसाइट पर डाला जाएगा।

57. टैरिफ स्कीम पर बोर्ड को अपील.- (1) टैरिफ स्कीम द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ धारा 33क के अधीन बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(2) यदि बोर्ड का अपील के आधारों पर समाधान हो जाता है तो वह -

(क) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी पर अपील की एक प्रति तामील करेगा ; और

(ख) अपीलार्थी और प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को भी सुने जाने का अवसर देगा और अपील के संबंध में ऐसी साक्ष्य ले सकेगा जो वह उचित समझे।

(3) अपीलार्थी, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को बोर्ड द्वारा नियत कोई भी अंतरिम टैरिफ संदत्त करेगा जो बोर्ड को अपील फाइल करने के पूर्व देय हो गया है।

(4) बोर्ड, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् कोई अंतरिम टैरिफ नियत कर सकेगा और अपीलार्थी को अपील का निपटान लंबित रहने तक तदनुसार संदाय करने का निदेश दे सकेगा।

(5) बोर्ड निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् धारा 33 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की टैरिफ स्कीम अवधारित करेगा -

(क) कृतियों के ऐसे वाणिज्यिक उपयोग की बाबत रोयल्टियों के विद्यमान मानक ; और

(ख) ऐसे अन्य विषय जो बोर्ड द्वारा सुसंगत समझे जाएं।

(6) बोर्ड अपील का निपटारा इसको फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास के भीतर करेगा।

58. वितरण स्कीम.- (1) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, यथाशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में उस तारीख से तीन मास के अपश्चात् जिसको प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, इसके प्रतिलिप्यधिकार कारबार को प्रारंभ करने के लिए हकदार हुई है, "वितरण स्कीम" के नाम से ज्ञात स्कीम की विरचना करेगी जिसमें उन सदस्यों में टैरिफ स्कीम में विनिर्दिष्ट रोयल्टियों के वितरण की प्रक्रिया प्रदर्शित की जाएगी जिनका नाम सोसाइटी के साधारण निकाय के अनुमोदन के लिए नियम 59 के खंड (i) के अधीन अनुरक्षित लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर में प्रविष्ट है।

(2) वितरण, युक्तियुक्त रूप से, कृतियों के उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय के लिए अनुज्ञप्तियां प्रदान करने से व्युत्पन्न प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की रोयल्टी आय के अनुपात में होगा जिसके लिए ये प्रत्येक लेखक या अधिकार के अन्य स्वामी को प्रशासित कर रही है।

(3) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा रोयल्टियों के वितरण में लेखकों और अधिकारों के अन्य स्वामियों के बीच कोई विभेद नहीं किया जाएगा।

(4) रोयल्टियों का वितरण करते समय प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उस आधार के बारे में सभी सदस्यों को सूचित करेगी जिस पर रोयल्टियों की ऐसी रकम वितरित की गई है।

- (5) वितरण स्कीम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रोयलटी वितरण निष्पक्ष, सही, लागत प्रभावी और बिना किसी अज्ञात या अप्रकट प्रति सहायकियों के है।
- (6) सोसाइटी इसके सदस्यों के वितरण के हिस्से को अवधारित करने के लिए पारदर्शी रीति में परिभाषी नियत करेगी और उसके ब्यारे इसके सदस्यों को सुगमता से समझने योग्य रीति में प्रकट करेगी।
- (7) रोयलटियों का वितरण वास्तविक उपयोग या ऐसे विश्वसनीय सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित होगा कि अनुज्ञप्त अधिकारों के वाणिज्यिक समुपयोजन को ऋजुपूर्वक व्यपदिष्ट करें।
- (8) वितरण स्कीम में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी सदस्यों को रोयलटियां एक तिमाही में कम से कम एक बार वितरित की गई है।
- (9) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी इसके सदस्यों को देय रोयलटियों के हिस्से के विरुद्ध इसके सदस्यों को न्यूनतम प्रत्याभूति के रूप में कोई भी संदाय नहीं करेगी।
- (10) किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यकन में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में अधिकारों की अनुज्ञप्ति के लिए टैरिफ स्कीम के आधार पर संगृहीत रोयलटियों का साहित्यिक या संगीत कृतियों के लेखकों और धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन चलचित्र फिल्म या ध्वन्यकन में अधिकारों के स्वामियों का बराबर आधार पर हिस्सा होगा।

59. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का प्रबंध.- (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी -

- (क) की एक साधारण निकाय होगी जो कृतियों के लेखकों और उन विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों के समुच्चय वाले अन्य स्वामियों से मिलकर बनेगी जिसके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी और प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;
 - (ख) की एक शासी परिषद् होगी जिसमें एक अध्यक्ष और कम से कम छः अन्य सदस्य होंगे ; और
 - (ग) का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा (जो सोसाइटी का सदस्य हो सकेगा या नहीं हो सकेगा)।
- (2) साधारण निकाय सोसाइटी के मामलों में विनिश्चय करने वाली निकाय होगी। सोसाइटी के प्रभावी प्रबंध के प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक शक्तियां साधारण निकाय के पास होंगी और शासी परिषद्, साधारण निकाय के निदेशानुसार कार्य कर सकेगी।
 - (3) अध्यक्ष का निर्वाचन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किया जाएगा।
 - (4) शासी परिषद् का अध्यक्ष साधारण निकाय की अध्यक्षता करेगा।
 - (5) अध्यक्ष को साधारण निकाय और शासी परिषद् में मत देने का अधिकार होगा।
 - (6) शासी परिषद् के अध्यक्ष से भिन्न सदस्य, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की साधारण निकाय बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा साधारण निकाय से निर्वाचित लेखकों और अन्य स्वामियों में से बराबर प्रतिनिधित्व करेंगे।

(7) शासी परिषद् के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का निर्वाचन दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा और उसके सदस्य, इस प्रकार सदस्य के रूप में उनकी पदावधि पूर्ण होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के लिए पुनः निर्वाचित होने के पात्र नहीं होंगे।

(8) साधारण निकाय, शासी परिषद् के पर्यवेक्षणाधीन टैरिफ स्कीम, वितरण स्कीम, कल्याण स्कीम और उससे संबंधित अन्य विषयों को तैयार करने के लिए उप समितियां सृजित कर सकेगी।

(9) साधारण निकाय सोसाइटी के लिखत का अनुमोदन करेगी जिसके अंतर्गत उसमें कोई पश्चात्पूर्ति परिवर्तन भी है।

60. स्कीमों का अनुमोदन.- (1) जैसे ही शासी परिषद् द्वारा इन नियमों में कोई स्कीम तैयार की जाती है तो प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उसके अनुमोदन के लिए साधारण निकाय बैठक बुलाएगी।

(2) बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को इक्कीस दिन से अन्यून की सूचना दी जाएगी और सूचना के साथ उक्त स्कीम के बनाए जाने में अनुसरण किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों पर टिप्पणी सहित प्रस्तावित स्कीम की एक प्रति उपाबद्ध की जाएगी और उसे सोसाइटी की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि कोई भी सदस्य जो स्कीम पर आक्षेप करे, उक्त स्कीम के प्रारंभ की तारीख से उसकी कृति में कोई अधिकार प्रशासित करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को दिए गए प्राधिकार का प्रत्याहरण करने का हकदार होगा।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी ऐसे सदस्यों का अभिलेख रखेगी जिन्होंने अनुमोदन किया है और जिन्होंने उस पर आक्षेप किया है।

(5) स्कीम का अनुमोदन व्यक्तिगत रूप से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा।

(6) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी भी अनुमोदित स्कीम का संशोधन साधारण निकाय के पूर्व अनुमोदन के सिवाय नहीं करेगी।

61. सोसाइटी की बैठकें.- (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से पूर्व वार्षिक साधारण निकाय बैठक के रूप में इसके सभी सदस्यों की साधारण निकाय बैठक आयोजित करेगी।

(2) शासी परिषद् के दो तिहाई बहुमत द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो साधारण निकाय के सभी सदस्यों द्वारा असाधारण निकाय की बैठक के नाम से ज्ञात एक साधारण निकाय की बैठक भी आयोजित की जा सकेगी।

(3) साधारण निकाय और शासी परिषद् की बैठकें उस कस्बे या शहर में जिसमें उसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय है या उस सुविधाजनक स्थान पर जिसका सोसाइटी के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, आयोजित की जाएंगी।

(4) साधारण निकाय की बैठक के लिए सूचना बैठक के इक्कीस दिन पूर्व जारी की जाएगी और इसमें बैठक के स्थान का पता, एजेन्डा, समय और तारीख को विनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा इसे सोसाइटी की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाएगा।

(5) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को साधारण निकाय की बैठकों में मत देने का समान अधिकार होगा।

(6) ऐसे सदस्यों जो लेखक हैं और अधिकांश के अन्य स्वामी सदस्यों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।

(7) साधारण निकाय की बैठक में गणपूर्ति कुल सदस्यों की एक तिहाई होगी और गणपूर्ति के अभाव में बैठक को तीस मिनट के लिए स्थगित किया जा सकेगा और तब उपस्थित सदस्य गणपूर्ति होंगे ।

(8) शासी परिषद की बैठकों के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष से भिन्न लेखक और अन्य स्वामियों की समान संख्या में उसके कुल सदस्यों का एक तिहाई होगी ।

(9) प्रतिलिप्याधिकार रजिस्ट्रार को साधारण निकाय की सभी बैठकों में पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया जाएगा । रजिस्ट्रार या इस निमित्त उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि उक्त बैठकों में भाग ले सकेगा ।

62. साधारण निकाय की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज -प्रत्येक प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी अपनी साधारण निकाय की वार्षिक बैठक के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगी :-

(i) लेखकों या अन्य अधिकार स्वामियों की या कार्यों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में जिनके लिए प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के नाम और पते की अद्यतन सूची या जैसा कि लेखक और स्वामी रजिस्टर में अनुरक्षित यथा अभिलिखित सैट जैसा कि नियम 64 के उपनियम (1) में यथाउपबंधित है ;

(ii) पूर्ववर्ती वर्ष के लिए सोसाइटी के संपरीक्षित लेखे ;

(iii) टैरिफ स्कीम और वितरण स्कीम या कोई अन्य स्कीम जिसके अंतर्गत उक्त स्कीमों पर प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के विनिश्चय, यदि कोई हों, हैं ;

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान उसके कार्यकलापों के पूर्ण और विस्तृत ब्यौरे देते हुए शासी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट ;

(v) पश्चातवर्ती वर्ष के लिए शासी परिषद द्वारा यथा अनुमोदित बजट आकलनों के साथ कार्रवाई करने के लिए कार्यक्रम ;

(vi) अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन विदेशी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के साथ किए गए करार, यदि कोई हों ;

(vii) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण लिखित में किए गए कोई परिवर्तन ; और

(viii) सोसाइटी से संबंधित कोई अन्य दस्तावेज जिसके लिए साधारण निकाय का अनुमोदन अपेक्षित है ।

63. लेखा और लेखा परीक्षा - (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी किसी वित्त वर्ष में संगृहीत राजस्व का, सदस्यों को ऐसे संग्रहणों से किए गए संदायों का और मुकदमेबाजी की लागत सहित प्रशासनिक और अन्य विषयों को चुकाने के लिए किए गए आवर्ती और अनावर्ती व्यय सहित सदस्यों को ऐसे संग्रहणों से किए गए संदायों का समुचित लेखा रखेगी ।

(2) लेखा बहियां सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखी जाएंगी और साधारण निकाय द्वारा अधिकथित शर्तों के अनुसार समय-समय पर सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी ।

(3) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपने खातों की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से वार्षिक रूप से लेखा परीक्षा करवाएगी ।

64. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अभिलेख - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपने रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय में निम्नलिखित रजिस्ट्रेशनों का अनुक्षण करेगी -

(i) कार्यों की विशिष्ट श्रेणियों में जिनके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है की बाबत अधिकार या अधिकारों के सेट के लिए " लेखकों और अन्य स्वामियों का रजिस्टर" के नाम से लेखकों और अन्य स्वामियों का रजिस्टर । इस रजिस्टर में लेखकों और अन्य स्वामियों का नाम, उनके पते, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारों की प्रति, कार्य के प्रकाशन का वर्ष, वह तारीख जिसको

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अनुज्ञप्तियां जारी करने के लिए हकदार बनी और ऐसी हकदारी की अवधि, वह क्षेत्र जिसके लिए प्राधिकरण दिया गया और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारों को अंतर्विष्ट किया जाएगा ;

(ii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा लेखकों और अन्य स्वामियों के साथ किए गए करारों की एक प्रति अंतर्विष्ट रखने वाला, "करारों का रजिस्टर" नाम से ज्ञात इस प्रयोजन के रजिस्टर ;

(iii) "स्वामियों का रजिस्टर" के नाम से एक रजिस्टर का जिसमें राजस्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी और उसमें उन व्यक्तियों या संगठनों के नाम और अनुज्ञप्ति करारों की प्रति रखी जाएगी जिनसे राजस्व की वसूली की गई है और वसूली की तारीख सहित इस प्रकार वसूली गई रकम का वर्णन किया जाएगा ;

(iv) "संवितरण रजिस्टर" के नाम से एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक लेखक या अन्य अधिकार या अधिकारों की विशिष्ट कार्यों की श्रेणी में संवितरित राजस्वों के ब्यौरे, श्रेणीवार, लेखक या अन्य स्वामी के नाम, उसके अधिकार की प्रकृति और उसको संवितरण किए गए राजस्व की रकम और तारीख का वर्णन करते हुए अंतर्विष्ट होंगे ।

65. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाने वाली विवरणियां - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी वार्षिक विवरणी के नाम से प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास प्रत्येक वार्षिक साधारण निकाय की बैठक के समाप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे उपदर्शित किए जाएंगे, अर्थात् :-

(i) वार्षिक विवरणी फाइल करने से ठीक पूर्व आयोजित वार्षिक साधारण निकाय की बैठक की तारीख, ऐसी बैठक में भाग लेने वाले कुल सदस्य की संख्या, ऐसी बैठक का एजेंडा और कार्यवृत्त ;

(ii) सदस्यों की अद्यतन सूची नियम 64 में यथाउपबंधित प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी द्वारा रखे जाने वाले लेखकों और स्वामियों के रजिस्टर में यथाअभिलिखित उनका नाम और पता ;

(iii) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के संपरीक्षित लेखे ;

(iv) टैरिफ स्कीम, संवितरण स्कीम और अन्य स्कीमें, यदि कोई हों ;

(v) वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा देते हुए साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट ;

(vi) ऐसे सदस्यों की सूची जिन्हें राजस्वों का संवितरण नहीं किया गया है और उसके कारण ; और

(vii) संवितरित रकम के साथ ऐसे सदस्यों की सूची जिन्हें राजस्वों का संवितरण किया गया है ।

66. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों के लिए आचार-संहिता - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी निम्नानुसार आचार-संहिता का अनुपालन करेगी :-

(1) प्रत्येक सोसाइटी अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित उपलब्ध कराएगी -

(क) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र ;

(ख) संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, संविधान या चार्टर जैसे मूल दस्तावेज ;

(ग) साधारण निकाय के सभी सदस्यों की सूची ;

(घ) अध्यक्ष, शासी परिषद के अन्य सदस्यों और सोसाइटी के अन्य अधिकारियों के नाम और पते ;

(ङ) कार्यों की विशिष्ट श्रेणियों जिनके लिए प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, के अधिकार या अधिकारों का सेट ;

(च) सोसाइटी की सभी स्कीमें ;

(छ) साधारण निकाय द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित लेखे ;

- (ज) अनुज्ञप्ति करार का प्रारूप ;
- (झ) सिवाय अनुज्ञप्ति में उन खंडों से भिन्न जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं, सभी अनुज्ञप्तियों के ब्यौरे ;
- (ञ) ऐसी विदेशी सोसाइटियां जिनके साथ राजस्व संग्रहण के करार हैं और उन खंडों से भिन्न जो वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील हैं, सभी करारों के ब्यौरे ;
- (ट) परिवाद या शिकायत प्रकोष्ठ के ब्यौरे ; और
- (ठ) आचार-संहिता ।
- (2) सदस्यों -
- (क) के साथ न्यायोचित, ईमानदारीपूर्वक, पक्षपातरहित, शालीनता से व्यवहार किया जाएगा और यह सुनिश्चय किया जाएगा कि उनके साथ पारदर्शिता से बरता जाए ;
- (ख) को संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, संविधान, चार्टर, टैरिफ स्कीम और संवितरण स्कीम जैसे मूल दस्तावेजों की एक प्रति शामिल होने के समय या किसी भी समय अनुरोध करने पर उपलब्ध कराई जाएगी ;
- (ग) को शासी परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों सहित प्रत्येक सदस्य की शक्तियों और दायित्वों को उपदर्शित करने वाले दस्तावेज की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी ; और
- (घ) उन्हें निम्नलिखित उपलब्ध कराया जाएगा -
- (i) सदस्यों को संदाय किए जाने वाले राजस्वों की संगणना का आधार ;
- (ii) सदस्यों को संदायों की रीति और आवर्ती ; और
- (iii) संवितरण से पहले कुल आय में से कटौती की साधारण प्रकृति ।
- (3) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों को संवितरण स्कीम के अनुसार संदायों का वितरण करेगी ।
- (4) प्रत्येक सोसाइटी अनुज्ञप्तिधारियों से न्यायोचित रूप से, ईमानदारी से बिना किसी पक्षपात से और शालीनता से व्यवहार करेगी और यह सुनिश्चय करेगी कि अनुज्ञप्तिधारियों के साथ उसका बर्ताव अधिक पारदर्शी हो ।
- (5) प्रत्येक सोसाइटी टैरिफ स्कीम नियत करते समय निम्नलिखित का पालन करेगी, अर्थात् :-
- (क) अनुज्ञप्ति फीस का न्यायोचित और युक्तियुक्त होना ;
- (ख) कार्य के अधिकारों के मूल्य का ध्यान रखना ;
- (ग) वह प्रयोजन और रीति जिसमें अधिकारों का उपयोग किया जाना है ;
- (घ) बोर्ड के कोई सुसंगत विनिश्चय ; और
- (ङ) टैरिफ स्कीम का उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने की दशा में उस कार्य के प्रसार के संवर्धन में उद्योग द्वारा निर्वाह की जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उसका योगदान तथा जहां तक संभव हो सके अनुज्ञप्तिधारियों के साथ परामर्श ।
- (6) प्रत्येक सोसाइटी ऑन लाइन आवेदन, राजस्वों के संदाय और जहां तक व्यवहार्य हो ऑन लाइन अनुज्ञप्ति जारी करने की प्रसुविधा का उपबंध करेगी ।
- (7) प्रत्येक सोसाइटी निम्नलिखित का सुनिश्चय करेगी -
- (क) यह कि शासी परिषद के सदस्य साधारण निकाय के प्रति जवाबदेह हैं ;
- (ख) राजस्वों के संग्रहण और वितरण तथा व्ययों सहित उचित और पूर्ण वित्तीय अभिलेखों का अनुदक्षण ; और

- (ग) किसी अर्हित चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा उसके लेखों की वार्षिक लेखा परीक्षा ।
- (घ) प्रत्येक सोसाइटी परिवारों और शिकायतों से बस्तने के लिए प्रक्रिया का निम्नानुसार अनुपालन करेगी :-
- (क) शिकायत या परिवार प्रकोष्ठ का गठन करेगी और उन्हें अपनी वेबसाइट पर पोस्ट करेगी ;
- (ख) शिकायत किस प्रकार की जाए के संबध में सूचना और किसी शिकायत विरचना और उसके करने में परिवारकर्ता की युक्तियुक्त सहायता ;
- (ग) किसी परिवार की प्राप्ति पर तुरंत परिवार की पावती की अभिस्वीकृति ;
- (घ) परिवार की प्रकृति और परिवारकर्ता के ब्यौरों का सत्यापन ;
- (ङ) परिवार की जांच करना और यदि आवश्यक हो तो परिवारकर्ता को सुने जाने का अवसर प्रदान करना ;
- (च) दो मास की अवधि के भीतर परिवार का निपटान और परिवारकर्ता को लिखित प्रत्युत्तर प्रदान करना ;
- (छ) परिवारों से निपटने उन्हें दूर करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना ; और
- (ज) परिवारों से निपटने और उन्हें दूर करने की प्रक्रिया तथा उसके लिए तंत्र का आवधिक पुनर्विलोकन ।

67. प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी की कल्याण निधि - प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी उसके साधारण निकाय द्वारा यथावधारित अनुसार अपने सदस्यों के कल्याण के लिए किसी स्कीम की विरचना कर सकेगी और संगृहीत अपने कुल राजस्वों का पांच प्रतिशत और किन्हीं संबंधित सदस्यों के उपलब्ध न होने के कारण किसी अवितरित रकम को स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए रख सकेगी ।

अध्याय 12

प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी

68. प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण और प्रबंधन - (1) धारा 38क की उपधारा (1) और उपधारा (2) के परंतुक तथा धारा 39क के अधीन प्रस्तुतिकर्ताओं की बाबत अनुज्ञप्तियां जारी करने या प्रदत्त करने के कारबार को चलाने के प्रयोजन के लिए, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नर्तक, नट, बाजीगर, जादूगर, सपेरे, संभाषण करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई अन्य समूह जो कोई प्रस्तुति कर सकता है जैसे प्रस्तुतिकर्ताओं के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं की एक पृथक सोसाइटी होगी :

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार प्रस्तुतिकर्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं के परस्पर सहबद्ध होने या एक-दूसरे से निकट संबध होने की दशा में सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञात कर सकेगी ।

(2) ऐसी सोसाइटी उस विशिष्ट प्रवर्ग के लिए प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी के नाम से ज्ञात होगी ।

(3) धारा 39क के उपबंधों के अनुसार उपनियम (1) में वर्णित प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी का स्वतंत्र विधिक व्यक्तित्व होगा जो सात या अधिक प्रस्तुतिकर्ताओं से मिलकर बनेगी (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा जाएगा) ऐसा कारबार करने के लिए और उसको प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए अनुज्ञा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रस्म 11 में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के पास आवेदन फाइल कर सकेगी ।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों से संबंधित इन नियमों का अध्याय 11 सिवाय नियम 44 के उपनियम (1) के आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों सहित प्रस्तुतिकर्ताओं की सोसाइटियों पर भी लागू होगा ।

स्पष्टीकरण 1.- उपधारा (1) के खंड (क) के (i) से (v) और धारा 38क की उपधारा (2) के परंतुक में प्रस्तुतिकर्ताओं के अधिकार के उपभोग से संगृहीत राजस्व को प्रस्तुतिकर्ता और अन्य प्रतिलिप्यधिकार स्वामी के बीच बराबर बांटा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2.- धारा 38क की उपधारा (2) के परंतुक में वर्णित वाणिज्यिक उपयोग से पुनःप्रस्तुतिकरण, प्रतियां जारी करना या वितरण, पब्लिक को संप्रेषण जिसके अंतर्गत सिनेमेटोग्राफ फिल्म का प्रसारण और वाणिज्यिक रूप से भाटक पर देना है, अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 3.- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए प्रस्तुति में किसी प्रस्तुतिकर्ता का किसी स्टूडियो या अन्यथा में ध्वनि और दृश्य में दृश्य या ध्वनित्मक प्रस्तुतिकरण का अभिलेखन शामिल है।

अध्याय 13

प्रतिलिप्यधिकार का रजिस्ट्रीकरण

69. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर का प्रारूप - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में छह भागों में रखा जाएगा, अर्थात् :-

भाग I - कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियां और संकलन जिसके अंतर्गत कंप्यूटर डाटाबेस और नाटक कार्य भी हैं, से भिन्न साहित्यिक कार्य।

भाग II - संगीत कार्य

भाग III - कलात्मक कार्य

भाग IV - सिनेमेटोग्राफ फिल्में

भाग V - ध्वन्यंकन

भाग VI - कंप्यूटर कार्यक्रम, सारणियां और संकलन जिसके अंतर्गत कंप्यूटर डाटाबेस हैं।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रारूप 13 में विनिर्दिष्ट विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी।

70. प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन - (1) प्रतिलिप्यधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 14 में किया जाएगा और प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्यधिकार विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन प्रारूप 15 में किया जाएगा।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन केवल एक कार्य की बाबत होगा और इसके साथ इस निमित्त दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस/संलग्न होगी।

(3) प्रत्येक आवेदन पर केवल आवेदन द्वारा जो लेखक या अधिकार का स्वामी हो सकेगा, द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। यदि आवेदन प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसके साथ उसके पक्ष में लेखक द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की मूल प्रति होगी।

(4) किसी अप्रकाशित कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ कार्य की दो प्रतियां संलग्न होंगी।

(5) किसी कंप्यूटर कार्यक्रम के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ सोर्स और ऑब्जेक्ट कूट होगा।

(6) किसी कलात्मक कार्य जो किन्हीं मालों के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किया जा सकता है, की बाबत प्रत्येक आवेदन के साथ इस निमित्त एक कथन संलग्न होगा और उसके साथ व्यापार चिह्न रजिस्ट्रार से व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3 में निर्दिष्ट इस प्रभाव का प्रमाणपत्र होगा कि उस अधिनियम के अधीन उस नाम से उस कलात्मक कार्य के समान या उससे प्रवंचित रूप से समान किसी व्यापार चिह्न को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है या ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन नहीं किया गया है।

(7) किसी कलात्मक कार्य जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन किसी डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए सक्षम है के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए शपथपत्र के प्रारूप में एक कथन होगा, अर्थात् :-

- (क) इसे डिजाइन अधिनियम, 2000 के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है ; और
- (ख) इसका उपयोग किसी चीज में औद्योगिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं किया गया है और इसका पचास बार से अनधिक प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
- (8) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में व्यक्ति द्वारा डाक के माध्यम से या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट पर यथाउपबंधित ऑन लाइन फाइलों प्रसुविधा द्वारा फाइल किया जा सकता है ।
- (9) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति अपने आवेदन की सूचना प्रत्येक व्यक्ति को देगा जिसका प्रतिलिप्यधिकार की विषय-वस्तु में कोई दावा या कोई हित है या वह आवेदक के दावे पर कोई विवाद करता है ।
- (10) आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर यदि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार का आवेदन में दी गई विशिष्टियों के ठीक होने के विषय में समाधान हो जाता है तो वह ऐसी विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में दर्ज करेगा ।
- (11) यदि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार उपनियम (7) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आक्षेप प्राप्त करता है या उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदन में दी गई विशिष्टियां सही नहीं हैं तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा कि वह उचित समझे, कार्य की ऐसी विशिष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में दर्ज करेगा जैसा कि वह उचित समझे ।
- (12) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए फाइल किए गए आवेदन को अस्वीकार्य करने से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।
- (13) रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को केवल तभी पूरा हुआ माना जाएगा जब प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की प्रति पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या उप प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार जिसे ऐसा प्राधिकार प्रदत्त किया गया है, हस्ताक्षर करे और जारी करे ।
- (14) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, यथासंभवशीघ्र जहां व्यवहार्य हो, प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की एक प्रति संबंधित पक्षकारों को भेजेगा ।

71. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों में शुद्धि और परिशोधन - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर धारा 49 में विनिर्दिष्ट प्रविष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में, जहां व्यवहार्य हो, ऐसे संशोधन या परिवर्तन से प्रभावित व्यक्ति को ऐसे संशोधन या परिवर्तन के विरुद्ध हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् संशोधित या परिवर्तित कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार किए गए संशोधन या परिवर्तन से संसूचित करेगा ।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों को प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त धारा 50 के अधीन किए गए आवेदन पर बोर्ड द्वारा पारित आदेश के पश्चात् परिशोधित कर सकेगा ।

72. इंडेक्स - (1) प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय में निम्नलिखित इंडेक्स भौतिक और इलैक्ट्रॉनिक दोनों रूप में प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर के प्रत्येक भाग के लिए रखे जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) साधारण लेखक इंडेक्स ;
 - (ii) साधारण शीर्षक इंडेक्स ;
 - (iii) प्रत्येक भाषा में कार्यों का एक लेखक इंडेक्स ; और
 - (iv) प्रत्येक भाषा में कार्यों का एक शीर्षक इंडेक्स ।
- (2) प्रत्येक इंडेक्स को कार्डों के रूप में वर्णानुक्रम में रखा जाएगा ।

73. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और इंडेक्स का निरीक्षण - प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर और उसके इंडेक्स सभी व्यक्तिव्यक्त समय पर किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन उपलब्ध होंगे जैसा

कि प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे। प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और इंडेक्सों की ऑन लाइन खोजबीन या निरीक्षण का उपयोग दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट फीस का ऑन लाइन संदाय करने पर किया जा सकता है।

74. प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और इंडेक्स की प्रतियां और उद्धरण - (1) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा प्रबंध किए गए अधीक्षण के अधीन रहते हुए, कोई व्यक्ति दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार या इंडेक्सों की प्रतियां लेने का या उनसे उद्धरण करने का हकदार होगा।

(2) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार इस निमित्त किए गए आवेदन पर और दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार और उसके इंडेक्सों में की गई प्रविष्टियों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 14

कार्यों की स्थायी या अनुषंगी प्रतियों का भंडारण

75.(1) किसी प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी व्यक्ति को जिसने कार्य के स्थायी या आनुषांगिक भंडारण तक इलेक्ट्रॉनिक लिंक, पहुंच या एकीकरण को सुकर बनाया है लिखित शिकायत कर सकेगा कि वह कार्य के ऐसे भंडारण को अवरुद्ध करे।

(2) लिखित परिवाद में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, अर्थात् :-

(क) कार्य की पहचान करने के लिए पर्याप्त सूचना के साथ कार्य का विवरण ;

(ख) यह सिद्ध करने के लिए ब्यौरे कि परिवादकर्ता कार्य का स्वामी है या कार्य के प्रतिलिप्यधिकार का अनन्य अनुज्ञापिधारी है ;

(ग) यह सिद्ध करने के लिए ब्यौरे कि कार्य की वह प्रति जो अस्थायी या अनुषांगिक भंडारण की विषयवस्तु है जो कि परिवादकर्ता के स्वामित्वाधीन कार्य की अतिलंघनकारी प्रति है और यह कि अतिलंघनकारी कृत्य धारा 52 के अधीन या किसी अन्य अधिनियम जो अधिनियम के अधीन अनुज्ञेय है, के अधीन नहीं आता है ;

(घ) उस अवस्थिति के ब्यौरे जहां कार्य का अस्थायी या अनुषांगिक भंडारण किया जा रहा है ;

(ङ) उस व्यक्ति के ब्यौरे, यदि ज्ञात है, जो कि परिवादकर्ता के प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन कर रहा है, को अपलोड करने के लिए उत्तरदायी है ; और

(च) यह वचनबंध कि परिवादकर्ता सक्षम न्यायालय में अतिलंघनकारी प्रति को अपलोड करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अतिलंघनकारी वाद फाइल करेगा और अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के आदेशों को सूचना की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रति के भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का लिखित परिवाद की प्राप्ति पर परिवाद में उपबंधित ब्यौरों से यह समाधान हो जाता है कि कार्य की प्रति एक अतिलंघनकारी प्रति है, छत्तीस घंटे के भीतर वह ऐसी पहुंच को परिवाद की प्राप्ति की तारीख से इक्कीस दिन तक या तब तक जब तक कि वह सक्षम न्यायालय से पहुंच को सुकर बनाने से अवरुद्ध करने के लिए आदेश प्राप्त नहीं कर लेता है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उपाय करेगा।

(4) भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति एक सूचना का प्रदर्शन करेगा जिसमें तथाकथित अतिलंघनकारी प्रति तक पहुंच के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को ऐसी पहुंच से अवरुद्ध करने के कारण दिए गए हों।

(5) भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कार्य के भंडारण को पुनःआरंभ कर देगा यदि परिवादकर्ता अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के उसे अवरुद्ध करने के आदेशों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है।

(6) उपदर्शित अवधि के भीतर अधिकारिता रखने वाल सक्षम न्यायालय के आदेशों को प्रस्तुत करने में परिवादकर्ता के असफल रहने की दशा में, भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति उसी परिवादकर्ता द्वारा उसी कार्य के लिए उसी अवस्थिति में भेजी गई और सूचना का प्रत्युत्तर देने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

अध्याय 15

निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रही संगठनों द्वारा कार्य करना या उसका अनुकूलन

76. अभिलेखों का अनुरक्षण - निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रही संगठन जो किसी सुलभ प्रारूप में किसी कार्य का अनुकूलन करने, पुनःप्रस्तुत करने, प्रतियां या पब्लिक को संप्रेषण करने का आशय रखते हैं तो वह अपने कारबार के प्रधान स्थान पर निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए एक रजिस्टर रखेंगे, अर्थात् :-

- (क) कार्य का नाम, लेखक या स्वामी या प्रकाशक के नाम सहित प्रकाशन का वर्ष ;
- (ख) उस सुलभ प्रारूप के ब्यौरे जिसमें कार्य किया गया है ;
- (ग) अनुकूलन, पुनःप्रस्तुति, प्रतियां जारी करना या पब्लिक को संप्रेषण जैसे कार्यकलापों की प्रकृति ;
- (घ) की गई प्रतियों की कुल संख्या, निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की सूची जिन्हें प्रतियां वितरित की गई हैं ; और
- (ङ) कीमत, यदि कोई हो, जो प्रतियों पर प्रभारित की गई है ।

77. किसी सुलभ प्रारूप में बनाई गई प्रतियों में सूचना का शामिल किया जाना - निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रहे संगठन द्वारा सृजित सुलभ प्रारूप में प्रतियों में समुचित सूचनाएं अंतःस्थापित करेंगे कि

- (क) सुलभ प्रारूप को धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (यक) के अधीन स्पष्टीकरण के अनुसरण में सृजित किया जाता है ;
- (ख) सुलभ प्रारूप का एकमात्र आशय निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किया जाना है जो कार्य के सामान्य प्रारूप का उपयोग नहीं कर सकते हैं ; और
- (ग) किसी व्यक्ति को जो कार्य के सामान्य प्रारूप का उपयोग कर सकता है, को सुलभ प्रारूप के किसी और वितरण को और अन्य विधिक परिणामों को जो कि यथालागू हैं, को रोकना होगा ।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए "सुलभ प्रारूप" पद में ब्रेल, डेजी, लार्जप्रिंट, टाकिंग बुक्स, डिजिटल प्रारूप और ऐसे अन्य प्रारूप सम्मिलित हैं जिनका उपयोग निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है ।

78. निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहे संगठनों द्वारा नियोजित तृतीय पक्षकारों के साथ संविदाएं - निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के लिए कार्य कर रहा कोई संगठन किसी तृतीय पक्षकार को धारा 52 की उपधारा (1) के खंड (यक) के अधीन अनुज्ञेय किन्हीं गतिविधियों को उसकी ओर से करने के लिए नियोजित कर सकेगा और ऐसे तृतीय पक्षकार के साथ समुचित संविदाएं कर सकेगा जिससे तृतीय पक्षकार संगठन की ओर से ऐसे कार्यकलाप करें न कि अन्यथा ।

अध्याय 16

अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात

79. अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात - (1) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक सूचना सीमाशुल्क आयुक्त या इस निमित्त केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा प्ररूप 16 के अनुसरण में प्राधिकृत अधिकारी को दी जाएगी और इसके साथ दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस होगी ।

(2) उपनियम (1) के अधीन सूचना देने वाला व्यक्ति आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर डैमरेज, भंडारण की लागत और यह पाए जाने की दशा में कि कार्य अतिलंघनकारी प्रतियां नहीं हैं, के लिए आयातक को प्रतिकर देने के लिए होने वाले संभावित व्ययों को ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति के रूप में ऐसी रकम जमा की जाएगी जैसा कि आयुक्त उचित समझे ।

- (3) आयुक्त या इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी ऐसे कार्य की प्राप्ति पर यदि उनका यह समाधान हो जाता है तो चौदह दिन की अवधि के लिए ऐसे कार्य की निकासी को स्थगित कर सकेंगे और ऐसे व्यक्ति को जिसने सूचना दी है कार्य की प्राप्ति और निरूद्ध करने की सूचना देंगे ।
- (4) आयातक या उसके सम्यकतः प्राधिकृत अभिकर्ता के अनुरोध पर आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति के नाम और पते से सूचित करेंगे जिसने सूचना दी है ।
- (5) आयुक्त या इस निमित्त सम्यकतः प्राधिकृत अधिकारी उस व्यक्ति जिसने सूचना दी है, द्वारा अधिकारिता रखने वाले सक्षम न्यायालय के कार्य के पारेषण को स्थगित करने का आदेश देने में असफल रहने पर चौदह दिन की अवधि के अवसान पर पारेषण को मुक्त कर देगा ।

अध्याय 17

प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपाय

- 80. अभिलेखों का रखा जाना** - (1) कोई व्यक्ति जो अधिनियम की धारा 65क की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवर्चना करने के लिए अनुज्ञात है, किसी व्यक्ति से जो प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवर्चना करने में उसकी सहायता कर सकता है, अनुरोध कर सकेगा ।
- (2) किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवर्चना को सुकर करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति के जिसने सहायता के लिए अनुरोध किया था, के निम्नलिखित ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए निम्नलिखित ब्यौरों का अभिलेख रखेगा, अर्थात् :-
- (क) व्यक्ति का नाम, डाक का पूरा पता, फोटो, ई-मेल पता और टेलीफोन या अन्य संपर्क के ब्यौरे ;
- (ख) व्यक्ति के वृत्तिक ब्यौरे, यदि कोई हों, जिसके अंतर्गत वर्तमान में जहां वह कार्य कर रहा है, स्थान का पता सम्मिलित है ;
- (ग) प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवर्चना के कारण और प्रयोजन ; और
- (घ) सहायता का अनुरोध करने वाले व्यक्ति से एक लिखित वचनबंध कि वह प्रौद्योगिकीय संरक्षण उपायों की परिवर्चना के लिए हकदार है और वह किसी संरक्षित कार्य के प्रतिलिप्यधिकार अतिलंघन, यदि कोई है, के लिए एकमात्र रूप से उत्तरदायी होगा ।
- (3) अभिलेख को ऑन लाइन या किसी अन्य प्रारूप में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे स्थान पर जहां वह परिवर्चना को सुकर कर रहा है, रखा जाएगा ।
- (4) उपनियम (2) के अधीन अभिलेखों को रखने वाला ऐसा व्यक्ति अभिलेख में ब्यौरों का प्रकटन केवल न्यायालय या पुलिस के उपनिरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी पुलिस अधिकारी जो धारा 65क के अधीन परिवाद का अन्वेषण कर रहा है, के आदेश पर करेगा ।

अध्याय 18

प्रकीर्ण

- 81. आवेदन करने का ढंग, आदि** - इस अधिनियम या इन नियमों के अधीन फाइल किया जाने वाला या भेजा जाने वाला प्रत्येक आवेदन, सूचना, कथन या दिया जाने वाला कोई अन्य दस्तावेज जब तक कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न हो दस्ती या रजिस्ट्रीकृत डाक से या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय या प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध फाइल करने की प्रक्रिया द्वारा ऑन लाइन किया जाएगा ।
- 82. प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, आदि द्वारा संप्रेषण का ढंग** - प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार द्वारा की जाने वाली प्रत्येक लिखित संसूचना को किसी व्यक्ति को सम्यकतः संप्रेषित किया गया समझा जाएगा यदि उस व्यक्ति के ज्ञात पते पर उसे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा गया है ।

- 83. फीस -** (1) इस अधिनियम के अधीन किसी विषय पर संदेय फीस दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी ।
- (2) फीस का संदाय प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार, नई दिल्ली को पोस्टल आर्डर या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट या सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में मुख्य शीर्ष - 0070; 60 ; अन्य सेवाएं ; गौण शीर्ष - 113 ; प्रतिलिप्यधिकार फीस में जमा करके या प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की वेबसाइट copyright.gov.in पर ऑन लाइन फाइलिंग प्रसुविधा द्वारा उपबंधित पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है ।
- (3) पोस्टल आर्डर और बैंक ड्राफ्ट रेखांकित होंगे और नई दिल्ली में संदेय होंगे ।
- (4) बैंक ड्राफ्टों के माध्यम से संदाय वैध नहीं होगा सिवाय तब जब बैंक कमीशन उनमें सम्मिलित हो ।
- (5) जब सरकारी कोषागार या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा में संदाय जमा किया जाता है, संदाय के साक्ष्य स्वरूप चालान को संबंधित प्राधिकारी को पूर्वसंदत्त रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा ।
- (6) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रतिलिप्यधिकार रजिस्टर या इंडेक्स से उद्धरण लेने के लिए किसी फीस का संदाय करना अपेक्षित नहीं है ।
- 84. सुने जाने का अधिकार -** बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों में कोई पक्षकार उपस्थित हो सकेगा और व्यक्तिगत रूप से या किसी प्लीडर या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसे पक्षकार द्वारा सम्यकतः प्राधिकृत किया गया है, द्वारा सुना जा सकेगा ।
- 85. लागत -** बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों से आनुषंगिक लागत, यथास्थिति, बोर्ड या प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार के विवेकाधिकार पर होगी ।
- 86. निरसन -** प्रतिलिप्यधिकार नियम, 1958 का ऐसे नियमों के अधीन की गई किसी बात पर इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई किसी बात पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निरसन किया जाता है ।

पहली अनुसूची
प्ररूप-1
प्रतिलिप्यधिकार के त्याग की सूचना
(नियम 4 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 21 के अनुसार, मैं सूचना देता हूँ कि, इस सूचना की तारीख से, संलग्न शपथ पत्र में विनिर्दिष्ट विस्तार तक, उक्त शपथ पत्र में वर्णित कार्यों में अपने अधिकारों का मैं त्याग करता हूँ ।

भवदीय

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

ऊपर निर्दिष्ट शपथपत्र का प्ररूप

मैं.....

.....का

(पूरा नाम अक्षरों में)

..... (पता)

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि—

- (1) नीचे दिए गए कथन में वर्णित कृति का लेखक मैं ही हूँ ;
- (2) उक्त कथन में विनिर्दिष्ट विस्तार तक उक्त कृति में प्रतिलिप्यधिकार का मैं ही स्वामी हूँ ; और
- (3) उक्त कथन में विनिर्दिष्ट विस्तार तक उक्त कृति में अपने अधिकारों का त्याग करता हूँ ;

कथन

कृति का विवरण :

- (क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतमय, कलात्मक, चलचित्र फिल्म ध्वन्यकंन)
- (ख) कृति का शीर्षक, यदि कोई हो ;
- (ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता ;
- (घ) कृति की भाषा, यदि कोई हो ;
- (ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि कोई हो ;
- (च) प्रथम प्रकाशन का वर्ष, यदि कोई हो ;
- (छ) प्रथम प्रकाशन का देश, यदि कोई हो ;
- (ज) यदि कृति का प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो ।

2. शपथपत्र की तारीख को अभिसाक्षी द्वारा स्वामिस्व में अधिकार ।

(यदि किसी अन्य के साथ संयुक्त रूप से स्वामिस्वाधीन अधिकार है, तो संयुक्त स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता का कथन करें)

3. वे अधिकार जिनका त्याग किया गया है, का विस्तार ।
 4. टिप्पणियां, यदि कोई हो ।

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

अभिसाक्षी,..... द्वारा मेरे सामने सत्यनिष्ठा

पूर्वक प्रतिज्ञान किया गया.....

.....जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ।

(अभिसाक्षी का नाम स्पष्ट अक्षरों में) जिसे मैं.....द्वारा..... पहचानता हूँ
 (पहचानकर्ता का नाम स्पष्ट अक्षरों में) जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ ।

स्थान.....

तारीख

(मजिस्ट्रेट की मुहर और हस्ताक्षर)

प्ररूप-2
जनता से विचारित कृति के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 6 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार/सचिव
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31 के अनुसार, मैं, संलग्नक कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने/सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने/प्रतियां जारी करना/पुनःप्रकाशन/प्रत्युपादन.....कृति की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूँ ।
2. मैं अनिवार्य अनुज्ञप्ति के निबंधन व शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूँ, यदि मुझे स्वीकृत किया गया ।
3. मैं सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :
(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र फिल्म ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक/स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की प्रति की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार, धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या
5. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रतियों को जारी करने के लिए/पुनःप्रकाशन, प्रत्युपादन के लिए किया जाता है, तो कथन करें ;
क. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अधीन पुनःप्रकाशन/पुनःउत्पादन और जारी होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतियों की संख्या

- ख. प्रकाशित होने वाले कृति का प्राक्कलित व्यय
 ग. कृति की प्रति प्रतिलिपि के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
 घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
 ङ. स्वामिस्व संदेय करने के आवेदक के साधन
6. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन सार्वजनिक निष्पादन करने के लिए किया जाता है, तो कथन करे ;
 क. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अंतर्गत होने वाले प्रस्तावित कार्यों के निष्पादन की संख्या
 ख. प्रत्येक संपादन का अनुमानित व्यय
 ग. प्रस्तावित दरें जिन पर कृति का संपादन किया जाना है
 घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
 ङ. स्वामिस्व संदेय करने के आवेदन के साधन
7. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन प्रसारण द्वारा सार्वजनिक संसूचित करने के लिए किया गया है, तो कथन करे :
 क. प्रसारण की अवधि और कितनी बार प्रसारण के लिए प्रस्ताव किया गया है
 ख. चैनलों के नाम और प्रसारण का क्षेत्रीय विस्तार
 ग. ऐसे कार्यों के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक
 घ. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
 ङ. स्वामिस्व संदेय करने के आवेदन के साधन
8. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है, यदि हां तो संदेय की विशिष्टियां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)
9. अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
10. निम्नलिखित को दर्शाने के लिए साक्ष्य :--
 (क) कि कार्य को प्रसारण के द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने/सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने/प्रकाशन करने के लिए आवेदक ने निवेदन किया है और उक्त व्यक्ति द्वारा इसके प्राधिकरण को नामंजूर कर दिया है ।
 (ख) कार्य को प्रकाशित न करने के कारण से या पब्लिक में इसको संपादित न करने के कारण से कार्य को पब्लिक से विधार्जित कर दिया गया है ।
 (ग) प्रसारण द्वारा सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की दशा में कार्य के स्वामी द्वारा प्रस्तावित नियम व शर्तें अनुचित हैं ।
11. टिप्पणी, यदि कोई हो
 12. संलग्नको की सूची

स्थान.....
 तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-3
प्रकाशन/सार्वजनिक संसूचना/अनुवाद के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 11 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार, प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली ।

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31क के अनुसार, मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार.....कृति को प्रकाशन करने/सार्वजनिक संसूचित करने/अनुवाद करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ ।
2. यदि मुझे अनुज्ञप्ति को प्रदान किया जाता है तो मैं इसके नियम व शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूँ ।
3. मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है ।

स्थान.....

तारीख.....

आपका भवदीय,

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का विवरण :
(क) कार्या का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक/स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है, तो उसके मृत होने की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रतिलिपि की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
5. यदि अनुज्ञप्ति अनुवाद के लिए आवेदित है, तो कथन करे :
(क) भाषा जिसमें कृति का अनुवाद होना प्रस्तावित है
(ख) अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
(ग) आवेदक का अनुवाद को उत्पाद करने और प्रकाशित करने के साधन

6. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, का प्रायोजन उपदर्शित करे
7. आवेदन किए गए अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतिलिपियों की संख्या
8. प्रकाशन होने वाले कृति के लिए प्राक्कलित व्यय
9. कृति की प्रति प्रतिलिपियों के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
10. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
11. स्वामिस्व को संदेय करने के आवेदक के साधन
12. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन सार्वजनिक रूप से संसूचित करने के लिए किया जाता है
 - (क) आवेदन की गई अनुज्ञप्ति के अधीन निष्पादित होने वाली कृति की सार्वजनिक प्रस्तुति की संख्या
 - (ख) सार्वजनिक प्रस्तुति का प्राक्कलित व्यय
 - (ग) सार्वजनिक संसूचना के क्षेत्रीय विस्तार और चैनलों के नाम
 - (घ) चैनलों का नाम और सार्वजनिक रूप से संसूचित करने का क्षेत्रीय विस्तार
 - (ङ) ऐसी कृतियों कार्यों के संबंध में स्वामिस्व के वर्तमान मानक
13. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है और यदि हां तो संदेय की विशिष्टियां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)
 14. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (ख) क्या आवेदक अपने भाग पर समयक तत्परता के पश्चात् नियम 11(3) के अनुसार सार्वजनिक सूचना के स्वामी प्रतिलिपि को खोजने में समर्थ था।
 - (ग) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था, तो क्या उसने निवेदन की एक प्रतिलिपि को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति पर प्रकट होता है भेजी है, यदि हां, तो साक्ष्य के साथ वह तारीख जब प्रतिलिपि भेजी गई।
15. अनुवाद के लिए आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दें :--
 - (क) क्या पहले कोई अनुवाद उसी भाषा में प्रकाशित हो चुका था।
 - (ख) क्या पूर्व अनुवाद मुद्रण के लिए उपलब्ध नहीं है
 - (ग) पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
 - (घ) पूर्व अनुवाद का शीर्षक
 - (ङ) पूर्व अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (च) प्रकाशन का वर्ष
 - (छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
 - (ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
 - (झ) पूर्व अनुवाद के बाबत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की की दर और एकक
16. (क) क्या ऊपर 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है, यदि ज्ञात हो
 - (ख) अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
 - (ग) अनुवाद का शीर्षक
 - (घ) अनुवाद की भाषा
 - (ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (च) प्रकाशन का वर्ष
 - (छ) अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
 - (ज) यदि अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
 - (झ) प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की राशि और दर, यदि ज्ञात हो
17. टिप्पणी, यदि कोई हो

18. संलग्न की सूची

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-4

अनुकृति के पर्यवसान के लिए सूचना
(नियम 15, नियम 22 और नियम 43 देखिए)

सेवा में

.....
.....
.....

महोदय,

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32ख की उपधारा (1) के पहले परंतुक या उपधारा (2) के पहले परंतुक के अनुसार, मैं यह सूचना देता हूँ कि नीचे दी गई कृति (भाषा का उल्लेख करे) का अनुवाद प्रत्युपादन की प्रतियों को मेरे द्वारा/मेरे प्राधिकार के अधीन प्रकाशित कर दिया गया है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

कथन

1. कृति का शीर्षक
2. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का नाम और पता
3. पहले प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम पता और राष्ट्रीयता
4. लेखक जिसने कृति का अनुवाद किया है, का नाम और पता
5. वर्ष जिसमें भारत में अनुवाद को प्रकाशित किया गया है और प्रकाशक का नाम और पता
6. वर्ष जिसमें भारत में कृति का प्रत्युतपादन प्रकाशित किया गया है और प्रकाशक का नाम और पता
7. प्रकाशित कृति की खुदरा कीमत

प्ररूप-5
नियोग्य व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 17 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 31ख के अनुसार मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार नियोग्य व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रकाशित कृति को प्रकाशित करने के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करता हूँ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति के नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूँ।
3. मैं सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियाँ मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का विवरण :
(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रति की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो
5. प्रयोजन जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उपदर्शित करे
6. रूप विधान जिसमें कृति को संपरिवर्तित किया जाना है, विनिर्दिष्ट करे
7. नियोग्यता की प्रकृति जिसके लिए रूप विधान अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट करे
8. आवेदित अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाली प्रस्तावित कृति की प्रतियों की संख्या

9. प्रकाशित होने वाली कृति का प्राक्कलित व्यय
10. कृति की प्रति प्रतिलिपि की प्रस्तावित खुदरा कीमत
11. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली स्वामिस्व की दर जिसे आवेदक उचित मानता है ।
12. स्वामिस्व के संदाय के लिए आवेदक के तरीके
13. क्या विहित फीस संदत्त कर दी गई है, यदि हां तो संदाय की विशिष्टियां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/राजकोषीय चालान संख्या दे)
14. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
(ख) क्या आवेदक ने निवेदन किया है और नियोग्य व्यक्ति के फायदे के लिए कृति को प्रकाशित करने के प्राधिकार को कथित व्यक्ति द्वारा नामंजूर कर दिया गया है
(ग) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था तो उसने प्रकाशक को जिसका नामकृति में है को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा निवेदन की एक प्रति भेजी थी । यदि ऐसा है, वह तारीख जब प्रति भेजी गई
(घ) क्या कृतियों के लेखक ने नियोग्य व्यक्ति के फायदे के लिए कृति को प्रकाशित कर दिया है यदि हां तो प्रतियों की कीमत
15. टिप्पणी, यदि कोई हो
16. संलग्नकों की सूची

स्थान.....

तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-6
अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 32 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32 के अनुसार मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार कृति की अनुवाद का उत्पादन करने और प्रकाशित करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूँ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति की नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूँ।

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :
(क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) प्रथम और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) प्रथम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रति की कीमत
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो
5. कृति को जिस भाषा में अनुवाद किया जाना प्रस्तावित है
6. अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
7. अनुवाद का उत्पादन और प्रकाशित करने के लिए आवेदक की अर्हताएं

8. प्रकाशित होने के लिए प्रस्तावित अनुवाद की प्रतियों की संख्या
9. अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन का प्राक्कलित व्यय
10. अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि प्रस्तावित खुदरा कीमत
11. प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को संदत्त होने वाली स्वामिस्व की दर जिसे आवेदक उचित मानता है ।
12. स्वामिस्व के संदेय के लिए आवेदक के साधन
13. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है, यदि हां तो, संदाय की विशिष्टियां । (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/राजकोषीय चालान संख्या है)
14. (क) अनुवाद के लिए अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम पता और राष्ट्रीयता
(ख) क्या आवेदक उक्त व्यक्ति को खोजने में समर्थ था
(ग) क्या आवेदक ने निवेदन किया था और उक्त व्यक्ति द्वारा अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन के प्राधिकार को नामंजूर कर दिया गया था
(घ) यदि आवेदक उस स्वामी को खोजने में असमर्थ था तो क्या उसने प्राधिकार के लिए निवेदन की एक प्रति प्रकाशक को भेजी थी यदि हां तो वह तारीख जब प्रति भेजी गई थी और उसका साक्ष्य ।
15. क्या कृति के लेखक ने कृति की प्रतियों के परिचालन से वापस ले लिया है ।
16. (क) क्या पहले कोई अनुवाद इसी भाषा में प्रकाशित हुआ है ।
(ख) पूर्व अनुवाद प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है ।
(ग) क्या पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि उक्त अनुवादक मृत है तो उसके मृत्यु की तारीख
(घ) पूर्व अनुवाद
(च) प्रकाशन का वर्ष
(छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
(ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या
(झ) पूर्व अनुवाद की बाबत प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम ।
17. (क) क्या ऊपर 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है ।
(ख) लेखक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो इसके मृत होने की तारीख
(ग) अनुवाद का शीर्षक
(घ) अनुवाद की भाषा
(ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) प्रकाशन का वर्ष
(छ) अनुवाद की एक प्रति की कीमत
(ज) यदि अनुवाद प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि ज्ञात हो तो
(झ) प्रतिलिप्याधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और राशि, यदि ज्ञात हो
18. टिप्पणी, यदि कोई हो
19. संलग्नकों की सूची

स्थान.....
तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप-7

कृति के प्रकाशन, अनुवाद और प्रत्युत्पादन के लिए अनुज्ञप्ति
(नियम 38 देखिए)

सेवा में,

रजिस्ट्रार प्रतिलिप्यधिकार/सचिव,
प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड,
प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय,
नई दिल्ली

महोदय,

1. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 32(1क)/32क के अनुसार, मैं संलग्न कथन में दी गई विशिष्टियों के अनुसार किसी अप्रकाशित कृति को प्रकाशित करने या प्रकाशित कृति का प्रत्युत्पादन करने या किसी कृति का अनुवाद करने के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन करता हूँ।
2. यदि अनुज्ञप्ति मुझे प्रदान की जाती है तो मैं अनुज्ञप्ति की नियम और शर्तों का कड़ाई से पालन करने का वचन देता हूँ।
3. मैं सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और जानकारी से सत्य है और इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है।

स्थान.....

तारीख.....

भवदीय

(हस्ताक्षर)

कथन

1. आवेदक का पूरा नाम.....
(स्पष्ट अक्षरों में)
2. आवेदक का पूरा पता और राष्ट्रीयता.....
3. दूरभाष/फैक्स/ई-मेल.....
4. कृति का वर्णन :
(क) कार्या का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक, चलचित्र, फिल्म, ध्वन्यंकन)
(ख) कृति का शीर्षक
(ग) लेखक स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है, तो उसके मृतक की तारीख
(घ) कृति की भाषा
(ङ) प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
(च) पहले और अंतिम प्रकाशन का वर्ष
(छ) पहले और अंतिम प्रकाशन का देश
(ज) कृति की एक प्रतिलिप का मूल्य
(झ) यदि कृति में प्रतिलिप्यधिकार धारा 45 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो

5. यदि अनुज्ञप्ति का आवेदन अनुवाद के लिए किया जाता है, तो कथन करे :
 - (क) भाषा जिसमें कृति का अनुवाद होना प्रस्तावित है
 - (ख) अनुवादक का पूरा नाम, अर्हताएं और पता
 - (ग) आवेदक की अनुवाद को उत्पाद करने/प्रकाशित करने की अर्हताएं
6. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, उस का प्रयोजन उपदर्शित करे
7. आवेदित की गई अनुज्ञप्ति के अधीन प्रकाशित होने वाले प्रस्तावित कृति की प्रतिलिपियों की संख्या
8. प्रकाशित होने वाले कृति के लिए प्राक्कलित व्यय
9. कृति की प्रति प्रतिलिपि के लिए प्रस्तावित फुटकर कीमत
10. प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को संदत्त होने वाली, स्वामिस्व की दर, जिसे आवेदक उचित मानता है
11. स्वामिस्व को संदेय करने के आवेदक के साधन
12. क्या विहित फीस संदत्त की जा चुकी है और यदि हां तो संदेय की विशिष्टयां (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान संख्या दे)
13. (क) अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सक्षम व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (ख) क्या आवेदक अपने भाग पर समयक् तत्परता के पश्चात् स्वामी को खोजने में समर्थ था ।
 - (ग) क्या आवेदक ने निवेदन किया था और उक्त व्यक्ति द्वारा अप्रकाशित कृति को प्रकाशित करने या प्रकाशित कृति का प्रत्युपादन करने या अनुवाद के उत्पादन और प्रकाशन के प्राधिकार को नामंजूर कर दिया गया था ।
 - (घ) यदि आवेदक स्वामी को खोजने में असमर्थ था, तो क्या उसने निवेदन की एक प्रतिलिपि रजिस्ट्रीकृत वायु डाक द्वारा उस प्रकाशक को जिसका नाम कृति पर प्रकट होता है, भेजी है, यदि ऐसा है, तो वह तारीख जिसको भेजी गई ।
14. क्या कृति के लेखक ने कृति की प्रतियों के परिचालन से वापस ले लिया है ।
15. अनुवाद के लिए आवेदन की दशा में निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना दे :-
 - (क) क्या पहले कोई अनुवाद उसी भाषा में प्रकाशित किया गया है ।
 - (ख) क्या पूर्व अनुवाद, प्रकाशन के लिए उपलब्ध नहीं है
 - (ग) पूर्व अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
 - (घ) पूर्व अनुवाद का शीर्षक
 - (ङ) पूर्व अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (च) प्रकाशन का वर्ष
 - (छ) पूर्व अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
 - (ज) यदि पूर्व अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
 - (झ) पूर्व अनुवाद के बाबत प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम
16. (क) क्या उम्र 5 में कथित भाषा से अन्य किसी भाषा में अनुवाद किया गया है
 - (ख) अनुवादक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि अनुवादक मृत है तो उसके मृतक की तारीख
 - (ग) अनुवादक का शीर्षक
 - (घ) अनुवाद की भाषा
 - (ङ) अनुवाद के प्रकाशक का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
 - (च) प्रकाशन का वर्ष
 - (छ) अनुवाद की प्रति प्रतिलिपि कीमत
 - (ज) यदि अनुवाद धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, तो रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि ज्ञात हो
 - (झ) प्रतिलिप्यधिकार स्वामी को संदत्त स्वामिस्व की दर और रकम, यदि ज्ञात हो
17. टिप्पणी, यदि कोई हो

18. संलग्नकों की सूची

स्थान.....
 तारीख.....

(हस्ताक्षर)

प्ररूप -8
 (नियम 44 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार का कारबार करने और प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञा हेतु आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)
2. प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने की बाबत आवेदक द्वारा प्रस्थापित कृति की विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में अधिकार या अधिकारों का संवर्ग
3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र
4. आवेदक में समाविष्ट हुए व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका
5. ऐसी कृतियों के ब्योरे जिसमें उन व्यष्टिकों का प्रतिलिप्याधिकार है
6. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है
7. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिस उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों के नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका
8. व्यक्ति की व्यष्टियों क्षमता (रचयिता या अधिकारों का अन्य स्वामी) जिसने वह में शासी निकाय का सदस्य बना है
9. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके
10. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष
11. नियम 48 में उल्लिखित दस्तावेज
12. शासी निकाय के सदस्यों के नाम और हस्ताक्षर
13. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान.....
 तारीख.....

प्रकरण -9
(नियम 47 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण वा रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की बाबत आवेदन प्रकरण

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (बढ़ अक्षरों में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)
2. प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने की बाबत आवेदक द्वारा पुस्त्यापित कृति की विनिर्दिष्ट प्रदर्ग में अधिकार या अधिकारों का संवर्ग
3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र
4. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है
5. आवेदक के निगमन का वर्ष और वह तारीख जिससे से आवेदक को प्रतिलिप्याधिकार कारबार करने के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है
6. आवेदक का शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिसमें उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका
7. व्यक्ति की क्षमता (स्वयिता या अधिकारों का अन्य स्वामी) जिससे वह शासी निकाय का सदस्य बना है
8. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके
9. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष
10. नियम 42(3) और 43 में उल्लिखित
11. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान—

तारीख—

प्ररूप - 10
(नियम 49 देखें)

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 33(3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं. _____ द्वारा _____ (सोसाइटी का नाम और पता) को रजिस्ट्रीकृत किया गया है और _____ में (कृति के विशिष्ट वर्ग का नाम इंगित करें) प्रतिलिप्याधिकार कारबार प्रारंभ करने और जारी रखने के लिए अनुज्ञात किया गया है।

यह रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन है और जिनके पालन नहीं होने या उल्लंघन पर रद्द हो सकेगी, अर्थात् :-

- (i) आवेदन में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है और किसी प्रकार से भ्रामक नहीं है ; और
- (ii) प्रतिलिप्याधिकार सोसाइटी अपने ऊपर प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) और प्रतिलिप्याधिकार नियम, 1958 द्वारा अधिरोपित सभी बाध्यताओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करेगी।

नई दिल्ली _____
तारीख _____

(मुहर)

रजिस्ट्रार
प्रतिलिप्याधिकार

प्ररूप 11
(नियम 68 देखें)

कारबार करने और प्रस्तुतीकरण सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की बाबत अनुज्ञा के लिए आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)
2. प्रस्तुतकर्ताओं के वे वर्ग जिनके अधिकार के लिए आवेदक जारी अनुज्ञाप्ति पर कारबार करेगा
3. आवेदक का पृथक विधिक व्यक्तित्व दर्शाने के लिए प्रमाण-पत्र
4. आवेदक में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका
5. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है
6. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिसमें उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित है, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका
7. व्यक्ति की क्षमता (प्रस्तुतकर्ता या अधिकारों का अन्य स्वामी) वह जिससे शासी निकाय का सदस्य बना है
8. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदनाम तथा पता सहित जिस पर संसूचना तामील कराई जा सके

9. आवेदन की तारीख में आवेदक की वित्तीय स्थिति, अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष
10. नियम 48 में उल्लेखित दस्तावेज
11. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर
12. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान—

तारीख—

प्ररूप 12
(नियम 68 देखें)

प्रस्तुतीकरण सोसायटी के पुनः रजिस्ट्रीकरण या रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण की बाबत आवेदन प्ररूप

1. आवेदन करने वाले व्यक्तियों के संगम का नाम और पता (पूरा पता लिखें) (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है)
2. प्रस्तुतकर्ताओं के वे वर्ग जिनके अधिकार के लिए आवेदक कारबार पर अनुज्ञप्ति जारी करेगा
3. आवेदक में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय या उपजीविका
4. ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों जिनमें आवेदक के कारबार का विस्तार है
5. आवेदक के शासी निकाय (जिस नाम से भी जाना जाता है) जिस उसका अंतिम प्रबंध, नियंत्रण और निर्देशन निहित हो, में समाविष्ट व्यक्तियों का नाम, पता और व्यवसाय/उपजीविका
6. व्यक्ति की जिसकी क्षमता (प्रस्तुतकर्ता या अधिकारों का अन्य स्वामी) वह में शासकीय निकाय का सदस्य बना है
7. आवेदक के रजिस्ट्रीकृत या प्रशासनिक कार्यालय का पता जहां उसके अभिलेख अनुरक्षित और रखे जाएंगे और आवेदक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पता पदनाम जिस पर संसूचना तामील की जा सके
8. आवेदन की तारीख को आवेदक की वित्तीय स्थिति अर्थात् अंतिम संपरीक्षित तुलन पत्र और आय और व्यय का लेखा/बैंक में अतिशेष
9. नियम 48 में उल्लिखित दस्तावेज
10. शासी निकाय के सदस्यों के नाम के और हस्ताक्षर
11. मुख्य कार्यपालक अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

स्थान—

तारीख—

प्ररूप 13
प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण की बाबत प्ररूप
(नियम 69 देखें)

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
3. कृति के प्रतिलिप्याधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति
4. कृति का वर्ग और उसके विवरण
5. कृति का शीर्षक
6. कृति की भाषा
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और, यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश और प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
10. पश्चात्कर्ती प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई है तो प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता
11. विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता जिनमें प्रतिलिप्याधिकार जिसमें प्रत्येक द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार भी समाविष्ट है और समनुदेशनों और अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों (यदि कोई हों)
12. अन्य व्यक्तियों, यदि कोई हों, जो प्रतिलिप्याधिकार में समाविष्ट अधिकारों को समनुदेशित करने या अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत हो, के नाम, पते और राष्ट्रीयताएं*
13. वास्तु कलाकृति (कृति के समापन का वर्ष भी दर्शाया जाएगा)
14. कलात्मक कृति की दशामें क्या किसी माल या सेवा के संबंध में उसका उपयोग किया जाता है या उपयोग किए जाने योग्य है
15. टिप्पणी, यदि कोई हो,

प्ररूप 14
प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
(नियम 70 देखें)

सेवा में,
रजिस्ट्रार प्रतिलिप्याधिकार
प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 45 के अनुसार मैं प्रतिलिप्याधिकार के लिए आवेदन करता/करती हूँ और इसके साथ संलग्न विशिष्टियों के कथन (तीन प्रतियों में) की प्रविष्टियों को प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में दर्ज करने का निवेदन करता/करती हूँ-

(1) मैं, कृति से संबंधित सम्यक् रूप से पूर्ण प्रविष्टियों के अतिरिक्त कथन को भी भेज रहा हूँ ।

(2) प्रतिलिप्याधिकार नियम, 2012 के नियम 70 के अनुसार मैंने नीचे दर्शाए गए अन्य संबंधित पक्षकारों को पहले ही महसूल दे दी गई रजिस्ट्री डाक से इस पत्र की और संलग्न कथनों की प्रतियां भेज दी हैं :-

पक्षकारों के नाम और पते

प्रेषित करने की तारीख

(3) नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार : विहित फीस का भुगतान कर दिया गया है :-

(4) इस विषय की संसुचनाएं _____ को संबोधित की जा सकती है ।

(5) मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को सूचना भेजी गई है उनके सिवाय किसी भी अन्य व्यक्ति कोई दावा या हित या इस कृति के मेरे प्रतिलिप्याधिकार या इसे मेरे द्वारा उपयोग करने का विवाद नहीं है ।

(6) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इसप्ररूप में दी गई प्रविष्टियां और प्रविष्टियों के कथन और अतिरिक्त प्रविष्टियों के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना से सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

(7) संलग्नों की सूची
स्थान _____

भवदीय

तारीख _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

प्रविष्टियों के कथन

1. रजिस्ट्रीकरण संख्या (प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय में भरा जाए)
2. आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
3. कृति के प्रतिलिप्याधिकार में आवेदक के हित की प्रकृति
4. कृति का वर्ग और उसका वर्णन
5. कृति का शीर्षक
6. कृति की भाषा
7. रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता और, यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
8. कृति प्रकाशित है या अप्रकाशित
9. प्रथम प्रकाशन का वर्ष और देश तथा प्रकाशक का नाम, पता और राष्ट्रीयता
10. पश्चात्कर्ती प्रकाशन के वर्ष और देश, यदि कोई है तो प्रकाशकों के नाम, पते और राष्ट्रीयता
11. विभिन्न अधिकारों के स्वामियों के नाम, पते और राष्ट्रीयता जिनमें प्रतिलिप्याधिकार जिसमें प्रत्येक द्वारा धारित अधिकारों का विस्तार भी समाविष्ट है और समनुदेशनों और अनुज्ञप्तियों की विशिष्टियों (यदि कोई हों),
12. उन व्यक्तियों के नाम, पते और राष्ट्रीयताओं (यदि कोई हो तो) जो कि प्रतिलिप्याधिकार में समाविष्ट अधिकारों को समनुदेशित करने या अनुज्ञप्ति देने के लिए प्राधिकृत हो ।
13. यदि कृति कोई “कलात्मक कृति” है तो मूल कृति पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति का नाम, पता और राष्ट्रीयता, सहित उस कृति की अवस्थिति (वास्तु कला कृति होने की दशा में उस कृति के पूर्ण होने का वर्ष भी दर्शाया जाएगा) ।
14. यदि कृति “कलात्मक कृति” है तो जो किसी माल के संबंध में उपयोग की गई हो या उपयोग किए जाने के योग्य हो तो आवेदन के साथ, प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 45 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार, रजिस्ट्रार, व्यापार चिन्ह मार्क, का प्रमाण पत्र होना चाहिए ।
15. यदि कृति “कलात्मक कृति” है तो क्या वह डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है यदि हां तो उसके ब्यौरे दीजिए ।
16. यदि कृति कोई “कलात्मक कृति” है तो जो डिजाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत डिजाइन के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने के योग्य है, क्या यह औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु पर लागू किया गया है, यदि हां तो कितनी बार प्रत्युपादित किया गया है ।
17. टिप्पणी यदि कोई हो तो ।

स्थान.....

हस्ताक्षर

तारीख.....

अतिरिक्त विशिष्टियों के कथन

(केवल साहित्यिक कृति जिसके अंतर्गत साफ्टवेयर, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृति भी है)

1. क्या कृति को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है-

- (क) कोई मूल कृति ?
 (ख) लोक विषय में कृति का अनुवाद ?
 (ग) उस कृति का अनुवाद जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो ?
 (घ) कृति को लोक विषय में अनुकूलन ?
 (ङ) उस कृति का अनुकूलन जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो ?

2. यदि कृति कोई ऐसी कृति है का अनुवाद या अनुकूलन है जिसमें प्रतिलिप्याधिकार का अस्तित्व हो-

- (क) मूल कृति का शीर्षक
 (ख) मूल कृति की भाषा
 (ग) मूल कृति के लेखक का नाम, पता और राष्ट्रीयता और यदि लेखक मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
 (घ) मूल कृति के प्रकाशक (यदि कोई हो तो) का नाम, पता और राष्ट्रीयता
 (ङ) प्राधिकरण की विशिष्टियां जिसमें अनुवाद या अनुकूलन को प्राधिकृत करने वाले पक्षकार का नाम, पता और राष्ट्रीयता है

3. टिप्पणी, यदि कोई हो

स्थान.....

हस्ताक्षर

तारीख.....

प्रारूप -15

**प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन
 (नियम 70 देखें)**

सेवा में,
 रजिस्ट्रार प्रतिलिप्याधिकार
 प्रतिलिप्याधिकार कार्यालय
 नई दिल्ली ।

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 2013 क नियम 71 के अनुसार मैं प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में बदलावों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करता/करती हूँ और निवेदन करता/करती हूँ कि संलग्न विशिष्टियों के कथन में विनिर्दिष्टानुसार वर्तमान प्रविष्टियों में परिवर्तन किया जा सकता है ।

(2) मैंने इस पत्र की प्रतियां और विशिष्टियों के कथन नीचे दर्शाए गए संबंधित पक्षकारों को रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिया है:-

पक्षकारों के नाम और पते	प्रेषित करने की तारीख
-------------------------	-----------------------

* प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर के स्तंभ 7, 11, 12 और 13 देखें

(3) नीचे दिए गए ब्यारे के अनुसार :- विहित फीस का भुगतान कर दिया गया है :

(4) इस विषय पर संसुचनाएं _____ को संबोधित की जा सकती है ।

(5) मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त पैरा 2 के अनुसार जिस व्यक्ति को सूचना भेजी गई है उसके सिवाय किसी अन्य व्यक्ति कोई दावा या हित या इस कृति के मेरे प्रतिलिप्याधिकार या इसे मेरे द्वारा उपयोग करने का विवाद नहीं है ।

(6) मैं यह सत्यापित करता हूँ कि इसप्रश्न में दी गई प्रविष्टियां और प्रविष्टियों के कथन और अतिरिक्त प्रविष्टियों के कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान, विश्वास और सूचना से सत्य हैं और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान _____

भवदीय

तारीख _____

(आवेदक के हस्ताक्षर)

विशिष्टियों के कथन

1. प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार विशिष्टियों में परिवर्तन

प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में स्तंभ संख्या के संदर्भ में	प्रतिलिप्याधिकार रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि	रजिस्टर में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर प्रस्तावित प्रविष्टि	प्रस्तावित परिवर्तन के लिए कारण
1	2	3	4

टिप्पण : जहां प्रस्तावित परिवर्तन प्रतिलिप्याधिकार के समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के परिणामस्वरूप है वहां समनुदेशन या अनुज्ञप्ति के विलेख की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी:-

3. संलग्नकों की सूची

स्थान _____

तारीख _____

(हस्ताक्षर)

प्ररूप 16
अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत सूचना
[नियम 79 देखें]

सेवा में,

सीमा शुल्क आयुक्त
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा बोर्ड
नई दिल्ली

महोदय,

प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 53 के अनुसार मैं कथन करता हूँ कि मैं—
कृति—में प्रतिलिप्याधिकार/अधिकार का/की स्वामी हूँ या मैं—
(पूरा नाम) जो—संलग्न कथन के अनुसार कृति—में
प्रतिलिप्याधिकार/अधिकार का स्वामी हूँ, का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता हूँ। कथित कृति की—
प्रतियों की संख्या—अतिलंघनकारी प्रतियों का संख्या में—समय—बजे—स्थान
पर पहुंचना प्रत्याशित है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इन अतिलंघनकारी प्रतियों को—की
अवधि के लिए प्रतिषेधित रखा जाए।

कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां न होने की दशा में डमरज टैप, मंजूरण ध्यय और आयातकर्ता के प्रतिकर को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित प्रतिभूति की राशि जमा करने का वचन देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैं ऐसे माल के रोकें जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, स्थायी या अस्थायी निपटान के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय से आदेश प्रस्तुत करने का वचन देता हूँ उपरोक्त कथन में निम्न दी गई प्रविष्टियां मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सही है।

स्थान—

भवदीय

तारीख—

(हस्ताक्षर)

राफ्त पत्र का प्ररूप

मैं—पूरा नाम—निवासी—सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर कथन करता हूँ कि—

1. निम्न कथन में दी गई विशिष्टियां मेरे सर्वोच्च ज्ञान और विश्वास से सही हैं
2. उक्त कथन की विशिष्टियों के अनुसार जो कृतियां आयात की जा रही हैं वो उक्त कथन में वर्णित कृति की अतिलंघनकारी प्रतियां हैं। और
3. मैं उक्त कथित अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात के निवारण में हितबद्ध हूँ।

कथन

1. धारित कृति और अधिकारों की विशिष्टियां-

- (i) सूचना देने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
- (ii) यदि आवेदक प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी नहीं है तो प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी का पूरा नाम, पता और राष्ट्रीयता
- (iii) कृति का वर्णन-
 - (क) कृति का वर्ग (साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक, कलात्मक चलचित्र फिल्म ध्वन्यांकन)
 - (ख) कृति का शीर्षक
 - (ग) रचयिता का नाम, पता और राष्ट्रीयता यदि रचयिता मृत है तो उसकी मृत्यु की तारीख
 - (घ) कृति की भाषा
 - (ङ) प्रकाशक का नाम और पता
 - (च) प्रथम प्रकाशन का वर्ष
 - (छ) प्रथम प्रकाशन का देश
 - (ज) यदि कृति में प्रतिलिप्याधिकार धारा 45 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या

2. अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात का ब्यौरा :-

- (i) अतिलंघनकारी प्रतियों का मूल देश
- (ii) भारत में आयातकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- (iii) अतिलंघनकारी प्रतियों के निर्माणकर्ता का नाम, पता और राष्ट्रीयता
- (iv) भारत में अतिलंघनकारी प्रतियों के आयात का प्रत्याशित समय और स्थान
- (v) अतिलंघनकारी प्रतियों के पता लगने और निरुद्ध होने की दशा में क्या कथित प्रतियों की पहचान के लिए आवेदक स्वयं जाने को तैयार है या अपने किसी प्राधिकृत अभिकर्ता को नियुक्त करेगा ।

3. क्या विहित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और यदि हां तो भुगतान का ब्यौरा (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/खजाना चालान संख्या दीजिए)

4. अन्य कोई सुसंग जानकारी जो उपरोक्त में समाविष्ट न हो ।

5. संलग्न:-

- (i) उस कृति की प्रति जिसमें प्रतिलिप्याधिकार/अन्य अधिकार का अतिलंघन हो रहा है ।
- (ii) कृति में प्रतिलिप्याधिकार के स्वामित्व और रचयिता होने के साक्ष्य ।
- (iii) प्रतिलिप्याधिकार के अतिलंघन के साक्ष्य
- (iv) अतिलंघनकारी प्रतियों के भारत लाए जाने के साक्ष्य फीस/शुल्क के भुगतान के साक्ष्य (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/खजाना चालान की प्रति) ।
- (v) शुल्क के संदाय का साक्ष्य (पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान की प्रतिलिपि)

स्थान _____

तारीख _____

(हस्ताक्षर)

दूसरी अनुसूची
(नियम 83 देखिए)

क्रम संख्या	मद	प्रस्तावित फीस
1.	किसी साहित्यिक नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति को पुनःप्रकाशित करने के लिए किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31, धारा 31(क), 31(ख) और 32(क))	5000 रुपए प्रति कृति
2.	प्रसारण द्वारा जनता को किसी कृति को संसूचित करने को किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(1) (ख),	40,000 रुपए प्रति आवेदक/प्रति स्टेशन
3.	चलचित्र फिल्म को पुनः प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	15000 रुपए प्रति कृति
4.	ध्वन्यांकन को पुनः प्रकाशित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	10,000 रुपए प्रति कृति
5.	किसी कृति के सार्वजनिक प्रस्तुति की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31)	5000 रुपए प्रति कृति
6.	किसी कृति या अनुवाद को सार्वजनिक ग्रन्थाकार प्रकाशित या संसूचित करने की अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(क))	5000 रुपए प्रति कृति
7.	निर्योग्य व्यक्ति के लिए उपयोगी किसी भी रूप विधान में किसी कृति को प्रकाशित करने की किसी अनुज्ञप्ति के लिए (धारा 31(ख))	2000 रुपए प्रति कृति
8.	किसी भी भाषा में किसी साहित्यिक कृति या नाट्य कृति के अनुवाद रचने और प्रकाशन करने की किसी अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन (धारा 32, 32(क))	5000 रुपए प्रति कृति
9.	प्रतिलिप्याधिकार में किसी - (क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन (ख) परंतु यह किस साहित्यिक या कलात्मक कृति की बाबत जो किसी किसी माल के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने के योग्य है (धारा 45)	500 रुपए प्रति कृति 2000 रुपए प्रति कृति
10.	प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर में किसी- (क) साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक या कलात्मक कृति की बाबत प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के लिए किसी आवेदन के लिए (ख) परंतु यह किस साहित्यिक या कलात्मक कृति की बाबत जो किसी किसी माल के संबंध में उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने के योग्य है (धारा 45)	200 रुपए प्रति कृति 1000 रुपए प्रति कृति
11.	किसी चलचित्र फिल्म में प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन के लिए (धारा 45)	5000 रुपए प्रति कृति
12.	चलचित्र फिल्म के रजिस्टर में प्रविष्ट प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन के लिए (धारा 45)	2000 रुपए प्रति कृति
13.	ध्वन्यांकन में प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रीकरण के किसी आवेदन के लिए	2000 रुपए प्रति कृति
14.	ध्वन्यांकन के बाबत प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर में प्रविष्ट	1000 रुपए प्रति कृति

	प्रतिलिप्याधिकार की विशिष्टियों में परिवर्तन के रजिस्ट्रेशन के किसी आवेदन के लिए (धारा 45)	
15.	प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर से उद्धरण निकालने के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
16.	अनुक्रमणिका से निष्कर्ष निकालने के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
17.	अनुक्रमणिका या प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्टर से किसी निष्कर्षण की किसी अनुप्रमाणित प्रति के लिए (धारा 47)	500 रुपए प्रति कृति
18.	प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के सचिव या प्रतिलिप्याधिकार के रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में किसी अन्य सार्वजनिक दस्तावेज की किसी अभिप्रमाणित प्रति के लिए	500 रुपए प्रति कृति
19.	अतिलिप्यधिकार प्रतियों के आयात के निवारण के किसी आवेदन के लिए (धारा 53)	1200 रुपए प्रति कृति/प्रति की स्थान प्रविष्टि

[सं. एफ. 9-4/2012-सीआरबी/विधायी इकाई]
अमित खरे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2013

G.S.R. 172(E).—In exercise of the powers conferred by Section 78 of the Copyright Act, 1957, and in supersession of the Copyright Rules, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement. (1) These rules may be called the Copyright Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Interpretations.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Copyright Act, 1957 (14 of 1957);

(b) "Board" means a Copyright Board as defined in sub-section (1) of section 11;

(c) "copyright business" means the business of issuing or granting licence in respect of a right or set of rights in specific acts in respect of a work or any substantial part thereof referred to in section 14 and includes the functions referred to in sub-section (3) of section 34;

(d) "Form" means a Form set out in the First Schedule;

(e) "Schedule" means a Schedule to these rules; and

(f) "section" means a section of the Act.

(2) Word and expressions used herein but not defined and defined in the Copyright Act, 1957, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II

THE COPYRIGHT BOARD

3. Terms and conditions of the Office of the Chairman and members of the Board. —

(1) The Chairman and other members of the Board shall be appointed for such period not exceeding five years as the Central Government may in each case deems fit:

Provided that the Chairman and the other member shall hold office as such after he has attained,—

- (a) in the case of Chairman, the age of sixty-five years; and
- (b) in the case of any other Member, the age of sixty-two years.

(2) (i) A person shall not be qualified for appointment as Chairman unless he —

- (a) is, or has been a Judge of a High Court; or
- (b) is qualified for appointment as a Judge of a High Court;

(ii) A person shall not be qualified for appointment as member unless he —

- (a) is or has been a member of the Indian Legal Service and has held a post in Grade-I of that service for at least three years; or
- (b) has, for at least ten years, held a judicial office; or
- (c) is or has been a Member of a Tribunal or Civil Service not below the rank of a Joint Secretary to the Government of India with three years' experience in the field of Copyright; or
- (d) has, for at least ten years, been an advocate of a proven specialised experience in Copyright Law;

(iii) The Chairman and other Members shall be appointed by the Central Government; and

(iv) No person shall be appointed as Chairman except after consultation with the Chief Justice of India.

(3) The Chairman and other members of the Board shall, on the expiry of the period of their appointment, be eligible for re-appointment.

(4) The Chairman or any other member of the Board may resign his office by giving three months' notice in writing to the Central Government:

Provided that the Chairman or any other member shall, unless he is permitted by the Central Government to relinquish his office sooner, continue to hold office until the expiry

(5) The Chairman or any other member shall not be removed from his office except by an order made by the Central Government on the ground of proved misbehaviour or incapacity after an inquiry made by a Judge of the Supreme Court in which the Chairman or the other member had been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

CHAPTER III

RELINQUISHMENT OF COPYRIGHT

4. The author of a work desiring to relinquish under section 21 all or any of the rights comprised in the copyright in the work shall give notice to the Registrar of Copyrights in Form I or give public notice under sub-rule (2) of rule 5.

5. (1) The Registrar of Copyrights shall, within fourteen days from the date of the publication of the notification in the Official Gazette, post the notice on the website of the Copyright Office so as to remain the same in public domain for a period of not less than three years.

(2) The author relinquishing the rights under rule 5 by giving public notice shall include in the notice the details as given below:—

- (a) Class of the works (given in sub-section (1) of section 13);
- (b) Title of the work;
- (c) Full name, address and nationality of the author;
- (d) Language of the work;
- (e) Name, address and nationality of the publisher, if published, with year of publication and country of first publication;
- (f) If copyright in the work is registered under section 45, the Registration number;
- (g) The right or rights to be relinquished; and
- (h) The date of relinquishment of the rights.

(3) The author may forward a copy of the public notice, along with proof of his identity, to the Registrar and on receiving such notice, the Registrar shall post the same on the website of the Copyright Office.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, the term “public notice” means—

- (i) mentioning of notice on the work or cover of the work; or
- (ii) publication in one issue of a daily newspaper in the English language having circulation in the major part of the country and also in one issue of any daily news paper in the same language of the work; or
- (iii) Posting the notice on the web site of the Copyright Office at the request of the author by giving the details as required under sub-rule (2).

CHAPTER IV

COMPULSORY LICENCES IN WORKS WITHHELD FROM PUBLIC

6. Application for licence. — (1) An application for a licence under section 31 to re-publish the work or perform the work in public or communicate the work to the public by broadcast shall be made in Form II and shall be accompanied by the fee specified in the Second Schedule.

(2) Every such application shall be made in respect of one work only.

(3) Every application to re-publish the work or perform the work in public shall be accompanied with adequate evidence to show that the owner of copyright has refused to re-publish or has allowed the re-publication of the work or has refused to allow the performance of the work in public, and the reasons for such refusal.

(4) Every application for communication of the work to the public by broadcast shall be accompanied with adequate evidence along with reasons or grounds to show that the owner of copyright has refused to allow—

(a) the communication of the work by broadcast to the public; or

(b) in the case of sound recording, the reasons for the applicant to consider the terms unreasonable.

7. Notice of application. — (1) A copy of application under rule 6 along with the documents relied upon shall be served on the owner of the copyright by registered post.

(2) The Board shall give an opportunity of being heard to the owner of the copyright and the applicant and also, wherever practicable, to any person claiming any interest in the copyright of the work, and shall take such evidence in respect of the application, as it deems fit.

(3) The Board may, if satisfied, direct the Registrar of Copyright to grant licence applied for to the applicant or, if there are more than one, to such of the applicants as, in the opinion of the Board, would best serve the interest of the general public.

(4) Every such licence shall be subject to the conditions provided in section 31 including the payment of compensation or royalties and shall specify—

(a) the period for which the licence has been granted;

(b) the quantum of compensation or the rate at which royalties are to be paid to the owner of the copyright in the work; and

(c) such other terms and conditions as the Board may deems fit.

(5) The grant of every such licence shall, as soon as possible, be notified in the Official Gazette and on the website of the Copyright Office and the Board and a copy of the licence shall be sent to the other parties concerned.

8. Manner of determining compensation or royalties.— The Board shall determine the quantum of compensation or royalties payable to the owner of the copyright under section 31. The Board may while determining quantum of compensation or royalty shall take into consideration —

(i) in case of re-publishing the work or performing the work in public—

- (a) the proposed retail price of a copy of the work or rate on which the work is performed in public;
- (b) the prevailing standards of royalties with regard to publication of works or performance of the work in public; and
- (c) such other matters as may be considered relevant by the Board.

(ii) in case of communication of any work to the public by broadcast —

- (a) time slot in which the broadcast takes place and different rates for different time slot including the repeat broadcast;
- (b) different rates for different classes of works;
- (c) the prevailing standards of royalties payable in this regard for such works; and
- (d) such other matters as may be considered relevant by the Board.

9. Extension of the period of licence. —The Board may, on the application of the licensee and after notice to the owner of the copyright, wherever practicable, if it is satisfied that the licensee was for sufficient reasons unable to re-publish the work or perform the work in public or communication of the work to public by broadcast within the period specified in the licence, extend such period.

10. Cancellation of licence.—The Board may, after giving an opportunity of being heard to the licensee, cancel the licence on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the licensee has failed to re-publish the work or perform the work in public or communication of the work to public by broadcast within the time specified in the licence or within the time extended on the application of the licensee;
- (b) that the licence was obtained by fraud or misrepresentation as to any essential fact; and
- (c) that the licensee has contravened any of the terms and conditions of the licence.

CHAPTER V**COMPULSORY LICENCE TO PUBLISH OR COMMUNICATE TO THE PUBLIC THE WORK OR TRANSLATION THEREOF**

11. Application for licence. — (1) An application for a licence under section 31A to publish or communicate to the public the work or translation thereof, in any language, any unpublished work or any work published or communicated to the public and the work is withheld from the public in India, the author is dead or unknown or cannot be traced, or the owner of the copyright in such work cannot be found, shall be made by any person in Form III and shall be accompanied by the fee specified in the Second Schedule:

Provided that in case the desired author is dead such application for publication of the work can be made only if there is a failure to publish the work within the time specified by the Central Government as provided in sub-section (6) of section 31A.

(2) Every such application shall be made in respect of one work only and in respect of translation of a work into one language only.

(3) The application other than an application under sub-section (7) of section 31A shall be accompanied by a newspaper containing the publication issued under sub-section (2) of section 31A and published in one issue of a daily newspaper in the English language having circulation in the major part of the country and where the application is for the publication of a translation in any language, in one issue of any daily newspaper in that language.

(4) If the Board is satisfied that the licence for publication or communication to the public or translation in any language of the work, applied for may be granted to the applicant, or if there are more applicants than one, to such applicants, as, in the opinion of the Board, would best serve the interest of the general public, it shall direct the Register of Copyright to grant the licence accordingly.

(5) Every such licence shall be subject to the conditions provided in sub-section (7) of section 31A, and shall specify —

- (a) the period within which such work shall be published, translated or communicated to the public;
- (b) the price at which the copies of such work are to be sold or charges to be collected for communicating the work to the public;
- (c) the amount of royalty to be deposited and the account in which it has to be deposited;
- (d) in case of translation of the work, the language in which the translation shall be produced and published; and

(e) in case of communication to the public of the work the medium in which it is to be communicated to the public.

(6) The grant of every such licence shall, as soon as possible, be notified in the Official Gazette and on the website of the Copyright Office and the Board and a copy of the licence shall be sent to the other parties concerned.

12. Manner of determining royalties.—The Board shall determine the amount of royalty to be deposited by the applicant. The Board may while determining the royalty shall take into consideration the following—

- (a) the prevailing standards of royalties with regard to such works; and
- (b) such other matters as may be considered relevant by the Board.

13. Extension of the period of licence.—The Board may, on the application of the licensee, if it is satisfied that the licensee was for sufficient reasons unable to produce and publish the translation or reproduce the work or communicate the work to the public within the period specified in the licence, extend such period.

14. Cancellation of licence.—The Board may, after giving an opportunity to the licensee of being heard, cancel the licence on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the licensee has failed to produce and publish such work or communicate to the public the work within the time specified in the licence or within the time extended on the application of the licensee;
- (b) that the licence was obtained by fraud or misrepresentation as to any essential fact;
- (c) that the licensee has contravened any of the terms and conditions of the licence.

15. Notice for termination of licence.—Notice for termination of licence under proviso to sub-section (1) or sub-section (2) of section 32B shall be served on the person holding the licence by the owner of copyright in Form IV.

16. Notice for publication of a work in case of death of original owner.—The Central Government, if decides to make a request under sub-section (6) of section 31A, shall specify a minimum period of six months and a maximum of one year for publication of work by the heirs, executors or legal representatives of the author of work.

CHAPTER VI

COMPULSORY LICENCE FOR BENEFIT OF DISABLED

17. Application for licence.—(1) An application for a licence under section 31B to publish any work in any format useful for person with disability shall be made in Form V and shall be accompanied by the fee specified in the Second Schedule.

(2) Every such application shall be made in respect of one work only.

18. Notice of application.—(1) A copy of application under rule 17 shall be served by registered post on the owner of copyright and if the owner of such copyright is not known or

is not traceable, a copy of the application shall be served by registered post on the publisher whose name appears on the work.

(2) The Board shall give an opportunity of being heard to the owner of the copyright and the applicant and also, wherever practicable, to any person claiming any interest in the copyright of the work, and shall take such evidence in respect of the application, as it deems fit.

(3) If the Board is satisfied that the licence for publication of the work in the format applied for may be granted to the applicant, or if there are more applicants than one, to such of the applicants, as, in the opinion of the Board, would best serve the interest of the disabled persons, it shall direct the Registrar of Copyright to grant licence accordingly.

(4) Every such licence shall specify:

- (a) the period within which such work shall be published;
- (b) the medium and format in which the work shall be produced and published;
- (c) the number of copies that shall be produced;
- (d) the rate at which royalties in respect of the copies of such work sold to the disabled persons shall be paid to the owner of the copyright in the work; and
- (e) the person to whom such royalties shall be payable.

(5) The grant of every such licence shall, as soon as possible, be notified in the Official Gazette and the website of the Copyright Office and the Board and a copy of the licence shall be sent to the other parties concerned.

19. Manner of determining royalties. — The Board shall determine the royalties payable to the owner of the copyright under sub-section (4) of section 31B. The Copyright Board may while determining royalty shall take into consideration the following:—

- (a) the proposed price at which a copy of such work shall be made available to disabled persons;
- (b) the prevailing standards of royalties in regard to such works taking into consideration; (c) the cost involved in making the accessible formats for the disabled person; and
- (d) such other matters as may be considered relevant by the Copyright Board.

20. Extension of the period of licence. — The Board may, on the application of the licensee and after notice to the owner of the copyright, wherever practicable, if it is satisfied that the licensee was for sufficient reasons unable to produce and publish the work within the period specified in the licence, extend such period.

21. Cancellation of licence. — The Board may, after giving an opportunity of being heard to the licensee, cancel the licence on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the licensee has failed to produce and publish such work within the time specified in the licence or within the time extended on the application of the licensee;

- (b) that the licence was obtained by fraud or misrepresentation as to any essential fact;
- (c) that the licensee has contravened any of the terms and conditions of the licence;
- (d) the owner of the copyright has satisfied the requirement of the disabled person by publishing in the same format with same or lower price for which compulsory licence was granted.

22. Notice for termination of licence.— Notice for termination of licence granted under sub-section (3) of section 31B shall be served on the person holding the licence by the owner of copyright in Form IV.

CHAPTER VII

STATUTORY LICENCE FOR COVER VERSIONS

23. Notice for making Cover Version. - (1) Any person intending to make a cover version, being a sound recording in respect of any literary, dramatic or musical work under sub-section (1) of section 31C shall give a notice of such intention to the owner of the copyright in such works and to the Registrar of Copyrights at least fifteen days in advance of making the cover version and shall pay to the owner of the copyright in the original literary, dramatic and musical works, along with the notice, the amount of royalties due in respect of a minimum of fifty thousand copies and if the number is more, for all the copies of cover version to be made, at the rates determined by the Board in this regard under rule 27 and provide copies of all covers and labels with which the cover version is to be sold.

Provided that in respect of works in a particular language or dialect for which the Board by general order has fixed a lower minimum as per proviso to sub-section (4) of section 31C, the applicant shall pay the royalty for the lower minimum fixed by the Board and if the number is more, for all the copies of the cover version.

Provided further that any person intending to make a cover version shall give a notice under this Chapter only after the royalty to be paid is determined by the Board under rule 27 and published in the Official Gazette and in the website of the Copyright Office and the Board.

Explanation: For the purpose of this rule “cover version” means a sound recording made in accordance with section 31C and this rule.

(2) Such notice shall contain the following information, namely:—

- (a) the particulars of the work in respect of which cover version is to be made;
- (b) alterations, if any, which are proposed to be made for the adaptation of the work to the cover version and the evidence of consent of the author of work, if required, for making such alteration;
- (c) the name, address and nationality of the owner of the copyright in the work;
- (d) particulars of the sound recording made previously of the work;

- (e) the total number of copies of the cover version and the calendar year in which it is proposed to be made;
- (f) the medium in which the sound recording was last made and the cover version is proposed to be made;
- (g) the price at which the cover version is proposed to be sold; and
- (h) the details of the advance payment of royalties paid as determined by the Board in this regard under rule 27.

24. Conditions to be followed while making cover version. —(1) While making the cover version the producer shall maintain the integrity of the original literary, dramatic or musical works, except to the extent as may be technically necessary for the purpose of making the cover version.

(2) The cover version shall not be issued in any form of packaging or with any cover or label including any label or carton or inlay card or website having design or colour scheme or layout or getup similar to that of the original sound recording which is likely to mislead or confuse the public as to the identity of the original sound recording.

(3) The cover version shall not use the label of the original sound recording and shall state in bold letters on the cover that it is a cover version made under section 31C.

(4) The cover version shall prominently display the names of performers and shall not contain the name or depict in any way any performer of an earlier sound recording of the same work or any cinematograph film in which such sound recording was incorporated.

25. Notice for making additional copies of Cover version. —A person who made cover version under a license granted under section 31C after giving notice and intends to make additional copies during the period for which he gave notice for making cover version under section 31C or desiring to continue with the making of cover version shall give fresh advance notice under rule 23 and comply with all the conditions including the payment of advance royalties determined by the Board in this regard under rule 27.

26. Maintaining of records. —(1) The person making cover version shall maintain at its principal place of business a register containing the details of total number of copies made, sold and number of copies remaining in stock, except in the case of sale by on-line downloads.

(2) The person making such cover version shall maintain separate books of accounts containing particulars about the total expenditure in making cover version under different heads of expenditure along with total income derived from the sale of number of copies of such cover version.

(3) The records, registers and books of accounts kept at the principal place of business of the person making cover version shall be open for inspection to the owner of rights or his duly authorised agent or representative on his behalf during the business hours with prior permission of the person making such cover version and, if needed, they may obtain copies of relevant extracts at their own cost.

27. Manner of determining royalties. — (1) The Board shall immediately after its constitution either *suo motu* or on receipt of a request from any interested person give public notice of its intention to fix royalties for making cover version under section 31C and may invite suggestions for determining the same.

(2) The notice under sub-section (1) shall be published by the Board in the Official Gazette and the same to be re-published in two daily news papers having circulation in the major part of the country and shall post the same on the website of the Copyright Office and the Board.

(3) Any owner of copyright or any person involved in the business of making cover version or any other interested person may within thirty days from the date of publication of public notice under sub-rule (1) may give suggestions with adequate evidence as to the rate of royalties to be fixed including different rates for different works, languages, media and formats.

(4) The Board shall, after giving an opportunity of being heard to the persons who made relevant suggestions under sub-rule (3), consider such suggestions, as it deems fit.

(5) The Board shall within a period of two months from the last date of receipt of the suggestions, determine the royalties payable to the owner of the copyright under sub-section (2) of section 31C. The Board while determining the royalty shall take into consideration the following factors, namely: —

- (a) the retail price of the earlier sound recording;
- (b) the prevailing standards of royalties with regard to literary, dramatic or musical work for making such recordings;
- (c) the nature and class of the work, language, format and medium in which it is to be sold; and
- (d) such other matters as may be considered relevant by the Board.

(6) The Board may revise the rates of royalties periodically, at least once in a year, keeping in view of the provisions of this rule.

28. Complaint in respect of non-payment of royalties.—(1) The owner of a copyright in any literary, dramatic or musical works included in original sound recording may make a complaint to the Board in case of non-payment of royalty in full, as determined by the Board, in respect of the cover version purported to be made.

(2) If the Board is prima facie satisfied as to the genuineness of the complaint, it may pass an interim order directing the person making the cover version to cease from making further copies.

(3) The Board may, after holding such enquiry as it considers necessary and after giving an opportunity of being heard to the owner of rights in any literary, dramatic or musical works included in original sound recording, make such further order, as it deems fit, including an order for payment of royalty.

CHAPTER VIII

STATUTORY LICENCE FOR BROADCASTING OF LITERARY AND MUSICAL WORKS AND SOUND RECORDING

29. Notice to owner for communication to the public of literary and musical works and sound recordings.— (1) Any broadcasting organisation desirous of communicating to the public by way of broadcast or by way of performance of a published literary or musical work and sound recording under sub-section (1) of section 31D shall give a notice of its intention to the owner of the copyright and to the Registrar of Copyrights before a period of five days in advance of such communication to the public and shall pay to the owner of the copyright, in the literary or musical work or sound recording or any combination thereof, the amount of royalties due at the rate fixed by the Board in this regard:

Provided that in case of communication to the public by way of broadcast or by way of performance of a newly published literary or musical work or sound recording or any combination thereof, which has been published within the said period of five days of such communication and which do not form part of the scheduled programmes, the notice shall, be given before such communication to the public:

Provided further that in case of communication to the public by way of broadcast or by way of performance of any published literary or musical work and sound recording or any combination thereof, in unforeseen circumstances, the notice shall, be given within twenty-four hours of such communication to the public.

Provided also that any broadcasting organisation shall give a notice under this Chapter only after the royalty to be paid is determined by the Board under rule 31 and published in the Official Gazette and in the website of the Copyright Office and the Board.

(2) Every such notice shall be in respect of works belonging to one owner only.

(3) Separate notices shall be given for communication to public by way of radio broadcast or television broadcast or by way of performance of a literary or musical work and sound recording which has already been published.

(4) The notice under sub-rule (1) shall contain the following particulars, namely:—

- (a) Name of the channel;
- (b) Territorial coverage where communication to public by way of radio broadcast, television broadcast or performance under sub-rule (3) is to be made;
- (c) Details necessary to identify the work which is proposed to be communicated to the public by way of radio broadcast, television broadcast or performance under sub-rule (3);
- (d) Year of publication of such work, if any;
- (e) Name, address and nationality of the owner of the copyright in such works;
- (f) Names of authors and principal performers of such works;
- (g) alterations, if any, which are proposed to be made for the communication to the public by way of radio broadcast, television broadcast or performance of the works, reasons thereof, and the evidence of consent of the owners of rights, if required, for making such alteration;
- (h) Mode of the proposed communication to public, i.e. radio, television or performance;
- (i) Name, if any, of the programme in which the works are to be included;
- (j) Details of time slots, duration and period of the programme in which the works are to be included;
- (k) Details of the payment of royalties at the rates fixed by the Board; and
- (l) Address of the place where the records and books of accounts are to be maintained for inspection by the owner of rights.

30. Maintaining of records.—(1) Records containing the details of the owners in respect of total number of works broadcast, the details of such works and the time slot, duration and period of the broadcast shall be maintained by the broadcasting organisation at its principal place of business and shall be open to inspection on prior notice by the owner of rights or his duly authorised agent or representative in the works during business hours and may obtain copies of relevant extracts from such records at their cost. The broadcasting organisation shall maintain separate records for radio broadcasting and television broadcasting.

(2) The broadcasting organisation shall maintain separate books of accounts for communication to public by way of broadcast containing such details as may be determined by the Board at the time of fixing the rate of royalty and render to the owners of rights such reports and accounts.

31. Manner of determining royalties. — (1) The Board shall immediately after its constitution either *suo motu* or on receipt of a request from any interested person, give public notice of its intention to fix royalties for communication to the public of literary or musical work and sound recording under section 31D and may invite suggestions for determining the same. Such notice shall be given separately for radio and television broadcasting.

(2) The notice under sub-rule (1) shall be published by the Board in the Official Gazette and shall be re-published in two daily news papers having circulation in the major part of the country and shall be posted on the website of the Copyright Office and the Board.

(3) Any owner of copyright or any broadcasting organisation or any other interested person may within thirty days from the date of publication of public notice under sub-rule (1) shall give suggestions with adequate evidence as to the rate of royalties to be fixed including different rates for different works and different formats.

(4) The Board shall after giving an opportunity being heard to the persons who made relevant suggestions under sub-rule (3), consider such suggestions, as it deems fit.

(5) The Board shall within a period of two months from the last date of receipt of suggestions, determine separate rates of royalty to be paid to the owners of literary or musical work and sound recording for radio and television broadcasting respectively.

(6) The Board shall determine the royalties payable to the owner of the copyright under sub-section (2) of section 31D for radio and television broadcast separately.

(7) The Board while determining the royalty shall take into consideration the following factors, namely: —

- (a) time slot in which the broadcast takes place and different rates for different time slot including repeat broadcast;
- (b) different rates for different class of works;
- (c) different rates for different nature of use of work;
- (d) the prevailing standards of royalties with regard to such works;
- (e) the terms and conditions included in the Grant of Permission Agreement (GOPA) between Ministry of Information and Broadcasting and the broadcaster for Operating Frequency Modulation (FM) Radio Broadcasting Service; and
- (f) such other matters as may be considered relevant by the Board.

(8) The Board while determining the payment of royalties under sub-rule (5) shall take into consideration, the following factors, namely: —

- (a) works included in the scheduled programmes;
- (b) works newly published and not included in the scheduled programme;
- (c) works communicated to the public on unexpected circumstances; and
- (d) use of works in excess of the duration, different time slot or territorial coverage than mentioned in the notice

(9) The Board may revise the rates of royalties periodically, at least once in a year keeping in view the provisions of these rules.

CHAPTER IX**LICENCES FOR TRANSLATIONS**

32. Application for licence. — (1) An application for a licence under section 32 to produce and publish a translation of a literary or dramatic work in any language shall be made in Form VI and shall be accompanied by the fee specified in Second Schedule.

(2) Every such application shall be in respect of one work only and for translation of that work into one language only.

33. Notice of application. — (1) When any such application has been made, the Board shall, as soon as possible, give notice of the application in the Official Gazette and also, if the Board thinks fit, in one or two newspapers and shall send a copy of the notice to the owner of the Copyright, wherever practicable.

(2) Every such notice shall contain the following particulars, namely: —

- (a) the date of the application;
- (b) the name, address and nationality of the applicant;
- (c) particulars of the work which is to be translated;
- (d) the date and country of the first publication of the work;
- (e) the name, address and nationality of the owner of the copyright as stated in the application;
- (f) the language in which the work is to be translated; and
- (g) the registration number of the work in the Register of Copyrights, if any.

34. Consideration of the application. — (1) The Board shall consider the application after the expiry of not less than one hundred and twenty days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

(2) The Board shall give an opportunity to the applicant and also, wherever practicable to any person claiming any interest in the Copyright of the work, to be heard and may take such evidence in respect of the application, as it thinks fit.

(3) If more than one application for translation of the work in the same language is pending before the Board at the expiry of one hundred and twenty days after the publication in the Official Gazette of the notice of the application first received, all such applications shall be considered together.

(4) If the Board is satisfied that the licence for a translation of the work in the language applied for may be granted to the applicant or, if there are more applicants than one to such one of the applicants as, in the opinion of the Board, would best serve the interests of the general public, it shall grant a licence accordingly.

(5) Every such licence shall be subject to the condition provided in sub-section (4) of section 32 relating to the payment of royalties and shall specify—

- (a) the period within which the translation shall be produced and published;
- (b) the language in which the translation shall be produced and published;

- (c) the rate at which royalties in respect of the copies of the translation of the work sold to the public shall be paid to the owner of the copyright in the work; and
- (d) the person or persons to whom such royalties shall be payable.

(6) The grant of every such licence shall, as soon as possible, be notified in the Official Gazette and in the newspapers, if any, in which the notice under rule 33 was published and a copy of the licence shall be sent to the other parties concerned and posted on the official website of copyright office and the Board.

35. Manner of determining royalties. —The Board shall determine the royalties payable to the owner of the copyright under sub-section (4) of section 32. The Board while determining the royalty shall take into consideration the following, namely:—

- (a) the proposed retail price of a copy of the translation of the work;
- (b) the prevailing standards of royalties with regard to translation of works; and
- (c) such other matters as may be considered relevant by the Board.

36. Extension of the period of licence. —The Board may, on the application of the licensee and after notice to the owner of the copyright, wherever practicable, if it is satisfied that the licensee was for sufficient reasons unable to produce and publish the translation within the period specified in the licence, extend such period.

37. Cancellation of licence. —The Board may, after giving the licensee an opportunity of being heard, cancel the licence on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the licensee has failed to produce and publish the translation within the time specified in the licence or within the time extended on the application of the licensee;
- (b) that the licence was obtained by fraud or misrepresentation as to any essential fact; and
- (c) that the licensee has contravened any of the terms and conditions of the licence.

CHAPTER X

LICENCE FOR PUBLICATION, TRANSLATION AND RE-PRODUCTION OF WORK

38. Application for licence. — (1) An application for a licence under sub-section (1A) of section 32 and section 32A to publish or to translate any work in any language or to reproduce any published work shall be made in Form VII and shall be accompanied by the fee specified in the Second Schedule.

(2) Every such application shall be in respect of one work only and in respect of translation of a work into one language only.

39. Notice of application. — (1) A copy of such application shall be served by registered post on the owner of copyright .

(2) The Board shall give an opportunity of being to the applicant and also, wherever practicable, to any person claiming any interest in the copyright of the work, and may take such evidence in respect of the application, as it may deem fit.

(3) If the Board is satisfied that the licence for a translation of the work in the language or for publication or for reproduction of the work, applied for may be granted to the applicant, or if there are more applicants than one, to such of the applicants, as in the opinion of the Board, would best serve the interest of the general public, it shall grant a licence within a period of two months.

(4) Every such licence shall be subject to the conditions provided in clause (i) of sub-section (4) of section 32 and clause (i) of sub-section (4) of section 32A of the Act relating to payment of royalties and shall specify :—

- (a) the period within which such work shall be published;
- (b) the rate at which royalties in respect of the copies of such work sold to the public shall be paid to the owner of the copyright in the work;
- (c) in the case of translation of the work, the language in which the translation shall be produced and published; and
- (d) the person or persons to whom such royalties shall be payable.

(5) The grant of every such licence shall, as soon as possible, be notified in the Official Gazette and shall be posted on the website of the Copyright Office and the Board and a copy of the licence shall be sent to the other parties concerned.

40. Manner of determining royalties. —The Board shall determine the royalties payable to the owner of the copyright under clause (i) of sub-section (4) of section 32 and clause (i) of sub-section (4) of section 32A of the Act. The Board may while determining the royalty shall take into consideration the following, namely:—

- (a) the proposed retail price of a copy of such work;
- (b) the prevailing standards of royalties with regard to such works; and
- (c) such other matters as may be considered relevant by the Board.

41. Extension of the period of licence.—The Board may, on the application of the licensee and after notice to the owner of the copyright, wherever practicable, if it is satisfied that the licensee was for sufficient reasons unable to produce and publish the translation or for publish or reproduce the work within the period specified in the licence, extend such period.

42. Cancellation of licence. —The Board may, after giving the licensee an opportunity of being heard, cancel the licence on any of the following grounds, namely:—

- (a) that the licensee has failed to produce and publish such work within the time specified in the licence or within the time extended on the application of the licensee;

(b) that the licence was obtained by fraud or misrepresentation as to any essential fact; and

(c) that the licensee has contravened any of the terms and conditions of the licence.

43. Notice for termination of licence. —Notice for termination of licence under proviso to sub-section (1) or sub-section (2) of section 32-B shall be served on the person holding the licence by the owner of copyright in Form IV of the First Schedule annexed to these rules.

CHAPTER XI

COPYRIGHT SOCIETIES

44. Conditions for submission of application for registration of copyright society. — (1) Any association of persons, having an independent legal personality, comprising seven or more authors and other owners of rights (hereinafter referred to as “the applicant”) formed for the purpose of carrying on the business of issuing or granting licences in respect of a right or set of rights in specific categories of works may file with the Registrar of Copyrights an application in Form VIII for submission to the Central Government for grant of permission to carry on such business and for its registration as a copyright society. The Central Government may grant registration of the society for a period of five years under sub-section (3A) of section 33.

(2) An application under sub-rule (1) of rule 44 shall be signed by the Chairman, all other members of the Governing Council (by whatever name called) with such number of persons elected from among the members of the society consisting of equal number of authors and other owners of right, if any, for the purpose of the administration of the society and the Chief Executive Officer of the applicant (who need not be a member).

(3) The business of issuing or granting licence in respect of literary, dramatic, musical and artistic works incorporated in a cinematograph film or sound recording shall be carried out only through a copyright society duly registered under section 33 of the Act.

45. Membership of Copyright Society. —Membership of every copyright society shall be open to all the authors and other owners of a right or set of rights in specific categories of works for which it is registered.

46. Conditions for grant of permission to carry on copyright business. —(1) An applicant referred to in rule 44 for registration of it as a copyright society shall not be eligible to be considered for such registration unless—

(i) the instrument by which the applicant is established or incorporated creates a commitment on it to deal with only the business of issuing or granting licences in respect of a right or set of rights in specific categories of works and other activities ancillary thereto; and

(ii) the applicant is willing to comply with the provisions of the Act and the rules made thereunder.

(2) The applicant shall not carry out the business by way of sub-licensing or transferring the rights of collection and distribution of royalties in respect of a right or set of rights in specific categories of works to any other person or copyright society:

Provided that the applicant may enter into agreement with any foreign society or organisation administering rights corresponding to the right or set of rights administered by the applicant to entrust to such foreign society or organisation the administration in any foreign country of the right or set of rights administered by the applicant, or for administering in India the rights administered in a foreign country by such foreign society or organisation under sub-section (2) of section 34 of the Act.

Explanation: For the purpose of this chapter “instrument” means the memorandum and articles of association.

47. Application and conditions for re-registration or renewal of existing copyright society. —(1) A Copyright society registered section 33 and desirous of carrying on the business as a copyright society shall submit an application for re-registration in Form-IX to the Registrar of Copyrights within a period two months from the date of Coming into force of these rules.

(2) A copyright society registered under this chapter may apply for renewal of its registration within a period of three months before the expiry of its registration. The application for such renewal shall be made to the Registrar of Copyrights in Form-IX for submission to the Central Government for grant of permission to continue with its business and the Central Government may renew the registration of the society for a further period of five years after considering the report of the Registrar of Copyrights on the working of the copyright society.

(3) In case of renewal of registration the applicant shall submit a copy of resolution passed by the General Body declaring that all the royalties collected till the previous accounting year have been distributed to all accessible members and no complaint in this regard is pending.

(4) The applicant in case of re-registration or renewal of registration shall submit necessary documents indicating re-election to the Governing Council including its Chairman.

48. Documents accompanying applications. —Every application made under rule 44 and 47 shall be accompanied by —

- (a) a true copy of the instrument by which the applicant is established or incorporated;
- (b) the consent in writing of the individuals named in the application to act as members of the Governing Council of the applicant;

- (c) a declaration containing the objectives of the applicant, the bodies through which it will function and arrangements for accounting and auditing;
- (d) an undertaking to the effect that the instrument by which the applicant is established or incorporated provides for conforming the same to the provisions of the Act and these rules;
- (e) a copy of the Register of authors and owners containing the list of the authors and other owners of rights, their names and addresses;
- (f) a statement as to the changes, if any, made in the instrument since the last General Body in case of application made under rule 47; and
- (g) copies of various schemes as mentioned in this chapter as approved by the General Body in case of application made under rule 47.

49. Conditions for registration of a copyright society. — (1) When an application for registration is submitted to the Central Government through the Registrar of Copyrights, that Government may, within a period of sixty days from the date of its receipt by the Registrar of Copyrights either register the applicant as a copyright society or, if —

- (i) the applicant has no professional competence to carry on its business or has no sufficient funds to manage its affairs; or
- (ii) there exists another copyright society registered under the Act for administering the same right or set of rights in the specific categories of works and it is well functioning ; or
- (iii) the Central Government has reason to believe that the members of the applicant are not *bona fide* copyright authors or other owners or they have not voluntarily signed the instrument setting up the applicant and the application for registration ; or
- (iv) the application is found to be incomplete in any respect,

reject the application:

Provided that no such application shall be rejected without giving an opportunity of being heard to the applicant.

(2) Upon the registration of a copyright society by the Central Government, the Registrar of Copyrights shall issue a certificate of registration in Form-X under his hand and seal.

(3) On and from the date of its registration as specified in the certificate of registration, the copyright society shall be entitled to commence and carry on the permitted copyright business in the name by which it has been so registered and the applicant shall —

- (a) maintain its own website giving all information pertaining to its activities; and
- (b) have proper infrastructure such as office building and necessary officials for management such as Chief Executive Officer, licensing officers, legal officers and accountants and other required staff appointed at the time of applying for registration.

(4) The Copyright Society shall carry on business of issuing or granting licences only in respect of the right or the set of rights in the specific categories of works for which it is registered and shall not issue or grant licence in respect of any other right or set of rights in those or other categories of works for which it is not registered.

50. Order of inquiry, suspension of registration and appointment of administrator.—(1)

If the Central Government, on a complaint of the Registrar of Copyrights or a member of the copyright society, has reason to believe that the copyright society is being managed in a manner detrimental to the interests of its members concerned or for non-compliance of requirements under section 33A, sub-section (3) of section 35 and section 36 of the Act or any change carried out in the instrument by which the copyright society is established or incorporated and registered by the Central Government, without prior notice to it shall, provide a copy of the complaint to the society and require the society to submit a written statement within fifteen working days.

(2) If, after considering the written statement furnished by the society, the Central Government is *prima facie* satisfied:—

(a) it shall order an inquiry under sub-section (4) of section 33, into the allegations and appoint an inquiry officer not below the rank of a Deputy Secretary to the Government of India for holding an inquiry. During inquiry, if the Central Government is of the opinion that in the interests of the members concerned, it is necessary so to do, it may, by order, suspend the registration of the society for a period not exceeding one year, and shall appoint an administrator to discharge the functions of the copyright society; or

(b) it may, in the interests of the members concerned, suspend the registration of the society for a period not exceeding one year and appoint an administrator to discharge the functions of the copyright society and further order an inquiry as per clause (a).

(3) The person appointed as administrator shall be a person with sufficient experience in administration or accounting of copyright matters.

51. Procedure for holding Inquiry.—(1) The inquiry officer appointed under rule 50 shall conduct the inquiry having regard to the principles of natural justice.

(2) The inquiry officer may, if he considers necessary, engage a chartered accountant or an audit officer in the office of the Comptroller and Auditor-General of India or any legal, financial, copyright consultant to assist him in the inquiry.

(3) The copyright society concerned shall render all assistance and shall make available all such documents as may be called for by the inquiry officer to enable him to complete the inquiry within a period of three months or such further time as may be allowed by the Central Government.

52. Powers and Functions of the Administrator.—(1) On appointment of the administrator under rule 50 read with sub-section (5) of section 33 of the Act, all powers of the copyright society shall vest in him and all other representative bodies or committees of the copyright society other than the general body shall stand dissolved.

(2) The administrator shall arrange for the reconstitution of the dissolved bodies before the expiry of the period of suspension failing which, the bodies so superseded shall stand revived at the end of the period of suspension for their remaining term, excluding the period of suspension.

53. Cancellation of registration of a copyright society.—The registration of a copyright society as such may be cancelled by the Central Government after giving the copyright society a reasonable opportunity of being heard, if—

(a) any of the particulars furnished in the application for registration is, at any time, found to be untrue or incorrect and misleading in any manner; or

(b) after holding an inquiry by an officer duly appointed by the Central Government, the Central Government is satisfied that—

(i) the copyright society failed to cooperate with the inquiry officer; or

(ii) the complaints against the copyright society are found to be true; or

(iii) the copyright society is being managed in a manner detrimental to the interests of the members concerned; or

(iv) the copyright society persistently fails to manage its affairs properly; or

(v) the copyright society failed to distribute the royalties as per the scheme; or

(vi) the copyright society persistently fails to properly maintain its accounts and get them audited; or

(vi) the copyright society utilises its funds for purposes other than those mentioned in the instrument; or

(c) the society has not complied with—

(i) section 33A of the Act regarding the publication of Tariff scheme by the copyright society; or

(ii) sub-section 3 of section 35 of the Act regarding equal representation of authors and other owners of rights in the Governing Council of copyright society as specified in rule 44; or

(iii) section 36 of the Act regarding submission of returns and reports to the Registrar of Copyrights by copyright society; or

(iv) the procedure for obtaining approval of authors and other owners of right for collection and distribution of royalty; or

(d) the society is issuing or granting licence in respect of the right or set of rights in the specific category of works for which it is not registered.

54. Conditions subject to which a copyright society may accept authorisation and an author or other owner of rights may withdraw such authorisation.— (1) A copyright society may accept from an author or other owner of rights or his duly authorised agent, exclusive authorisation to administer the right or set of rights in the specific categories of works for which the copyright society is registered, if such author or other owner or such agent enters into an agreement, in writing, with the copyright society specifying the rights to be administered, the duration for which such rights are authorised to be administered, the quantum of royalty agreed to and the frequency at which such royalty shall be paid by the copyright society in accordance with its Scheme of Tariff and Distribution:

Provided that in case of literary or musical works included in a cinematograph film or sound recording the share of royalty other than for communication of the work along with the cinematograph film in a cinema hall shall be on equal basis between the author of the work and the owner of film or sound recording, as the case may be.

(2) The copyright society shall not impose any condition for distribution of royalties collected to author or other owner of rights.

(3) The author or other owner of rights shall, without prejudice to the rights under the agreement and subject to the condition of a prior notice of sixty days, be free to withdraw such authorisation in case the copyright society fails to fulfil its commitments as laid down in the agreement.

(4) The right to receive royalty, for any literary or musical work included in the cinematograph film, shared on equal basis with the assignee of copyright for the utilisation of such work in any form other than for the communication to the public of the work along with the cinematograph film in a cinema hall shall not be assigned to any other copyright society other than to the society for which it is intended to be registered.

(5) The right to receive royalty, for any literary or musical work included in the sound recording which does not form part of any cinematograph film, shared on equal basis for any utilisation of such works with the assignee of copyright shall not be assigned to any other copyright society other than to the society for which it is intended to be registered.

55. Conditions subject to which a copyright society may issue licences, collect royalties and distribute such royalties.— (1) A copyright society may issue licences and collect royalties in accordance with Tariff Scheme in relation to the right or the set of rights in the specific categories of works for which the copyright society is registered as it has been authorised to administer in writing by the members for the period for which it has been so authorised.

(2) The royalty so collected shall be distributed in accordance with the Distribution Scheme subject to a deduction not exceeding fifteen per cent. of the annual total collection on

account of administrative expenses incurred by the copyright society and a further deduction not exceeding five per cent. for the Welfare Scheme under rule 71.

Provided that a copyright society may during the initial period of two years of its registration deduct up to twenty per cent. of the annual total collection on account of administrative expenses incurred by the society.

56. Tariff Scheme .— (1) As soon as may be, but in no case later than three months from the date on which a copyright society has become entitled to commence its copyright business, it shall frame a scheme of tariff to be called the "Tariff Scheme" under section 33A of the Act setting out the nature and quantum of royalties which it proposes to collect in respect of right or the set of rights in the specific categories of works administered by it.

(2) Every copyright society shall display its Tariff Scheme by posting it on its website.

(3) The Tariff Scheme shall indicate the separate rates for—

- (a) different categories of users;
- (b) different media of exploitation, such as telephone, broadcast or internet;
- (c) different types of exploitation whether by an individual or by groups or whether single or multiple use or for advertising;
- (d) different durations of use and territory; and
- (e) any other differentiation factor indicated by the society, as it may deem fit.

(4) While fixing the tariff the copyright society shall follow the guidelines issued by any court or the Board, if any, and may consult the user groups.

(5) The copyright society shall collect the royalties from a licensee in advance where the Tariff Scheme provides for lump sum payment of royalties. In cases where the Tariff Scheme provides for payments in installments, each instalment shall be collected in advance. However, in cases where the Tariff Scheme provides for the payment of royalties based on actual use, the copyright society may collect an advance at the time of issue of licence and settle the final payment based on actual use at the end of the period for which the licence is issued or granted.

Provided that the copyright society shall not receive any payment in the nature of minimum guarantee from a licensee whose royalty payments are based on actual use which are to be settled with the society at the end of the licence period except where, any exceptional circumstances are specifically included in the Tariff Scheme and the individual case has been approved by the Governing Council.

(6) The copyright society may revise the Tariff Scheme periodically but not earlier than a period of twelve months by following the rules. It shall publish the date of coming into of the revised Tariff Scheme at least before two months in advance and the same shall be posted on its website.

57. Appeal to the Board on Tariff Scheme .— (1) Any person aggrieved by the Tariff Scheme may appeal to the Board under section 33A along with the fee specified in the Second Schedule.

(2) The Board, if satisfied with the grounds of the appeal, shall—

- (a) serve a copy of the appeal to the copyright society; and
- (b) give an opportunity to the appellant and also, to the copyright society, to be heard and may take such evidence in respect of the appeal, as it may deem fit.

(3) The appellant shall pay to the copyright society any interim tariff fixed by the Board that has fallen due before filing an appeal to the Board.

(4) The Board may after hearing the parties fix an interim tariff and direct the appellant to make the payment accordingly pending disposal of the appeal.

(5) The Board shall determine the Tariff Scheme of the copyright society under section 33A, after taking into consideration:

- (a) the prevailing standards of royalties in regard to such commercial exploitation of works; and
- (b) such other matters as may be considered relevant by the Board.

(6) The Board shall dispose of the appeal within a period of three months from the date of its filing.

58. Distribution Scheme .— (1) A copyright society shall frame a scheme to be called the "Distribution Scheme" setting out the procedure for distribution of royalties specified in the Tariff Scheme among the members whose names are entered in the Register of Authors and Owners maintained under clause (i) of rule 59 for the approval of the General Body of the society, as soon as may be, but in no case later than three months from the date on which a copyright society has become entitled to commence its copyright business.

(2) The distribution shall, reasonably, be in proportion to the royalty income of the copyright society derived from the grant of licences for right or set of rights in the specific categories of works for which it is administering each author and other owners of right.

(3) There shall be no discrimination between authors and other owners of rights in the distribution of royalties by the copyright society.

(4) While distributing the royalties the copyright society shall inform all members about the basis on which such amount of royalties are being distributed.

(5) The Distribution Scheme shall aim to ensure that all royalty distributions are fair, accurate, cost effective and without any unknown or hidden cross-subsidies.

- (6) The society shall fix parameters in a transparent manner for determining the share of distribution of its members and reveal the details of the same in a manner that is easily understandable to its members.
- (7) The distribution of royalties shall be based on actual use or reliable statistical data that fairly represent the commercial exploitation of the licensed rights.
- (8) The Distribution Scheme shall ensure that the royalties to all members are distributed at least once in a quarter.
- (9) The copyright society shall not make any payment in the nature of minimum guarantee to its members against the share of royalties due to its members.
- (10) The royalties collected based on the Tariff Scheme for the licensing of the rights in the literary or musical works included in a cinematograph film or sound recording shall be shared on an equal basis with the authors of literary or musical works and the owners of rights in cinematograph film or sound recording under sub-section (1) of section 18.

59. Management of Copyright Society.— (1) Every copyright society shall have—

- (a) a General Body consisting of all the authors and other owners of right or set of rights in the specific categories of works for which the copyright society has been authorised to issue or grant licences;
- (b) a Governing Council with a Chairman and a minimum of six other members; and
- (c) a Chief Executive Officer (who may or may not be a member of the society).

(2) The General Body shall be the decision making body of the society. All the powers necessary for the purpose of effective management of the society shall be with the General Body and the Governing Council may act as per the directions of the Governing Body.

(3) The Chairman shall be elected by two third of the majority of all the members present and voting in the General Body meeting of the Copyright Society.

(4) The Chairman of the Governing Council shall chair the General Body.

(5) The Chairman shall have the right to vote in the General Body and the Governing Council.

(6) The members other than the Chairman of the Governing Council shall represent equally from authors and other owners, elected from the General Body by the majority of members present and voting in the General Body meeting of the Copyright Society.

(7)The Chairman and other members of the Governing Council shall be elected for a period of two years and the members shall not be eligible for re-election for a period of two years from the date of completion of their term as members.

(8)The General Body may create sub-committees for preparing Tariff Scheme, Distribution Scheme, Welfare Scheme and such other matters relating thereto, under the supervision of the Governing Council.

(9)The General Body shall approve the instrument of the society including any subsequent changes made to it.

60. Approval of Schemes .— (1) The copyright society shall call a General Body meeting to approve any Scheme, as soon as it has been prepared by the Governing Council in these rules.

(2)A notice of not less than twenty-one days for the meeting shall be given to every member and a copy of the proposed Scheme together with a note explaining the guiding principles followed in the making of the said Scheme shall be annexed to the notice and the same shall be posted on the website of the society.

(3)The notice under sub-rule (2) shall specify that any member who objects to the Scheme shall be entitled to withdraw the authorisation given to the copyright society to administer any right in his work from the date of commencement of the said Scheme.

(4)The copyright society shall keep a record of the members who have given their approval and those who have objected thereto.

(5)Approval of the Schemes shall be by a majority of members present in person and voting.

(6)The copyright society shall not amend any approved Scheme except with the prior approval of the General Body.

61. Meetings of the Society .— (1) Every copyright society shall hold a General Body meeting of all its members as its annual General Body meeting before the 31st day of March every year.

(2) A special meeting of the General Body called extra ordinary General Body meeting of all its members may also be held, if considered necessary, by two thirds majority of the Governing Council.

(3)The meetings of General Body and Governing Council shall be held in the town or city in which its registered office is situated or such other convenient place as decided by the Chairman of the society.

(4) The notice for General Body meeting shall be issued before twenty-one days of the meeting and it shall specify the agenda, time, date and address of the venue of the meeting and the same shall be posted on the website of the society.

(5) Every member of the society shall have equal voting rights in the General Body meetings.

(6) There shall be no discrimination between members who are authors and other owners of right.

(7) Quorum for meetings of the General Body shall be one third of the total members and in case of lack of quorum the meeting may be adjourned for thirty minutes and then members present shall constitute quorum.

(8) Quorum for the meetings of the Governing Council shall be one third of its total members other than the Chairman with equal number of authors and other owners.

(9) The Registrar of Copyrights shall be invited as an observer to all General Body meetings. The Registrar or his authorised representative on his behalf may attend the said meeting.

62. Documents to be presented in the annual General Body meeting .— Every copyright society shall place before its annual General Body meeting the following documents, namely:—

- (i) an up-to-date list of the authors and other owners of right or the set of rights in the specific categories of works for which the copyright society has been authorised to issue or grant licences, their names and addresses as recorded in the Register of Authors and Owners maintained by the copyright society, as provided in sub-rule (i) of rule 64;
- (ii) audited accounts of the society for the previous year;
- (iii) the Tariff Scheme and the Distribution Scheme or any other scheme including the decision of the Copyright Board on the said Schemes, if any;
- (iv) annual report as approved by the Governing Council, giving full and detailed account of all its activities during the previous years;
- (v) Budget estimates along with programme of action as approved by the Governing Council for the succeeding year;
- (vi) the agreements, if any entered with foreign copyright societies under sub-section (2) section 34 of the Act;
- (vii) any changes made in the instrument of registration of the society; and
- (viii) any other document relating to the society that require approval of the General Body.

63. Accounts and audit .— (1) Every copyright society shall maintain proper accounts of the royalties collected in a financial year, payments made out of such collections to the members

and other recurring and non-recurring expenditure incurred for meeting the administrative and related matters, including the cost of litigations.

(2) The books of accounts shall be kept in the registered office of the society and shall be open for inspection of the members from time to time as per the conditions laid down by the General Body.

(3) Every copyright society shall get its accounts audited by a chartered accountant annually.

64. Records to be maintained by copyright societies .—Every copyright society shall maintain the following registers at its registered or administrative office—

(i) a register of authors and other owners to be called the “Register of Authors and Other Owners” in respect of right or set of rights in the specific categories of works for which the copyright society has been authorised to issue or grant licences. The register shall contain the names of the authors and other owners, their addresses, the nature of rights authorised to be administered by the copyright society, year of publication of the work, the date on which the copyright society becomes entitled to issue or grant licences and the duration of such entitlement, the territory for which the authorization has been given and the rights that have been so authorised;

(ii) a register to be called the “Register of Agreements” containing a copy of every agreement entered into by the copyright society with the authors and other owners for the purpose;

(iii) a register to be called the “Register of Royalties” containing particulars of royalties and mentioning the names of persons or organisations and copy of the licence agreements from whom the royalties have been realised, and the amount so realised including the date of realisation;

(iv) a register to be called the “Disbursement Register” containing details of disbursement of royalties made to each author or other owner of right or set of rights in the specific categories of works, category-wise, mentioning the name of the author or other owner, nature of his right and the date and amount of disbursement of royalty made to him.

65. Returns to be filed by the copyright societies with the Registrar of Copyrights .—Every copyright society shall file a return called the annual return with the Registrar of Copyrights within one month from the date of conclusion of each annual General Body meeting setting out the following details, namely :—

- (i) the date of the annual General Body meeting held immediately preceding the filing of the annual return, the number of members who attended the meeting, agenda and the minutes of such meeting ;
- (ii) the up-to-date list of the members, their names and addresses as recorded in the Register of Authors and Owners maintained by the copyright society, as provided in rule 64;
- (iii) audited accounts of the copyright society;
- (iv) the Tariff Scheme, Distribution Scheme and other Schemes, if any;
- (v) annual report approved by the General Body giving full and detailed account of all its activities during the year;
- (vi) the list of the members to whom royalties are not distributed and the reasons for the same; and
- (vii) the list of the members to whom royalties have been distributed together with the amounts so distributed.

66. Code of Conduct for copyright societies .—Every copyright society shall conform to the following Code of Conduct as follows:—

(1) Every Society shall make available on its website—

- (a) certificate of registration as a Copyright Society;
- (b) basic documents of governance such as memorandum of association, articles of association, constitution or charter;
- (c) list of all members of General Body;
- (d) names and address of Chairman, other members of the Governing Council and other officers of the society;
- (e) right or set of rights in the specific categories of works for which the copyright society has been authorised to issue or grant licences;
- (f) all schemes of the society;
- (g) annual report and audited accounts as approved by the General Body;
- (h) licence agreement formats;
- (i) details of all existing licences other than those clauses in the licence having commercial sensitivity;
- (j) foreign societies with whom there are agreements to collect royalties and the details of the agreement other than those clauses having commercial sensitivity;
- (k) details of the complaint or Grievances Cell; and
- (l) the code of conduct.

(2) The members shall be—

- (a) treated fairly, honestly, impartially, courteously, and ensure that its dealings with them are more transparent;

- (b) provided with a copy of its basic documents of governance such as memorandum of association, articles of association, constitution, charter, Tariff Scheme and Distribution Scheme at the time of joining and or at any time on request;
- (c) provided with a copy of the document enumerating the powers and responsibilities of each member including Chairman and members of the Governing Council; and
- (d) provided with—
 - (i) the basis for calculating royalties to be paid to the members;
 - (ii) the manner and frequency of payments to the members; and
 - (iii) the general nature of deduction out of total income before distribution .

(3) Every society shall distribute payments to its members in accordance with its Distribution Scheme.

(4) Every society shall treat licensees fairly, honestly, impartially and courteously and ensure that its dealings with licensees are more transparent.

(5) Every society shall observe the following while fixing the Tariff Scheme, namely:—

- (a) licence fee to be fair and reasonable;
- (b) take note of the value of the rights of the works;
- (c) the purpose and manner in which the rights are to be exploited;
- (d) any relevant decisions of the Board; and
- (e) in case the Tariff Scheme is for the use by an industry the important role played by that industry in promoting dissemination of works and their contribution to the national economy and as far as possible in consultation with licensees.

(6) Every society shall provide for the facility for on-line application, payment of royalties and for issue of licence online, as far as it is practicable.

(7) Every society shall ensure—

- (a) that the Governing Council members are accountable to the General Body;
- (b) maintenance of proper and complete financial records, including the collection and distribution of royalties and expenses; and
- (c) annual auditing of its accounts by a qualified Chartered Accountant.

(8) Every society shall comply with procedure for dealing with complaints and grievances as follows:—

- (a) constitute a complaint or grievances cell and shall post the same in its website;
- (b) information regarding how to make the complaint and reasonable assistance in the formulation and lodging of a complaint;
- (c) acknowledgement of the receipt of the complaint immediately upon receipt of the complaint;
- (d) verify the nature of the complaint and the details of the complainant;
- (e) examine the complaint and, if necessary give an opportunity of hearing to the complainant;
- (f) dispose of the complaint, with a period of two months and provide a written response to the complainant;
- (g) make available adequate resources for handling and resolving complaints; and
- (h) periodical review of complaints handling and resolving procedures and their mechanism.

67. Welfare fund of copyright society .—Every Copyright society may frame a scheme for the welfare of its members as determined by its General Body and keep not more than five per cent. of its total royalties collected for implementing the scheme effectively and the amount that could not be distributed on account of non-accessibility of the members concerned.

CHAPTER XII

Performers' Society

68. Registration and management of Performers' Society. — (1) For the purpose of carrying on the business of issuing or granting licences in respect of performer's rights under sub-section (1) and proviso to sub-section (2) of section 38A and section 39A, there shall be a separate performers' society for each class of performers such as actors, singers, musicians, dancers, acrobats, jugglers, conjurers, snake charmers, persons delivering lectures or any other group of persons who can make a performance:

Provided that the Central Government may allow registration of a society for performers' of different classes of performers' in cases where the performances are inter-connected or closely related to each other.

(2) Such society shall be called as Performers' Society of that specific category.

(3) In accordance with the provisions of section 39A, any Performers' Society as mentioned in sub-rule (1), having an independent legal personality comprising seven or more performers (hereinafter referred to as "the applicant") may file with the Registrar of Copyrights an application in Form -XI, for submission to the Central Government for grant of permission to carry on such business and for its registration as a Performer's Society.

(4) Chapter XI of these rules relating to Copyright Societies except sub-rule (1) of rule 44 shall with necessary adaptations and modifications shall apply to a Performer's Society also.

Explanation 1.—The royalty collected from enjoyment of the performer's right in (i) to (v) of clause (a) of sub-section (1) and proviso to sub-section (2) of section 38A, shall be shared equally between the performer and other owner of copyright.

Explanation 2.—Commercial use as mentioned in proviso to sub section (2) of section 38A, means the exploitation of the performers right by way of reproduction, issue of copies or distribution, communication to public including broadcasting and commercial rental of the cinematograph film.

Explanation 3.— For the purpose of this chapter performance includes recording of visual or acoustic presentation of a performer in the sound and visual records in the studio or otherwise.

CHAPTER XIII

REGISTRATION OF COPYRIGHT

69. Form of Register of Copyrights .— (1) The Register of Copyrights shall be kept in physical and electronic form in six parts, namely:—

Part I - Literary works other than computer programmes, tables and compilations including computer data bases and dramatic works.

Part II -Musical works

Part III - Artistic works

Part IV - Cinematograph films

Part V -Sound recordings

Part VI - Computer programmes, tables and compilations including computer data bases.

(2) The Register of Copyrights shall contain the particulars specified in Form-XIII.

70. Application for Registration of Copyright .— (1) Every application for registration of copyright shall be made in Form-XIV and every application for registration of changes in the particulars of copyright entered in the Register of Copyright shall be made in Form-XV.

(2) Every such application shall be in respect of one work only, and shall be accompanied by the fee specified in the Second Schedule in this behalf.

(3) Every application should be signed only by the applicant, who may be an author or owner of right. If the application is submitted by the owner of copyright, it shall be enclosed with an original copy of no objection certificate issued by the author in his favour.

(4) Every application for registration of an unpublished work shall be accompanied by two copies of the work.

(5) Every application for registration of a computer programme shall be accompanied by the source and object code.

(6) Every application for registration in respect of an artistic work which is used or is capable of being used in relation to any goods, such application shall include a statement to that effect and shall be accompanied by a certificate from the Registrar of Trade Marks referred to in section 3 of the Trade Marks Act, 1999, to the effect that no trade mark identical with or deceptively similar to such artistic work has been registered under that Act in the name of, or that no application has been made under that Act for such registration by, any person other than the applicant.

(7) Every application for registration in respect of an artistic work which is capable of being registered as a design under the Designs Act, 2000, such application shall be accompanied by a statement in the form of an affidavit containing the following, namely:—

- (a) it has not been registered under the Designs Act, 2000; and
- (b) it has not been applied to an article through industrial process and reproduced more than fifty times.

(8) Every such application can be filed in the Copyright Office by person or by post or by online filing facility as provided on the website of the Copyright Office.

(9) The person applying for registration shall give notice of his application to every person who claims or has any interest in the subject-matter of the copyright or disputes the rights of the applicant to it.

(10) If no objection to such registration is received by the Registrar of Copyrights within thirty days of the receipt of the application, the Registrar of Copyrights shall, if satisfied about the correctness of the particulars given in the application, enter such particulars in the Register of Copyrights.

(11) If the Registrar of Copyrights receives any objections for such registration within the time specified in sub-rule (7), or, if he or she is not satisfied about the correctness of the particulars given in the application, he or she may, after holding such inquiry as he or she deems fit, enter such particulars of the work in the Register of Copyrights as he or she considers necessary.

(12) The Registrar of Copyrights shall give an opportunity of hearing before rejecting the any application filed for registration of any work.

(13) The process of registration is deemed to be completed only when a copy of the entries made in the Register of Copyrights is signed and issued by Registrar of Copyrights or by Deputy Registrar of Copyrights, to whom such authority is delegated.

(14) The Registrar of Copyrights shall, as soon as may be, send, wherever practicable, a copy of the entries made in the Register of Copyrights to the parties concerned.

71. Correction and rectification of entries in the Register of Copyrights .— (1) The Registrar of Copyrights may, either *suo motu* or on application of any interested person, amend, or alter the Register of Copyrights for the entries specified in section 49, after giving, wherever practicable, to the person affected by such amendment or alteration, an opportunity to show cause against such amendment or alteration, and communicate to such person the amendment or alteration so made.

(2) The Registrar of Copyrights shall rectify the entries made in the Register of Copyrights after an order is being passed by the Board on an application made by the Registrar of the Copyrights in this behalf under section 50.

72. Indexes .— (1) There shall be kept at the Copyright Office the following indexes both in physical and electronic form for each part of the Register of Copyrights, namely:—

- (i) a general Author Index;
- (ii) a general Title Index;
- (iii) an Author Index of works in each language; and
- (iv) a Title Index of works in each language.

(2) Every Index shall be arranged alphabetically in the form of cards.

73. Inspection of the Register of Copyrights and Indexes .— The Register of Copyrights and Indexes thereof shall at all reasonable time be open to inspection by any person in such manner and subject to such conditions as the Registrar of Copyrights may specify. The online search or inspection of the Register of Copyrights and Indexes can be utilised by making online payment of fee as specified in the Second Schedule.

74. Copies and extracts of the Register of Copyrights and Indexes .—(1) Any person shall be entitled to take copies of, or make extracts from, the Register of Copyrights or Indexes on payment of the fee as specified in the Second Schedule subject to supervision as the Registrar of Copyrights may arrange.

(2) The Registrar of Copyrights shall, on an application made in that behalf and on payment of the fee specified in the Second Schedule, furnish a certified copy of entries made in the Register of Copyrights and Indexes thereof.

*CHAPTER XIV***STORAGE OF TRANSIENT OR INCIDENTAL COPIES OF WORKS**

75. (1) Any owner of copyright may give a complaint in writing under clause (c) of subsection (1) of section 52, to a person who has facilitated transient or incidental storage of work for providing electronic links, access or integration to restrain from such storage of work.

(2) The written complaint shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the description of the work with adequate information to identify the work;
- (b) details establishing that the complainant is the owner or exclusive licensee of copyright in the work;
- (c) details establishing that the copy of the work which is the subject matter of transient or incidental storage is an infringing copy of the work owned by the complainant and that the allegedly infringing act is not covered under section 52 or any other act that is permitted under the Act;
- (d) details of the location where transient or incidental storage of the work is taking place;
- (e) details of the person, if known, who is responsible for uploading the work infringing the copyright of the complainant; and
- (f) undertaking that the complainant shall file an infringement suit in the competent court against the person responsible for uploading the infringing copy and produce the orders of the competent court having jurisdiction, within a period of twenty-one days from the date of receipt of the notice.

(3) On receipt of the written complaint, the person responsible for the storage of the copy, if satisfied from the details provided in the complaint that the copy of the work is an infringed copy, within thirty-six hours, take measures to refrain from facilitating such access for a period of twenty-one days from the date of receipt of the complaint or till he receives an order from the competent court restraining him from facilitating access, whichever is earlier.

(4) The person responsible for storage shall display a notice giving reasons for restraining such access to persons requesting for access to the alleged infringing copy.

(5) The person responsible for storage may restore the storage of the work in case the complainant failed to produce the orders of the competent court having jurisdiction, restraining him from facilitating access.

(6) In case the complainant fails to produce the orders of the competent court having jurisdiction within the stipulated period, the person responsible for storage shall not be obliged to respond to any further notice sent by the same complainant on the same work in the same location.

CHAPTER XV

MAKING OR ADAPTING THE WORK BY ORGANISATIONS WORKING FOR THE BENEFIT OF PERSONS WITH DISABILITIES

76. Maintenance of records .— The organisation working for the benefit of the persons with disabilities and intending to adapt, reproduce, issue of copies or communication to public of any work in any accessible format shall maintain at its principal place of business a register containing the following details, namely:—

- (a) the name of the work, author or owner or publisher along with year of publication;
- (b) the details of the accessible format in which the work is produced;
- (c) the nature of activity such as adaptation, reproduction, issue of copies or communication to the public;
- (d) total number of copies made, list of persons with disabilities to whom copies have been distributed ; and
- (e) price, if any, charged on the copies.

77. Notice to be included in copies made in accessible formats .— The organisation working for the benefit of the persons with disabilities shall insert appropriate notices in the copies of works in accessible formats created by the organisations that—

- (a) the accessible format is created pursuant to the exception under clause (zb) of sub-section (1) of section 52;
- (b) the accessible format is intended solely for the use of persons with disabilities who cannot enjoy the normal format of the work; and
- (c) any distribution of the accessible format to any person who can enjoy the normal format of the work will lead to stopping the supply of further works in accessible formats and such other legal consequences as are applicable.

Explanation.—For the purposes of this Chapter, the term "accessible format" shall include Braille, Daisy, large print, talking books, digital formats and all other formats that can be used by persons with disabilities.

78. Contracts with third parties engaged by organisations working for persons with disabilities .— An organisation working for persons with disabilities may engage any third

party as its agent to undertake any of the activities permitted under clause (zb) of sub-section (1) of section 52, on its behalf and shall enter into appropriate contracts with such third party to ensure that such third party undertakes such activities only on behalf of the organisation and not otherwise.

CHAPTER XVI

IMPORTATION OF INFRINGING COPIES

79. Importation of infringing copies.—(1) Every notice, under sub-section (1) of section 53, shall be made to the Commissioner of Customs, or to any other officer authorised in this behalf, by the Central Board of Excise and Customs in accordance in Form-XVI and shall be accompanied by fee as specified in the Second Schedule.

(2) The person who gives notice under in sub-rule (1) shall deposit, within the time specified by the Commissioner, such amount as the Commissioner may deem fit as security having regard to the likely expenses on demurrage, cost of storage and compensation to the importer in case it is found that the works are not infringing copies.

(3) The Commissioner or the officer duly authorised in this behalf, on arrival of such works, if satisfied, shall suspend the clearance of such works for a period of fourteen days and shall inform the arrival and detention of work to the person who has given the notice.

(4) At the request of the importer or his duly authorised agent, Commissioner or the officer duly authorised in this behalf, shall inform the name and address of the person who gave the notice.

(5) The Commissioner or the officer duly authorised in this behalf, shall release the consignment on expiry of a period of fourteen days, in case the person who gave notice failed to produce an order from the competent court having jurisdiction restraining him from releasing the suspended consignment of works.

CHAPTER XVII

Technological Protection Measures

80. Maintaining of records.—(1) Any person who is permitted to circumvent technological protection measures under clause (a) of subsection (2) of section 65A of the Act may approach any person, who can assist him to circumvent the technological protection measures.

(2) Any such person facilitating circumvention of technological protection measures for another person shall maintain a record containing details of the person who requested for assistance, containing the following details, namely:—

(a) the name, complete postal address, photograph, e-mail address and telephone number or other contact details of the person;

(b) the professional details of the person, if any, including the address of the place, where he is working at present;

(c) the reasons and purpose for circumvention of the technological protection measures; and

(d) an undertaking in writing from the person requesting assistance that he is entitled for circumvention of the technological protection measures and will be solely responsible for copyright infringement, if any, of the protected work.

(3) The record may be maintained on-line or in any other format for a minimum period of three years, in the place from where he is facilitating circumvention.

(4) Any such person maintaining records under sub-rule (2) shall disclose the details in the record only upon an Order of the court or to a police officer, not below the rank of a Sub-Inspector of Police, investigating a complaint under section 65A.

CHAPTER XVIII

MISCELLANEOUS

81. Mode of making applications, etc. .— Every application, notice, statement or any other document to be made, given, filed or sent under the Act or under these rules may, unless otherwise directed by the authority concerned, be sent by hand or registered post or by online filing procedure made available on the website of the Copyright Office or Copyright Board.

82. Mode of communication by the Copyright Board, etc.— Even written intimation from the Copyright Board, the Copyright Office or the Registrar of Copyrights shall be deemed to have been duly communicated to any person if such intimation is sent to the known address of such person by registered post.

83. Fees .— (1) The fees payable under the Act in respect of any matter shall be as specified in the Second Schedule.

(2) The fees may be paid to the Registrar of Copyrights, New Delhi, by a postal order or a bank draft issued by a Scheduled Bank as defined in the Reserve bank of India Act, 1934, or by deposit into a Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India under the head of account : Major Head —0070; 60 Other Services; Minor Head—113; Copyright Registration Fees” or by payment gateway provided in online-filing facility of the Copyright Office website copyright.gov.in.

(3) Postal orders and bank drafts shall be crossed and drawn in New Delhi.

(4) Payment by bank drafts shall not be valid unless the amount of bank commission is included therein.

(5) Where payment is made by deposit in a Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India, the challan evidencing the payment shall be sent to the authority concerned by pre-paid registered post.

(6) No fee is required to be paid for taking extracts from Register of Copyrights or indexes for official purposes by the Central Government or the State Government

84. Right of audience .— In any proceedings before the Board or the Registrar of Copyrights any party may appear and be heard either in person or by a pleader or other person duly authorised by such party.

85. Costs . — The cost incidental to the proceedings before the Board or the Registrar of Copyrights shall be in the discretion of the Board or the Registrar of Copyrights, as the case may be.

86. Repeal.— The Copyright Rules, 1958, are hereby repealed without prejudice to anything done under such rules before the coming into force of these rules.

FIRST SCHEDULE**FORM-I**
Notice of Relinquishment of Copyright

[See rule 4]

To
The Registrar of Copyrights,
Copyright Office,
New Delhi.

Sir,

In accordance with section 21 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby give notice that, with effect from the date of this notice, I do relinquish, to the extent specified in the enclosed affidavit, my rights in the work described in the said affidavit.

Yours faithfully,

Place.....

Date.....

(Signature)

Form of Affidavit referred to above

I,.....

....., of

(full name in block letters)

.....

..... do hereby or

(address)

solemnly affirmation state that—

- (1) I am the author of the work described in the statement below;
- (2) I am the owner of the copyright in the said work to the extent specified in the said statement; and
- (3) I do hereby relinquish my rights in the said work to the extent specified in the said statement:

STATEMENT

Description of the work:

- (a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording).
- (b) Title of the work, if any;
- (c) Full name, address and nationality of the author;
- (d) Language of the work, if any;
- (e) Name, address and nationality of the publisher, if any;
- (f) Year of first publication, if any;

(g) Country of first publication, if any;

(h) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration number, if known.

2. Rights owned by the deponent on the date of the affidavit.

(If the rights are owned jointly with others, state names, addresses and nationalities of the joint owners.)

3. Extent to which rights are relinquished.

4. Remarks, if any.

Place.....

Date.....

(Signature)

Solemnly affirmed before me by

.....
who is known to me personally/
(name of deponent in block letters) who is identified to me

by.....
...../
(name of identifier in block letters) who is known to me

personally. Place.....

Date.....

(Signature and seal of
the Magistrate)

Form-II**Application for Compulsory Licences for works withheld from public**

[See rule 6]

To
 The Registrar of Copyrights/Secretary,
 Copyright Board,
 Copyright Office,
 New Delhi.

Sir,

1. In accordance with section 31 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply to the Copyright Board for a licence to reproduce/republish/issue copies/perform in public/communicate to the public by broadcast ----- work, in accordance with the particulars given in the enclosed Statement.
2. I hereby undertake to abide strictly by the terms and conditions of the compulsory licence, if granted to me.
3. I hereby verify that the particulars given in this form are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.

Place.....

Date.....

Yours faithfully,

*(Signature)***STATEMENT**

1. Full name of the applicant: -----

(In block letters)

2. Full address and nationality of the applicant:-----

3. Telephone/fax/ E-mail: -----

4. Description of the work:

(a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording)

(b) Title of the work

(c) Full name, address and nationality of the author/owner

(d) Language of the work

- (e) Name, address and nationality of the publisher
 - (f) Year of first and last publication
 - (g) Country of first and last publication
 - (h) Price of a copy of the work
 - (i) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration Number
5. If the licence is applied for reproduction, republishing/issue of copies, state:
- a. Number of copies of work proposed to be reproduced/ republished and issued under the licence applied for
 - b. Estimated cost of the work to be published
 - c. Proposed retail price per copy of the work
 - d. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
 - e. Means of the applicant for payment of the royalty
6. If the licence is applied for performance in public, state:
- a. Number of performances of work proposed to be made under the licence applied for
 - b. Estimated cost of each performance
 - c. Proposed rate at which the work is to be performed
 - d. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
 - e. Means of the applicant for payment of the royalty
7. If the licence is applied for communication to public by broadcast, state:
- a. duration of broadcast and the number of times it is proposed to be broadcast
 - b. the name of the channels and territorial coverage of the broadcast
 - c. prevailing standards of royalties in regard to such works
 - d. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
 - e. Means of the applicant for payment of the royalty
8. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan number)
9. Full name, address and nationality of the person competent to issue a licence
10. Evidence to show the following:
- (a) that the applicant has requested and had been refused authorisation by the said person to publish/performance in public/communication to public by broadcast the work

(b) the work has been withheld from the public by reason of not publishing the work or performing it in public

(c) that in case of communication to the public by broadcast the terms and conditions proposed by the owner of work are unreasonable

11. Remarks, if any

12. List of enclosures

Place..... Date.....

(Signature)

FORM-III

Application for compulsory licence for publication/communication to the public/translation

[See rule 11]

To
The Registrar of Copyrights/Secretary,
Copyright Board,
Copyright Office,
New Delhi.

Sir,

1. In accordance with section 31A of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply to the Copyright Board for a licence to publish/communicate to public/translate the ----- work, in accordance with the particulars given in the enclosed Statement.
2. I hereby undertake to abide strictly by the terms and conditions of the licence, if granted to me.
3. I hereby verify that the particulars given in this form are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.

Place.....

Date.....

Yours faithfully,

(Signature)

STATEMENT

1. Full name of the applicant: -----

(In block letters)

2. Full address and nationality of the applicant:-----

3. Telephone/fax/ E-mail: -----

4. Description of the work:

(a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording)

(b) Title of the work

(c) Full name, address and nationality of the author and if the author is deceased, the date of his decease

- (d) Language of the work
 (e) Name, address and nationality of the publisher
 (f) Year of first and last publication
 (g) Country of first and last publication
 (h) Price of a copy of the work
 (i) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration Number, if known
5. If the licence is applied for translation, state:
- (a) Language into which the work is proposed to be translated
 (b) Full name, qualifications and address of the translator
 (c) Means of the applicant to produce and publish the translation
6. Indicate the purpose for which the licence is required
7. Number of copies of work proposed to be published under the licence applied for
8. Estimated cost of the work to be published
9. Proposed retail price per copy of the work
10. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
11. Means of the applicant for payment of the royalty
12. If the licence is applied for communication to public
- a. Number of public performances of work proposed to be performed under the licence applied for
 b. Estimated cost of public performance
 c. Duration of communication to the public and the number of times it is proposed
 b. the name of the channels and territorial coverage of the communication to the public
 c. prevailing standards of royalties in regard to such works
13. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan number)
14. (a) Full name, address and nationality of the person competent to issue a licence
 (b) Whether the applicant after due diligence on his part was unable to find the owner and the copy of the public notice as per rule 11(3)
 (c) If the applicant was unable to find the owner, whether he had sent a copy of the request by registered post to the publisher whose name appears on the work. If so, the date on which the copy was sent with evidence.
15. In case of application for translation furnish following additional information:—
- (a) Whether a translation in the same language had been published before
 (b) Whether the earlier translation is out of print
 (c) Full name, address and nationality of the earlier translator and if the said translator is deceased, the date of his decease

- (d) Title of the earlier translation
 - (e) Full name, address and nationality of the publisher of the earlier translation
 - (f) Year of publication
 - (g) Price per copy of the earlier translation
 - (h) If the earlier translation is registered under section 45, the Registration Number if known
 - (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner in respect of the earlier translation, if known
16. (a) Whether translation has been made into any language other than the language stated in 5 above, if known.
- (b) Full name, address and nationality of the translator and if the said translator is deceased, the date of his decease
 - (c) Title of the translation
 - (d) Language of the translation
 - (e) Full name, address and nationality of the publisher of the translation
 - (f) Year of publication
 - (g) Price per copy of the translation
 - (h) If the translation is registered under section 45, the Registration Number if known
 - (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner, if known.
17. Remarks, if any
18. List of enclosures

Place.....

Date.....

(Signature)

FORM-IV**Notice for termination of licence**

[See rules 15, 22 and 43]

To

.....

.....

Sir,

In accordance with first proviso to sub-section (1) or the first proviso to sub-section (2) of section 32B of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957)], I hereby give notice, that copies of translation/reproduction of the work given below (mention language) have been published by me/under my authorization.

Yours faithfully

(Signature)

Place.....

Date.....

STATEMENT

1. Title of the work.
2. Name and address of the owner of copyright.
3. Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher.
4. Name and address of the author who has translated the work.
5. Name and address of the publisher and year in which the translation has been published in India.
6. Name and address of the publisher and year in which the reproduction of the work has been published in India.
7. Retail price of the published work.

FORM V**Application for a compulsory licence for disabled persons**

[See rule 17]

To
 The Registrar of Copyrights/Secretary,
 Copyright Board,
 Copyright Office,
 New Delhi.

Sir,

1. In accordance with section 31B of the [Copyright Act, 1957 (14 of 1957)], I hereby apply to the Copyright Board for a licence to publish a published work for the benefit of disabled persons in accordance with the particulars given in the enclosed Statement.
2. I hereby undertake to abide strictly by the terms and conditions of the licence, if granted to me.
3. I hereby verify that the particulars given in this form are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.

Place.....

Date.....

Yours faithfully,

*(Signature)***STATEMENT**

1. Full name of the applicant: -----

(In block letters)

2. Full address and nationality of the applicant:-----

3. Telephone/fax/E-mail: -----

4. Description of the work:

(a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film,
Sound Recording)

(b) Title of the work

- (c) Full name, address and nationality of the author and if the author is deceased, the date of his decease
(d) Language of the work
(e) Name, address and nationality of the publisher
(f) Year of first and last publication
(g) Country of first and last publication
(h) Price of a copy of the work
(i) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration Number if known
5. Indicate the purpose for which the licence is required
6. Specify the format in which the work is to be converted
7. Specify the nature of disability for which the format is required
8. Number of copies of work proposed to be published under the licence applied for
9. Estimated cost of the work to be published
10. Proposed retail price per copy of the work
11. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner
12. Means of the applicant for payment of the royalty
13. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan number)
14. (a) Full name, address and nationality of the person competent to issue a licence
(b) Whether the applicant has requested and had been denied authorisation by the said person to publish the work for the benefit of disabled person
(c) If the applicant was unable to find the owner, whether he had sent a copy of the request by registered post to the publisher whose name appears on the work. If so, the date on which the copy was sent.
(d) Whether the author of the works has published the work for the benefit of disabled person and if yes the price of the copies
15. Remarks, if any
16. List of enclosures

Place..... Date.....

(Signature)

1078 GI)13-16

FORM VI**Application for licence for translation**

[See rule 32]

To

The Registrar of Copyrights/Secretary, Copyright Board,
Copyright Office,
New Delhi.

Sir,

In accordance with section 32 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply to the Copyright Board for a licence to produce and publish a translation of the work in accordance with the particulars given in the enclosed statement.

2. I hereby undertake to abide strictly by the terms and conditions of the licence, if granted to me.

Yours faithfully,

Place.....

Date.....

*(Signature)***STATEMENT**

1. Full name of the applicant..... (in block letters)
2. Full address and nationality of the applicant.
3. Telephone/fax/e-mail .
4. Description of the work :
 - (a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording).
 - (b) Title of the work.
 - (c) Full name, address and nationality of the author and if the author is deceased, the date of his decease.
 - (d) Language of the work.
 - (e) Name, address and nationality of the publisher.
 - (f) Year of first publication.
 - (g) Country of first publication.
 - (h) Price of a copy of the work.
 - (i) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration number if known.
5. Language into which the work is proposed to be translated.
6. Full name, qualifications and address of the translator.

7. Qualification of the applicant to produce and publish the translation.
 8. Number of copies of the translation proposed to be published.
 9. Estimated cost of production and publication of the translation.
 10. Proposed retail price per copy of the translation.
 11. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner.
 12. Means of the applicant for payment of the royalty.
 13. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury *challan* number).
 14. (a) Full name, address and nationality of the person competent to issue a licence for translation.
 (b) Whether the applicant was able to find the said person.
 (c) Whether the applicant had requested and had been denied authorisation by the said person to produce and publish the translation.
 (d) If the applicant was unable to find that owner, whether he had sent a copy of the request for authorisation to the publisher. If so, the date on which the copy was sent and evidence thereof.
 15. Whether the author of the work has withdrawn from circulation copies of the work.
 16. (a) Whether a translation in the same language has been published before.
 (b) Whether the earlier translation is out-of-print.
 (c) Full name, address and nationality of the earlier translator and, if the said translator is deceased, the date of his decease.
 (d) Title of the earlier translation.
 (e) Full name, address and nationality of the publisher of the earlier translation.
 (f) Year of publication.
 (g) Price per copy of the earlier translation.
 (h) If the earlier translation is registered under section 45, the Registration number.
 (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner in respect of the earlier translation, if known.
 17. (a) Whether translation has been made into any language other than the language stated in 5 above.
 (b) Full name, address and nationality of the translator and, if the said translator is deceased, the date of his decease.
 (c) Title of the translation.
 (d) Language of the translation.
 (e) Full name, address and nationality of the publisher of the translation.
 (f) Year of publication.
 (g) Price per copy of the translation.
 (h) If the translation is registered under section 45, the Registration number if known.
 (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner, if known.
 18. Remarks, if any.
 19. List of enclosures.
- Place.....
 Date.....

(Signature)

Form VII
LICENCE FOR PUBLICATION, TRANSLATION AND REPRODUCTION OF
WORK

[See rule 38]

To
 The Registrar of Copyrights/Secretary,
 Copyright Board,
 Copyright Office,
 New Delhi.

Sir,

In accordance with section 32 (1A)/32A of the [Copyright Act, 1957 (14 of 1957)], I hereby apply to the Copyright Board for a licence to publish an unpublished work, or reproduce a published work or to translate a work in accordance with the particulars given in the enclosed Statement.

2. I hereby undertake to abide strictly by the terms and conditions of the licence, if granted to me.

3. I hereby verify that the particulars given in this form are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.

Place.....

Date.....

Yours faithfully,

(Signature)

STATEMENT

1. Full name of the applicant: -----

(In block letters)

2. Full address and nationality of the applicant:-----

3. Telephone/fax/ E-mail: -----

4. Description of the work:

(a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording)

- (b) Title of the work
- (c) Full name, address and nationality of the author and if the author is deceased, the date of his decease
- (d) Language of the work
- (e) Name, address and nationality of the publisher
- (f) Year of first and last publication
- (g) Country of first and last publication
- (h) Price of a copy of the work
- (i) If the copyright in the work is registered under section 45, the Registration Number if known

5. If the licence is applied for translation, state:

- (a) Language into which the work is proposed to be translated
- (b) Full name, qualifications and address of the translator
- (c) Qualifications of the applicant to produce and publish the translation

6. Indicate the purpose for which the licence is required

7. Number of copies of work proposed to be published under the licence applied for

8. Estimated cost of the work to be published

9. Proposed retail price per copy of the work

10. Rate of royalty, which the applicant considers reasonable, to be paid to the copyright owner

11. Means of the applicant for payment of the royalty

12. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan number)

13. (a) Full name, address and nationality of the person competent to issue a licence
- (b) Whether the applicant after due diligence on his part was unable to find the owner
 - (c) Whether the applicant has requested and had been denied authorisation by the said person to produce and publish the translation or reproduce the work or publish the unpublished work
 - (d) If the applicant was unable to find the owner, whether he had sent a copy of the request by-registered air mail post to the publisher whose name appears on the work. If so, the date on which the copy was sent.

14. Whether the author of the works has withdrawn from circulation copies of the work

15. In case of application for translation furnish following additional information :—

- (a) Whether a translation in the same language has been published before
- (b) Whether the earlier translation is out of print
- (c) Full name, address and nationality of the earlier translator and if the said translator is deceased, the date of his decease
- (d) Title of the earlier translation
- (e) Full name, address and nationality of the publisher of the earlier translation
- (f) Year of publication
- (g) Price per copy of the earlier translation

- (h) If the earlier translation is registered under section 45, the Registration Number if known
- (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner in respect of the earlier translation, if known
16. (a) Whether translation has been made into any language other than the language stated in 5 above
- (b) Full name, address and nationality of the translator and if the said translator is deceased, the date of his decease
- (c) Title of the translation
- (d) Language of the translation
- (e) Full name, address and nationality of the publisher of the translation
- (f) Year of publication
- (g) Price per copy of the translation
- (h) If the translation is registered under section 45, the Registration Number, if known
- (i) Rate and amount of royalty paid to the copyright owner, if known.
17. Remarks, if any
18. List of enclosures

Place.....

Date.....

(Signature)

FORM-VIII

[See rule 44]

Application form for permission to carry on copyright business and for registration as a copyright society

1. Name and address of the association of persons making the application (in capital letters) (herein after referred to as “applicant”)
2. The right or set of rights in specific categories of works in respect of which the applicant proposes to carry on the copyright business.
3. The certificate to show that the applicant has a separate legal personality
4. Names, addresses and profession or occupation of the persons who comprise the applicant
5. Details of works in which copyright of such individuals subsist
6. The territory or territories to which the business of the applicant shall extend
7. The names, addresses and profession/occupation of individuals comprising the Governing Body (by whatever name called) of the applicant in whom the ultimate management, control and direction of the applicant is vested
8. The capacity (author or other owner of the rights) in which such individual has become a member of Governing Body.
9. Address of the registered or administrative office of the applicant at which its records will be maintained and kept and the designation of the chief executive officer of the applicant with address on whom communications may be served.
10. Financial position of the applicant on the date of making the application *i.e.*, last audited balance sheet and income and expenditure account/bank balance.
11. Documents mentioned in rule 48.
12. Signature along with the name of the members of the governing body
13. Name and signature of the chief executive officer

Place.....

Date.....

FORM-IX

[See rule 47]

**Application form for re-registration or renewal of registration of
a copyright society**

1. Name and address of the association of persons making the application (in capital letters) (herein after referred to as “applicant”)
2. The right or set of rights in specific categories of works in respect of which the applicant proposes to carry on the copyright business.
3. The certificate to show that the applicant has a separate legal personality
4. The territory or territories to which the business of the applicant shall extend
5. The year of incorporation of the applicant and the date from which the applicant has been carrying on the copyright business of granting licenses
6. The names, addresses and profession/occupation of individuals comprising the Governing Body (by whatever name called) of the applicant in whom the ultimate management, control and direction of the applicant is vested
7. The capacity (author or other owner of the rights) in which such individual has become a member of Governing Body.
8. Address of the registered or administrative office of the applicant at which its records will be maintained and kept and the designation of the chief executive officer of the applicant with address on whom communications may be served.
9. Financial position of the applicant on the date of making the application *i.e.*, last audited balance sheet and income and expenditure account/bank balance.
10. Documents and mentioned in rules 47(3) and 48
11. Signature along with the name of the members of the governing body
12. Name and signature of the chief executive officer

Place.....

Date.....

FORM-X

[See rule 49]

Certificate of registration under section 33(3) of the Copyright Act, 1957

It is certified that.....(name of the society and address) has been registered by the Central Government, *vide* Registration No.....as a copyright society under subsection (3) of section 33 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and permitted to commence and carry on the copyright business in.....(here indicate the name of the particular class of works).

The registration and the permission hereby granted are subject to the following conditions and liable to be cancelled on non-compliance with, or contravention of, any of them, namely :—

- (i) that the particulars furnished in the application are true and correct and not misleading in any manner; and
- (ii) that the copyright society shall duly comply with all the obligations imposed on it by or under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957) and the Copyright Rules, 1958.

New Delhi

Date.....

(Seal)

Registrar of Copyrights

1078 GEI/13-18

FORM XI

[See rule 68]

**Application form for permission to carry on business and for registration as a
Performers' society**

1. Name and address of the association of performers making the application (in capital letters) (herein after referred to as "applicant")
2. The class or classes of performers for whose rights the applicant is to carry on the business of issuing licences.
3. The certificate to show that the applicant has a separate legal personality
4. Names, addresses and profession or occupation of the persons who comprise the applicant
5. The territory or territories to which the business shall extend
6. The names, addresses and profession/occupation of individuals comprising the Governing Body (by whatever name called) of the applicant in whom the ultimate management, control and direction of the applicant is vested
7. The capacity (performer or other owner of the rights) in which such individual has become a member of Governing Body.
8. Address of the registered or administrative office of the applicant at which its records will be maintained and kept and the designation of the chief executive officer of the applicant with address on whom communications may be served.
9. Financial position of the applicant on the date of making the application *i.e.*, last audited balance sheet and income and expenditure account/bank balance.
10. Documents mentioned in rule 48.
11. Signature along with the name of the members of the governing body
12. Name and signature of the chief executive officer

Place.....

Date.....

FORM-XII

[See rule 68]

Application form for re-registration or renewal of registration as a Performer's society

1. Name and address of the association of performers making the application (in capital letters) (herein after referred to as "applicant")
2. The class or classes of performers for whose rights the applicant is to carry on the business of issuing licence.
3. Names, addresses and profession or occupation of the persons who comprise the applicant
4. The territory or territories to which the business shall extend
5. The names, addresses and profession/occupation of individuals comprising the Governing Body (by whatever name called) of the applicant in whom the ultimate management, control and direction of the applicant is vested
6. The capacity (performer or other owner of the rights) in which such individual has become a member of Governing Body.
7. Address of the registered or administrative office of the applicant at which its records will be maintained and kept and the designation of the chief executive officer of the applicant with address on whom communications may be served.
8. Financial position of the applicant on the date of making the application *i.e.*, last audited balance sheet and income and expenditure account/bank balance.
9. Documents mentioned in rules 47(3) and 48.
10. Signature along with the name of the members of the governing body
11. Name and signature of the chief executive officer

Place.....

Date.....

FORM XIII
Form of Register of Copyrights
[See rule 69]

1. Registration number.
2. Name, address and nationality of the applicant.
3. Nature of the applicant's interest in the copyright of the work.
4. Class and description of the work.
5. Title of the work.
6. Language of the work.
7. Name, address and nationality of the author and, if the author is deceased, the date of his decease.
8. Whether work is published or unpublished.
9. Year and country of first publication and name, address and nationality of the publisher.
10. Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publishers.
11. Names, addresses and nationalities of the owners of the various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignments and licences, if any.
12. Names, addresses and nationalities of other persons, if any, authorised to assign or license the rights comprising the copyright. If the work is an artistic work the location of the original work,
13. Architectural work (the year of completion of the work should also be shown).
14. In case of artistic work whether it is used or capable of being used in relation to any goods or services
15. Remarks, if any.

FORM XIV**Application for Registration of Copyright**

[See rule 70]

To
The Registrar of Copyrights,
Copyright Office
New Delhi.

Sir,

In accordance with section 45 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby apply for registration of copyright and request that entries may be made in the Register of Copyrights as in the enclosed statement of particulars sent herewith in triplicate.

1. I also send herewith duly completed the statement of further particulars relating to the work.
2. In accordance with rule 70 of the Copyright Rules, 2012, I have sent by pre-paid registered post copies of this letter and of the enclosed statement(s) to the other parties concerned, as shown below :

<i>Names and addresses of the parties</i>	<i>Date of despatch</i>
1	2

3. The prescribed fee has been paid, as per details below :
4. Communications on this subject may be addressed to :
5. I hereby declare that to the best of my knowledge and belief, no person, other than to whom a notice has been sent as per paragraph 2 above has any claim or interest or dispute to my copyright of this work or to its use by me.
6. I hereby verify that the particulars given in this Form and the Statement of Particulars and Statement of further Particulars are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.
7. List of enclosures.

Yours faithfully,

Place.....

Date.....

(Signature of the applicant)

1078 G5/13-19

STATEMENT OF PARTICULARS

1. Registration number (To be filled in the Copyright Office)
2. Name, address and nationality of the applicant
3. Nature of the applicant's interest in the copyright of the work
4. Class and description of the work
5. Title of the work
6. Language of the work
7. Name, address and nationality of the author and, if the author is deceased, the date of his decease
8. Whether work is published or unpublished
9. Year and country of first publication and name, address and nationality of the publishers.
10. Years and countries of subsequent publications, if any, and names, addresses and nationalities of the publisher.
11. Names, address and nationalities of the owners of the various rights comprising the copyright in the work and the extent of rights held by each, together with particulars of assignment and licences, if any.
12. Names, addresses and nationalities of their persons, if any, authorized to assign or license the rights comprising the copyright.
13. If the work is an "artistic work", the location of the original work, including name, address and nationality of the person in possession of the work. (In the case of an architectural work, the year of completion of the work should also be shown).
14. If the work is an 'artistic work' which is used or is capable of being used in relation to any goods, the application shall include a certificate from the Registrar of Trade Marks in terms of the proviso to sub-section (1) of section 45 of the Copyright Act, 1957.]
15. If the work is an "artistic work" whether it is registered under the Designs Act 2000. If yes give details.
16. If the work is an "artistic work" capable of being registered as a design under the Designs Act 2000, whether it has been applied to an article through an industrial process and, if yes, the number of times it is reproduced.
17. Remarks, if any.

Place.....

Date.....

(Signature)

STATEMENT OF FURTHER PARTICULARS

(For Literary, including Software, Dramatic, Musical and Artistic Works only)

1. Is the work to be registered—

- (a) an original work ?
- (b) a translation of a work in the public domain ?
- (c) a translation of a work in which copyright subsists ?
- (d) an adaptation of a work in the public domain ?
- (e) an adaptation of a work in which copyright subsists ?

2. If the work is a translation or adaptation of a work in which copyright subsists :

- (a) Title of the original work.
- (b) Language of the original work.
- (c) Name, address and nationality of the author of the original work and, if the author is deceased, the date of his decease.
- (d) Name, address and nationality of the publisher, if any, of the original work.
- (e) Particulars of the authorization for a translation or adaptation including the name, address and nationality of the party authorising.

3. Remarks, if any.

Place.....

Date.....

(Signature)

FORM-XV

Application for registration of changes in the particulars of copyright entered in the Register of Copyrights

[See rule 70]

To
The Registrar of Copyrights,
Copyright Office,
New Delhi.

Sir,

In accordance with rule 71 of the Copyright Rules, 2013, I hereby apply for registration of changes in the particulars of copyright entered in the Register of Copyrights and request that changes in the existing entries may be made as specified in the enclosed statement of particulars.

2. I have sent by registered post copies of this letter and of the statement of particulars to the other parties concerned* as shown below :

<i>Names and addresses of parties</i>	<i>Date of despatch</i>

*See columns 7,11, 12 and 13 of Register of Copyrights

3. The prescribed fee has been paid, as per details below:

.....

4. Commissioner on subject may be addressed to:

.....
.....

5. I hereby declare that, to the best of my knowledge and belief, no person other than to whom a notice has been sent as per paragraph 2, has any claim, interest or dispute to my copyright of this work, or to its use by me.

6. I hereby verify that the particulars given in this Form and the Statement of particulars are true to the best of my knowledge, belief and information and nothing has been concealed therefrom.

Yours faithfully

Place.....

(Signature of

applicant) Date.....

STATEMENT OF PARTICULARS

1. Registration number in the Register of Copyrights.
2. Changes sought in the particulars of copyright as entered in the Register of Copyrights.

Reference to column number of the Register of Copyrights	Existing entry in the Register of Copyrights of Copyrights	Proposed entry in <i>place of the existing</i> entry in the Register	Reasons for <i>the</i> <i>changes</i> <i>proposed</i>
1	2	3	4

Note.— Where the changes proposed are consequent on assignment or licences of copyright, attested copies of the deeds of assignments or licences should be enclosed.

3. List of enclosures.

Place.....

Date.....

(Signature)

1078 GI/13-20

FORM-XVI

Notice under section 53 of the Act

[See rule 79]

To

The Commissioner of Customs,
Central Board of Excise and Customs,
New Delhi.

Sir,

In accordance with section 53 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957), I hereby state that I am the owner of the copyright/right in -----(work)----- or I am the duly authorised agent of -----(full name)----- who is the owner of copyright/right in -----(work)----- as per the attached statement. -----(no. of copies)----- ----infringing copies of the said work are expected to arrive in India at -----(time)----- --- at -----(place)----- (evidence attached) which if brought to India would be infringing copies of the work (evidence attached).. I hereby request you to kindly treat these infringing copies as prohibited goods for a period of -----.

I undertake to deposit such amount as may be required as security having regard to the likely expenses on demurrage, cost of storage and compensation to the importer in case it is found that the works are not infringing copies. I further undertake to produce an order from a court of competent jurisdiction as to temporary or permanent disposal of such goods within fourteen days from the date of their detention. The particulars in the statement below are true to the best of my knowledge and belief.

Place-----
faithfully

Yours

Date-----
(Signatures)

Form of Affidavit

I,.....
....., of

(full name in block letters)

..... do
hereby(full address) on solemn affirmation state that—

- (1) the particulars in the statement below are true to the best of my knowledge and belief;
- (2) the works which are being imported in accordance with the particulars in the said statement are infringing copies of the work described in the said statement; and
- (3) I am interested in the prevention of importation of the said infringing copies

STATEMENT**1. Particulars of the Work and Rights held:**

- (i) Full name, address and nationality of the person giving notice
- (ii) If the applicant is not the owner of the copyright, full name, address and nationality of the owner of the copyright.
- (iii) Description of the work:
 - (a) Class of the work (Literary, Dramatic, Musical, Artistic, Cinematograph Film, Sound Recording).
 - (b) Title of the work.
 - (c) Full name, address and nationality of the author and, if the author is deceased, the date of his decease.
 - (d) Language of the work.
 - (e) Name and address of the publisher.
 - (f) Year of first publication.
 - (g) Country of first publication.
 - (h) If the copyright in the work is registered under section 45, the registration number.

2. Details of import of infringing copies:

- (i) Country of origin of the infringing copies.
- (ii) Name, address and nationality of the importer in India.
- (iii) Name, address and nationality of the maker of the infringing copies.
- (iv) Expected time and place of import of the infringing copies into India.
- (v) In case a consignment of the infringing copies is detected and detained, will the applicant be prepared to go himself or depute an authorised agent to identify the said copies to the satisfaction of the Commissioner of Customs?

3. Whether the prescribed fee has been paid and, if so, particulars of payment (give Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan number)**4. Any other relevant information not covered above.****5. Enclosures:**

- (i) Copy of the work the copyright/other right in which is being infringed
- (ii) Evidence of ownership and authorship of copyright in the work
- (iii) Evidence of infringement of copyright
- (iv) Evidence of infringing copies being brought to India
- (v) Evidence of payment of fee (copy of Postal Order/Bank Draft/Treasury Challan)

Place-----

Date-----

(Signatures)

1078 GI 13 -21

SECOND SCHEDULE

(See rule 83)

S.No.	Item	Fee
1.	For a licence to republish a Literary, Dramatic, Musical or Artistic Work (sections 31, 31A, 31B* and 32A).	Rs.5,000 per work
2.	For a licence to communicate an any work to the public by Broadcast (section 31(1) (b)).	Rs.40,000 per applicant/per station
3.	For a licence to republish a Cinematograph Film (section 31).	Rs.15,000 per work
4.	For a licence to republish a Sound Recording (section 31).	Rs.10,000 per work
5.	For a licence to perform any work in public (section 31).	Rs.5,000 per work
6.	For a licence to publish or communicate to the public the work or translation (section 31A).	Rs.5,000 per work
7.	For a licence to publish any work in any format useful for person with disability (section 31B).	Rs.2,000 per work
8.	For an application for a licence to produce and publish a translation of a Literary or Dramatic work in any language (sections 32 and 32A).	Rs.5,000 per work
9.	For an application for registration of copyright in a – (a) Literary, Dramatic, Musical or Artistic Work (b) Provided that in respect of a Literary or Artistic Work which is used or is capable of being used in relation to any goods (section 45).	Rs.500 per work Rs.2000 per work
10.	For an application for change in particulars of copyright entered in the Register of Copyrights in respect of a: (a) Literary, Dramatic, Musical or Artistic Work (b) Provided that in respect of a Literary or Artistic Work which is used or is capable of being used in	Rs.200 per work Rs.1000 per work

	Work which is used or is capable of being used in relation to any goods (section 45).	
11.	For an application for registration of copyright in a Cinematograph Film (section 45).	Rs.5000 per work
12.	For an application for registration of changes in particulars of copyright entered in the Register of Cinematograph Film (section 45).	Rs.2000 per work
13.	For an application for registration of copyright in a sound Recording (section 45).	Rs.2000 per work
14.	For an application for registration of changes in particulars of copyright entered in the Register of Copyrights in respect of a Sound Recording (section 45).	Rs.1000 per work
15.	For taking extracts from the Register of Copyrights (section 47).	Rs.500 per work
16.	For taking extracts from the Indexes (section 47).	Rs.500 per work
17.	For a certified copy of an extract from the Register of Copyrights or the Indexes (section 47).	Rs.500 per copy
18.	For a certified copy of any other public document in the custody of the Registrar of Copyrights or Secretary of the Copyright Board.	Rs.500 per copy
19.	For an application for prevention of importation of infringing copies (section 53).	Rs.1200 per work per place of entry

[No. F. 9-4/2012-CRB/Legis. Unit]

AMIT KHARE, Jt. Secy.